NHSRCL
National High Speed Rail Corporation Ltd.

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

9वीं वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

9वीं वार्षिक रिपोर्ट

2024–25

विषय सूची	पृष्ठ संख्या
निदेशक मंडल	3
अध्यक्ष का संबोधन	6
रिपोर्टें:	
निदेशकों की रिपोर्ट	9
2024–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट	47
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	54
वित्तीय विवरण:	
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	58
तुलन पत्र	70
लाभ और हानि विवरण	72
नकदी प्रवाह विवरण	74
इक्विटी में परिवर्तन के विवरण	76
वित्तीय विवरण के नोट्स – नोट्स 1 से 44	78
सी एंड एजी टिप्पणियाँ और उन पर प्रबंधन का उत्तर	134

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल
(दिनांक 21.07.2025 को)

सतीश कुमार
अंशकालिक अध्यक्ष

अन्जुम परवेज़
प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (परियोजनाएं)

विवेक प्रकाश त्रिपाठी
निदेशक (वित्त)

आलोक कटियार
निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली)

संदीप श्रीवास्तव
निदेशक (रोलिंग स्टॉक)

प्रमोद शर्मा
निदेशक (कार्य)

विकास चौबे
निदेशक (परिवहन, सुरक्षा और विपणन)

डॉ. प्रणय प्रभाकर
अंशकालिक निदेशक

संजय जगदीशचंद्र सेठी
अंशकालिक निदेशक

अन्विता सिन्हा
अंशकालिक निदेशक

जयेश अजीतभाई गांधी
अंशकालिक निदेशक

कंपनी सचिव

सुमीता शर्मा

पंजीकृत कार्यालय

5वीं से 7वीं मंजिल, टावर डी,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर,
नई दिल्ली – 110029
ई–मेलः psmd@nhsrcl.in
बेबसाइटः www.nhsrcl.in
सीआईएनः U60200DL2016GOI291002

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सेक्रेटरीज़

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

अध्यक्ष का संबोधन

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारको,

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस 9वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट आदि सहित वार्षिक रिपोर्ट पहले ही सभी शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को भेज दी गई है।

कंपनी मुंबई से अहमदाबाद तक भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना के कार्यान्वयन में लगातार प्रगति कर रही है। मैं परियोजना की कुछ हाल की मुख्य बातें बताना चाहूँगा:

- 53.40% की कुल भौतिक प्रगति के साथ, 31 जुलाई 2025 तक परियोजना पर संचयी वित्तीय व्यय 80,290 करोड़ रुपये रहा है।
- गुजरात खंड के 352 किलोमीटर में सिविल कार्य उन्नत चरण में हैं, जिसमें 31 जुलाई 2025 तक 333.7 किलोमीटर गर्डर कास्टिंग और 312.5 किलोमीटर गर्डर लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है, तथा 135.68 किलोमीटर वायडक्ट की लंबाई ट्रैक ठेकेदारों को सौंप दी गई है। महाराष्ट्र में स्थित 156 किलोमीटर खंड में, 31 जुलाई 2025 तक 56.44 किलोमीटर पर नींव डालने का कार्य और 45.68 किलोमीटर पर पियरों का निर्माण पूरा हो गया है।
- कुल अपेक्षित 32 नदी पुलों (अर्थात गुजरात में 21 और महाराष्ट्र में 11) में से, 31 जुलाई 2025 तक 16 नदी पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है।
- महाराष्ट्र में बीकेसी और शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर तक फैली समुद्र के अन्दर सुरंग के लिए 2.7 किलोमीटर लंबी निरंतर सुरंग का पहला भेदन (ब्रेकथ्रू) प्राप्त कर लिया गया है।
- गुजरात में सभी आठ एचएसआर स्टेशनों पर सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण पूरा होने के उन्नत चरण में है, जिसमें इनमें से पांच स्टेशनों पर फिनिशिंग का काम प्रगति पर है। दूसरी ओर, महाराष्ट्र में चार एचएसआर स्टेशनों पर नींव का काम जारी है।
- साबरमती में यात्री टर्मिनल हब भवन को मई 2025 में कन्सेशनीयर अर्थात साबरमती हब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 35 वर्षों की अवधि के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है।
- सभी सिविल अनुबंध पैकेजों, डिपो अनुबंध पैकेजों, इलेक्ट्रिकल अनुबंध उप–पैकेजों के आवंटन के बाद, कंपनी ने जून 2025 में तीन अनुबंध उप–पैकेजों अर्थात IM1(A), IM1(B), और IM1(C) के माध्यम से 26 निरीक्षण एवं रखरखाव (आईएम) मशीनों के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
- इसके अतिरिक्त, कंपनी ने जुलाई 2025 में एमएएचएसआर परियोजना की पूरी लंबाई के लिए ईटीसीएस–एल2 के साथ स्वदेशी रोलिंग स्टॉक को कवर करने वाला एस1 पैकेज भी आवंटित किया है।
- कंपनी जापानी शैली की सिग्नलिंग के साथ सिग्नलिंग और दूरसंचार (एस एंड टी) और परिचालन नियंत्रण केंद्र (ओसीसी) के लिए एकीकृत पैकेज अर्थात E1(ST) पर एक साथ काम कर रही है। मसौदा बोली दस्तावेज तैयार कर लिया गया है और अप्रैल 2025 में समीक्षा के लिए एमएलआईटी को भेजा गया है।
- EW–1 पैकेज भी संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है, जिसमें ओएचई कंडक्टर, ओएचई फिटिंग, ग्राउंडिंग प्रोटेक्टर, गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस), तेल प्रकार ट्रांसफार्मर के विनिर्माण डिजाइन को जापान हाई स्पीड रेल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड अर्थात जापानी इकाई (जेई), इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- सूरत–बिलिमोरा प्राथमिकता खंड में जुलाई 2025 तक संचयी रूप से 1286 ओएचई मास्ट लगाए जाने के साथ वायडक्ट पर ओएचई मास्ट स्थापना भी जारी है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर पहलों के तहत स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।

एनएचएसआरसीएल की 9वीं वार्षिक आम बैठक, 16 सितंबर 2025 को आयोजित

आपकी कंपनी अभी भी निर्माण चरण में है, और अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं हुआ है। 31 मार्च 2025 तक कुल पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, जिसकी राशि 55,544.23 करोड़ रुपये (लगभग) है।

अंततः मैं एनएचएसआरसीएल टीम से आग्रह करता हूं कि वे देश के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने में अपने अथक प्रयासों को जारी रखें। मुझे विश्वास है कि एनएचएसआरसीएल की पूरी टीम के प्रयासों और दृढ़ता की परिणति के साथ, भारत जल्द ही एचएसआर सपने को एक मूर्त वास्तविकता में बदलने पर आनन्द मनाएगा।

(सतीश कुमार)
अध्यक्ष

दिनांकः 16.09.2025
स्थानः नई दिल्ली

रिपोर्टें

निदेशकों की रिपोर्ट

विशिष्ट शेयरधारकों

आपकी कंपनी के निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के मामलों पर अपनी 9वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है, तथा भारत सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) की तर्ज पर निगमित किया गया है।

I. एमएएचएसआर परियोजना का अवलोकनः

आपकी कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना यानी मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) से गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती के बीच होगी। उक्त एमएएचएसआर कॉरिडोर का लगभग 508 किलोमीटर का संरेखण गुजरात राज्य (8 जिलों में), केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, तथा महाराष्ट्र राज्य (3 जिलों में) से होकर गुजरेगा। व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत रु. 1,08,000 करोड़ (लगभग) है।

उक्त एमएएचएसआर परियोजना अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करेगी और सामान्य रूप से यात्री परिवहन और विशेष रूप से रेल यातायात में भारत को एक नए युग में ले जाएगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा।

उक्त एचएसआर कॉरिडोर में शामिल होंगेः

i) बारह (12) स्टेशन (अर्थात मुंबई (बीकेसी), ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद/नडियाद, अहमदाबाद, और साबरमती);

ii) तीन (3) रोलिंग स्टॉक रखरखाव डिपो (अर्थात ठाणे में एक डिपो, सूरत में एक छोटा डिपो, और साबरमती में एक डिपो–कम–कार्यशाला);

iii) ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओएचई) लाइनों, ट्रैक, आदि के रखरखाव के लिए आवश्यक निरीक्षण और रखरखाव कारों/उपकरणों और सामग्री के भंडारण/प्रबंधन के लिए आठ (8) रखरखाव डिपो;

iv) रखरखाव कार्यों के प्रबंधन के लिए उपरोक्त आठ रखरखाव डिपो के भीतर स्थित आठ (8) रखरखाव और प्रौद्योगिकी केंद्र (एमटीसी);

v) वायडक्ट पर दो (2) कन्फर्मेशन कार बेस; और

vi) साबरमती यात्री टर्मिनल हब भवन।

II. एमएएचएसआर परियोजना–पूर्व–निर्माण गतिविधियांः

ए. तकनीकी विशिष्टताएँ, मानक विशिष्टताएँ, और विशिष्टताओं एवं मानकों के लिए नियमावली

i) टी1 पैकेज के लिए तकनीकी विशिष्टताएँ (टीएस) 2024–25 के दौरान अंतिम रूप दी गई हैं (टी2 और टी3 पैकेज के अतिरिक्त जिन्हें पहले ही 2022–23 में अंतिम रूप दिया जा चुका है)। इस प्रकार, सभी ट्रैक पैकेजों के लिए टीएस को अब अंतिम रूप दे दिया गया है।

ii) जापानी शैली की सिग्नलिंग (शिंकानसेन प्रौद्योगिकी) के लिए तकनीकी विशिष्टताओं को एक समेकित पैकेज (ई1(एसटी)) के लिए तैयार किए गए बोली दस्तावेज़ के अंतिम मसौदे में शामिल किया गया है जिसमें पूरे एमएएचएसआर कॉरिडोर के सिग्नलिंग, दूरसंचार और ओसीसी कार्य शामिल हैं।

बी. सलाहकारों की नियुक्ति

जून 2024 में, आपकी कंपनी ने सिस्ट्रा एमवीए कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और सिस्ट्रा, फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम को पूरे एमएएचएसआर संरेखण के लिए स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी) और टिकटिंग प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु बोली दस्तावेज़ और बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

पालघर, महाराष्ट्र में शिसो पाइल का काम प्रगति पर है

सी. डिज़ाइन

वर्ष 2024–25 के दौरान पूरे किए गए प्रमुख डिज़ाइन कार्य इस प्रकार हैं:

i) एचएसआर स्टेशनों, डिपो (रखरखाव डिपो सहित) और प्रशिक्षण संस्थान के लिए डिज़ाइन कार्य:

क) नौ एचएसआर स्टेशनों (अर्थात मुंबई (बीकेसी), अहमदाबाद, वडोदरा, साबरमती, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच और आनंद/नडियाद), डी2 पैकेज की एक इमारत और प्रशिक्षण संस्थान (टीआई 1 पैकेज) के लिए वास्तुशिल्प सौंदर्य रिपोर्ट (आंतरिक और बाहरी दोनों) को अंतिम रूप दिया गया है।

शेष तीन एचएसआर स्टेशनों (अर्थात ठाणे, विरार और बोईसर) और डी2 पैकेज की दो शेड इमारतों (एस–9 और एस–10) के लिए संबंधित ठेकेदारों के साथ इसी तरह की वास्तुशिल्प सौंदर्य रिपोर्टों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

ख) विभिन्न एचएसआर स्टेशनों पर वास्तुशिल्प कार्यों और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग (एमईपी) सेवाओं आदि सहित तकनीकी डिज़ाइन स्टेज़ को प्रक्रमबद्ध तरीके से शुरू किया गया है:

- इसे चार एचएसआर स्टेशनों (अर्थात सी1, सी4 और सी7 पैकेज के तहत बीकेसी, वापी, भरूच और अहमदाबाद) और डी2 पैकेज की इमारत के लिए अंतिम रूप दिया गया है, इसके अतिरिक्त तीन एचएसआर स्टेशनों (अर्थात आनंद/नडियाद, बिलिमोरा और सूरत), सूरत डिपो और पांच रखरखाव डिपो (सी4 और सी6 पैकेज के तहत) को 2023–24 तक पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।
- यह पांच एचएसआर स्टेशनों (अर्थात वडोदरा, साबरमती, ठाणे, विरार और बोईसर) और प्रशिक्षण संस्थान (टीआई1) के लिए अंतिम चरणों में है।
- यह दो शेड इमारतों (एस–9 और एस–10) और दो रखरखाव डिपो (सी3 पैकेज के तहत) के लिए शुरू हो गया है।

ग) छह एचएसआर स्टेशनों (अर्थात वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, आनंद/नडियाद और अहमदाबाद) का निर्माण डिज़ाइन स्टेज़ उन्नत प्रक्रम में है, और सूरत और आनंद/नडियाद एचएसआर स्टेशनों पर पहले से चल रहे मॉक–अप के अतिरिक्त बिलिमोरा में विभिन्न मॉक–अप के निष्पादन में भी प्रगति हुई है।

सूरत डिपो और पांच रखरखाव डिपो (सी4 और सी6 पैकेज के तहत) का निर्माण पूरा होने वाला है।

ii) आपकी कंपनी जेआईसीए से तकनीकी सहयोग के तहत, 2022–23 के दौरान हस्ताक्षरित चर्चा के रिकॉर्ड (आरओडी) के अनुसार, चार एचएसआर स्टेशनों (अर्थात ठाणे, विरार, सूरत और साबरमती) के लिए स्टेशन क्षेत्र विकास, जिसे प्रोजेक्ट स्मार्ट के रूप में संदर्भित किया गया है, कर रही है। एक नामित टीम (जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शहर प्राधिकरणों के सदस्य और जेआईसीए के जापानी विशेषज्ञ शामिल हैं) उपरोक्त चार एचएसआर स्टेशनों पर काम कर रही है।

2024–25 के दौरान, उक्त तकनीकी सहयोग के लिए राज्य शहरी विकास प्राधिकरणों (अहमदाबाद, सूरत, ठाणे, विरार के); रेल मंत्रालय; एनएचएसआरसीएल; आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अधिकारियों और जेआईसीए विशेषज्ञों के साथ नियमित बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

जापानी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में और एनएचएसआरसीएल के परामर्श से संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपरोक्त चार स्टेशनों के आसपास प्रस्तावित विकास के लिए स्टेशन क्षेत्र के तत्काल आसपास के क्षेत्र (ऐसे विकास की योजनाओं में एरिया 2 के रूप में संदर्भित) की पहचान पूरी कर ली गई है।

iii) आपकी कंपनी एचएसआर स्टेशनों का परिवहन के अन्य साधनों के साथ मल्टी मोडल इंटीग्रेशन (एमएमआई) भी कर रही है। गुजरात में सात एचएसआर स्टेशनों (अर्थात वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद/नडियाद, और अहमदाबाद) के लिए बोली दस्तावेजों सहित एमएमआई योजना तैयार करने का कार्य सितंबर 2024 में राइट्स को आवंटित किया गया है।

उपरोक्त सभी सात एचएसआर स्टेशनों के लिए अवधारणा योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है, और राइट्स द्वारा चार एचएसआर स्टेशनों (अर्थात वापी, बिलिमोरा, सूरत, और भरूच) के लिए बोली दस्तावेज और ड्रॉईंग तैयार किए जा रहे हैं।

iv) रखरखाव डिपो के भीतर सभी 8 रखरखाव और प्रौद्योगिकी केंद्रों (एमटीसी) के लिए मूल डिजाइन भी पूरा हो गया है, और बोली दस्तावेजों में शामिल करने के लिए तैयार है।

आपकी कंपनी गुजरात में रखरखाव डिपो के भीतर छह स्थानों पर एमटीसी स्थापित कर रही है, अर्थात साबरमती, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, और वापी। जापान के शिंकानसेन डिपो की तर्ज पर तैयार किए गए उक्त एमटीसी, व्यापक ट्रेन रखरखाव के लिए अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करेंगे। इस कार्य के दायरे में सभी सहायक भवन, संबंधित बाहरी विकास कार्य और नियंत्रित वास्तुशिल्प मापदंडों के भीतर डिजाइन और निर्माण आधार पर संबद्ध कार्य भी शामिल हैं।

डी. मौजूदा भारतीय रेलवे सुविधाओं और उपयोगिताओं का स्थानांतरण

एमएएचएसआर संरेखण के साथ उल्लंघन करने वाली मौजूदा भारतीय रेलवे सुविधाएं और बुनियादी ढाँचे, अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र में रनिंग लाइनें, रेलवे प्लेटफॉर्म जिनमें अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन और रखरखाव सुविधाएं और कार्यालय/कर्मचारी क्वार्टर आदि शामिल हैं, पश्चिम रेलवे के समन्वय से स्थानांतरित/पुनर्स्थापित किए गए हैं।

सेगमेंटल लॉन्चिंग गैन्ट्री का उपयोग करके गर्डर लॉन्चिंग प्रगति पर, अहमदाबाद जिला, गुजरात

इसके अतिरिक्त, एमएएचएसआर संरेखण के साथ हस्तक्षेप करने वाली बड़ी संख्या में ओएचई लाइनें और अन्य उपयोगिताएँ भी उपयोगिता मालिकों के समन्वय से संशोधित की जा रही हैं।

इसके अलावा, चूंकि एमएएचएसआर संरेखण के कुछ हिस्से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से होकर गुजर रहे हैं, इसलिए मुंबई, ठाणे, वडोदरा और अहमदाबाद में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर गैस लाइनें, पानी और जल निकासी पाइप, लाइटें, बिजली और दूरसंचार केबल, और अन्य बुनियादी ढाँचे जैसी कई भूमिगत और नागरिक उपयोगिताएँ भी स्थानांतरित की जा रही हैं, ताकि बड़े पैमाने पर आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इन उपयोगिताओं के संचालन में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए एचएसआर सिविल निर्माण कार्यों की निर्बाध शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

2024–25 के दौरान मौजूदा रेलवे सुविधाओं और उपयोगिताओं के स्थानांतरण की प्रगति/स्थिति, और उक्त स्थानांतरण से उत्पन्न निर्माण इस प्रकार है:

<u>का स्थानांतरण/पुनर्स्थापन:</u>

i) 2024–25 के दौरान 12 ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओएचई) लाइनें पूरी हो चुकी हैं। 31 मार्च 2025 तक स्थानांतरित की गई संचयी ओएचई लाइनें 1650 (कुल 1651 में से) हैं, अर्थात गुजरात में 1333 और महाराष्ट्र में 317। इसमें गुजरात में ओएचई लाइनों का 100% स्थानांतरण और महाराष्ट्र में 99.68% स्थानांतरण शामिल है। महाराष्ट्र में शेष एक ओएचई लाइन के स्थानांतरण का कार्य प्रगति पर है।

ii) प्रस्तावित ठाणे डिपो पर स्थित स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की पानी की पाइपलाइन लगभग 90% पूरी हो गई है।

<u>उपयोगिता स्थानांतरण से उत्पन्न निर्माण:</u>

iii) 2024–25 तक अहमदाबाद में सीपीओएच कार्यशाला में 87 मशीनें (88 में से) चालू कर दी गई हैं।

iv) पश्चिम रेलवे, वडोदरा मंडल के लिए आकस्मिक राहत चिकित्सा उपकरण (एआरएमई) कार्यालय का निर्माण पूरा हो गया है और जुलाई 2024 में पश्चिम रेलवे के अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

v) मालेगांव में एचवीडीसी अर्थ इलेक्ट्रोड स्टेशन का निर्माण पूरा हो गया है, साथ ही मालेगांव में इलेक्ट्रोड स्टेशन से महाराष्ट्र के पडघा स्टेशन तक इलेक्ट्रोड लाइन का लगभग 70% निर्माण भी पूरा हो गया है।

vi) वडोदरा में हस्तक्षेप करने वाले वितरण सब–स्टेशन (डीएसएस) के पंप हाउस का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, और जून 2024 में पश्चिम रेलवे को सौंप दिया गया है।

vii) अहमदाबाद में काली मंदिर से रेलवे कॉलोनी तक रेलवे लाइन के ऊपर एफओबी के निर्माण और स्थापना का चरण II अप्रैल 2024 में पूरा हो गया है। डीईएमयू शेड से काली मंदिर तक का चरण I 2023–24 के दौरान पहले ही पूरा हो चुका था।

viii) अहमदाबाद में फ्लैश बट वेल्डिंग (एफबीडब्ल्यू) प्लांट में सभी 21 मशीनें चालू कर दी गई हैं और जून 2024 में भारतीय रेलवे को सौंप दी गई हैं।

ई. भूमि अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 31 मार्च 2025 तक की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

i) संयुक्त माप सर्वेक्षण (जेएमएस) रिपोर्ट के आधार पर, संपूर्ण एमएएचएसआर परियोजना के लिए अपेक्षित 100% भूमि आवश्यकता, अर्थात 1380.49 हेक्टेयर, 2023–24 तक पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है। हालांकि, महाराष्ट्र में अधिग्रहित कुल 430.45 हेक्टेयर भूमि में से, लगभग 95.28% अर्थात 410.12 हेक्टेयर (2024–25 में लिए गए 31.72 हेक्टेयर कब्जे सहित) का कब्जा ले लिया गया है।

ii) 31 मार्च 2025 तक निजी भूमि के लिए 10,400.40 करोड़ रुपये की राशि का भूमि मुआवजा वितरित किया गया है (अर्थात गुजरात और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 6,374.81 करोड़ रुपये, और महाराष्ट्र में 4,025.59 करोड़ रुपये)।

एफ. पर्यावरणीय, वैधानिक स्वीकृतियाँ और वृक्ष प्रत्यारोपण

महाराष्ट्र और गुजरात में वन, वन्यजीव, पुरातात्विक और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) जैसी सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं।

2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी ने पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न कदम उठाए, जैसे मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) (गैर–वन क्षेत्र) के भीतर आने वाले पेड़ों का प्रत्यारोपण और प्रतिपूरक वनीकरण, जिसमें उनकी देखभाल और निगरानी शामिल है। यह वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेड़ों (अर्थात वन वृक्षों) के लिए वन विभाग को प्रतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान और वन्यजीव, सीआरजेड और मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विभिन्न पर्यावरणीय निकायों को किए गए भुगतानों के अतिरिक्त है। इन बहुआयामी प्रयासों के माध्यम से, आपकी कंपनी धारणीय प्रथाओं को बढ़ावा दे रही है जो क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित और संवर्धित करती हैं।

31 मार्च 2025 तक:

i) कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर प्रतिपूरक वनीकरण के तहत 1,12,000 पेड़ लगाने के साथ–साथ 10,535 पेड़ों का प्रत्यारोपण किया है।

ii) इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों ने विभिन्न पैकेजों के तहत 72,000 पेड़ भी लगाए हैं।

जी. पुनर्वास कार्य योजना

जेआईसीए दिशानिर्देशों के अनुसार अगस्त 2018 में जेआईसीए को प्रस्तुत की गई सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) / पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) पर परियोजना के प्रभाव का आंकलन करने और उन्हें मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) सहायता के साथ–साथ उनके सामाजिक–आर्थिक मानकों और आजीविका क्षमता में सुधार के लिए अन्य उपायों में सहायता करने हेतु शमन उपाय विकसित करने के लिए एसआईए / आरएपी को स्वदेशी लोग योजना (आईपीपी) के साथ विकसित किया गया है।

परियोजना के लिए प्रस्तावित आय बहाली योजना (आईआरपी) का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएच) की आय को परियोजना–पूर्व स्तरों या उससे बेहतर तक विकसित करना है, और यह पीएएच के पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएएच को अपनी वर्तमान गतिविधियों और कौशल का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न विकल्पों में से चुनने का अवसर मिलेगा। सभी पीएपी को उपलब्ध विकल्पों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो और उन्हें भाग लेने का पर्याप्त अवसर मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए पीएएच के साथ व्यापक भागीदारी की जाती है।

आपकी कंपनी ने 2024–25 में भी कौशल वृद्धि प्रशिक्षण के माध्यम से पीएएच के लिए आईआरपी से संबंधित गतिविधियाँ जारी रखीं। कौशल वृद्धि प्रशिक्षण के लिए, गुजरात में नौ संस्थान और महाराष्ट्र में चार संस्थान पहले ही सूचीबद्ध किए जा चुके हैं।

2024–25 के दौरान, महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में सहायक इलेक्ट्रीशियन के लिए एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें 19 पीएपी ने भाग लिया। इसके साथ, कुल 525 पीएपी ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है (अर्थात गुजरात में 374 पीएपी – अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वडोदरा और भरूच जिलों में; और महाराष्ट्र में 151 पीएपी – मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में)।

आर एंड आर पुरस्कार (जिसमें स्थानांतरण के लिए परिवहन भत्ता; निर्वाह अनुदान; छोटे व्यापारियों को एकमुश्त अनुदान; पुनर्वास भत्ता; वार्षिकी के विरुद्ध एकमुश्त सहायता; घर, छोटी दुकानों, पशु शेड आदि के निर्माण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता; नई संपत्ति की खरीद पर पीएपी को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति; आदि शामिल हैं) व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर एमएएचएसआर परियोजना के प्रत्येक पीएएच के लिए पात्रता मैट्रिक्स, जेआईसीए की सामाजिक और पर्यावरण विचार नीति 2010, और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में शुरू किया गया है।

2024–25 के दौरान, 332 भूखंडों के लिए आर एंड आर पुरस्कार घोषित किए गए हैं (अर्थात महाराष्ट्र में 286 भूखंडों के लिए और गुजरात में 46 भूखंडों के लिए)। इसके साथ, 31 मार्च 2025 तक, कुल 8524 भूखंडों में से, 8461 भूखंडों के लिए संचयी आर एंड आर पुरस्कार घोषित किए गए हैं (अर्थात महाराष्ट्र में 1954 भूखंडों के लिए, गुजरात में 6373 भूखंडों के लिए, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश में 134 भूखंडों के लिए)।

एच. सामाजिक विकास कार्य

आपकी कंपनी विभिन्न हितधारकों द्वारा विकास आवश्यकताओं के लिए अनुरोधों को पूरा करने हेतु अपने परियोजना क्षेत्र के आसपास सामाजिक विकास कार्य (एसडीडब्ल्यू) कर रही है।

एसडीडब्ल्यू के लिए कुल 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था। ये एसडीडब्ल्यू कंपनी के पुनर्वास और पुनर्स्थापन, भूमि मुआवजा और सीएसआर पहलों के अतिरिक्त हैं। कंपनी द्वारा किए गए एसडीडब्ल्यू का विवरण निम्नानुसार है:

सूरत जिला, गुजरात में फुल स्पैन लॉन्चिंग गैन्ट्री का उपयोग करके गर्डर लॉन्चिंग का कार्य प्रगति पर

विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
एसडीडब्ल्यू के लिए कुल बजटीय प्रावधान (2018–19 में अनुमोदित)	100.00
उपयोगः i) विभिन्न गतिविधियाँ जैसे व्हीलचेयर का दान, जिला प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता, चिकित्सा केंद्र खोलना आदि (2020–21 में अनुमोदित)	0.35
ii) पालघर जिले, महाराष्ट्र के 71 गांवों (43 पीईएसए गांवों सहित) में ग्राम विकास योजना के तहत कार्य (स्वीकृत राशि – 15.60 करोड़ रुपये) (2019–20 में अनुमोदित) पालघर जिला प्रशासन को 2024–25 तक जारी की गई राशि (संचयी 47 गांवों के लिए, जिसमें 37 पीईएसए गांव शामिल हैं)	5.92

47 गांवों में ग्राम विकास योजना (वीडीपी) पहलों की संचयी स्थिति, 31 मार्च 2025 तक, निम्नानुसार हैः

गाँव	कार्य का नाम	वितरित राशि		प्रगति का % – (भौतिक / वित्तीय)
		2024–25 के दौरान (रुपये में)	31.03.2025 तक संचयी (रुपये में)	
तलासरी तालुका (7 पीईएसए गांवों में, जैसे मनपाड़ा, वासा, वरवाड़ा, कवाड़ा, उपलाट, आमगाँव और ज़री)	दो सामुदायिक हॉल, पांच कंक्रीट सड़कें, एक क्लासरूम, दो आंगनवाड़ी हॉल और चारदीवारी का निर्माण; आदि।	0	1,18,50,000	पूर्ण–100% भौतिक कार्य और 100% वित्तीय

गाँव	कार्य का नाम	वितरित राशि		प्रगति का % – (भौतिक / वित्तीय)
		2024–25 के दौरान (रु. में)	31.03.2025 तक संचयी (रु. में)	
पालघर तालुका (11 पीईएसए गाँवों सहित 18 गाँवों में, अर्थात विराथन खुर्द, पाडघे, नंदोर, रोथे, बेतेगाँव, अंबाडी, वाल्वे, शिगाँव, हनुमान नगर, जलसार, शिल्टे, केल्वे रोड, वरखुंटी, मांडे, मान, खानिवडे, माकुनसर, और टेम्बीखोडवे)	ग्राम पंचायत में एक शेड और पेवर ब्लॉक का निर्माण, एक कक्षा, चार सामुदायिक हॉल, सात कंक्रीट सड़कें, शौचालय, मोटर पंप की स्थापना; आदि के साथ–साथ दो आंगनवाड़ियों में मरम्मत कार्य; चार ग्रामों में जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार; आदि।	31,44,070	2,46,53,692	पूरा हुआ – 95% भौतिक कार्य और 100% वित्तीय
दहानू तालुका (13 पीईएसए गाँवों में, अर्थात धामनगाँव, अप्टोल, जादिगाँव, अश्वे, अम्बेसारी, जीतगाँव, वनाई, चारी, कोटबी, गंगनगाँव, देहने, सखारे, और गोवाने)	चार सीमेंट सड़कों, चार सामुदायिक हॉल का निर्माण; एक ग्राम पंचायत परिसर का विकास; एक छोटे पैदल पुल का निर्माण; एक आंगनवाड़ी में मरम्मत कार्य; ग्राम श्मशान घाट पर एक शेड उपलब्ध कराना; आदि।	14,99,039	1,40,97,513	पूरा हुआ – 100% भौतिक और वित्तीय दोनों
वसई तालुका (अर्थात 6 पीईएसए गाँवों सहित 9 गाँवों में, अर्थात नागाले, मोरी, पोमन, सरजामोरी, शिलोट्टर, चंद्रपाडा, विरार, मोरे, और गोकीवारे)	दो पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना; चार सौर हाई मास्ट लगाना; शौचालयों का निर्माण; बोरवेल और हैंडपंप की स्थापना; आदि।	42,54,951	86,92,004	पूरा हुआ – 100% भौतिक और वित्तीय दोनों
	कुल	**88,98,060**	**5,92,93,209**	

आई. निविदा – जेआईसीए पैकेज

संपूर्ण एमएएचएसआर परियोजना, जिसमें एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण शामिल है, को 28 जेआईसीए अनुबंध पैकेजों (पीएमसी–सलाहकार सेवा पैकेज सहित) के माध्यम से निष्पादित किया जाना है। 23 पैकेज (28 में से) एमएएचएसआर परियोजना से संबंधित हैं और 5 पैकेज वडोदरा में एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित हैं।

2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी ने एक अनुबंध पैकेज–टी1 (अर्थात मुंबई में बीकेसी स्टेशन और महाराष्ट्र राज्य में ज़ारोली गाँव के बीच ट्रैक और ट्रैक से संबंधित कार्यों का डिज़ाइन, आपूर्ति और निर्माण) (अक्टूबर 2024 में) आमंत्रित किया है।

31 मार्च 2025 तक पूरे हुए जेआईसीए अनुबंध पैकेजों, आवंटित निविदाओं, मूल्यांकन के अधीन निविदाओं, जारी / जारी की जाने वाली निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) आदि की समग्र / संचयी स्थिति नीचे दी गई है:

एचएसआर खंड	कुल (सं.)	पूरे हुए (सं.)	आवंटित (सं.)	मूल्यांकन के अधीन (सं.)	एनआईटी जारी की जानी है (सं.)
साबरमती–वापी	10	0	10 (सी4, सी5, सी6, सी7, सी8, पी1बी, पी1सी, टी2, टी3, और डी2)	0	0
वापी – बीकेसी	5	0	4 (सी1, सी2, सी3, और डी1)	1 (टी1)	0
सामान्य पैकेज	8 (आर1–प्रारंभिक सर्वेक्षण)	1	4 (पी4**, पीएमसी–सिविल, पीएमसी–टीआरएस, और पीएमसी–सलाहकार सेवाएं)	0	3 (आईएम1*, आर1–मुख्य*, और ई1**)
प्रशिक्षण संस्थान	5 (टीआई2, टीआई3, और पीएमसी –टीआई)	3	2 (टीआई1 और टीआई4)	0	0
कुल	**28**	**4**	**20**	**1**	**3**

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली:

सी–सिविल पैकेज;

टी–ट्रैक पैकेज;

आर–रोलिंग स्टॉक पैकेज;

ई–विद्युत, एस एंड टी, और संचालन नियंत्रण केंद्र (ओसीसी) पैकेज;

टीआई–प्रशिक्षण संस्थान पैकेज;

डी–डिपो पैकेज;

आईएम–निरीक्षण और रखरखाव कार पैकेज;

पी–विशेष पुल पैकेज;

पीएमसी–परियोजना प्रबंधन परामर्श; और

टीआरएस–ट्रैक और रोलिंग स्टॉक।

*सभी एमएएचएसआर जेआईसीए अनुबंध पैकेजों का विवरण युक्त एक सूची **अनुलग्नक–1** के रूप में संलग्न है।*

* *संशोधित एनआईटी जारी की जानी है।*

** *पैकेजों का उप–विभाजन:*

I. पी4 अनुबंध पैकेज–2 उप–पैकेजों में उप–विभाजित, अर्थात

क) पी4(एक्स)–11 पुलों के लिए स्टील सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण और परिवहन

ख) पी4(वाई)–17 पुलों के लिए स्टील सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण और परिवहन

II. ई1 अनुबंध पैकेज–निम्नलिखित उप–पैकेजों में उप–विभाजित, इन उप–पैकेजों की स्थिति 31 मार्च 2025 तक नीचे दी गई है:

क)	*एक उप–पैकेज अर्थात पीएस–ईडब्ल्यू 1 (ईडब्ल्यू1 बोली प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक सेवाएं)*	–	*पूरा हुआ*
ख) i) ii)	*दो उप–पैकेज:* *जेई– जेई द्वारा ओसीसी डिजाइन, उत्पादन और निर्माण अनुबंध और पीएमसी अनुबंध के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ* *ईडब्ल्यू 1– संपूर्ण एमएएचएसआर संरेखण की ओएचई, कर्षण, और गैर–कर्षण विद्युत आपूर्ति*	–	*निविदा आवंटित*
ग)	*ई1 अनुबंध पैकेज का पहले का उप–विभाजन उप–पैकेजों (अर्थात ईडी 1, ईडब्ल्यू 2, और ईई 1 से ईई 6) में अब एक समेकित पैकेज (अर्थात ई1(एसटी)) के रूप में प्रस्तावित है।*		

जे. निविदाएं – गैर–जेआईसीए पैकेज

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित अनुबंध पैकेज आमंत्रित किए हैं:

i) 2024–25 के दौरान – एस1 (अर्थात सिग्नलिंग और ट्रेन नियंत्रण प्रणाली, दूरसंचार प्रणाली और ओसीसी प्रणाली (ईटीसीएस लेवल–2) का डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, समग्र एकीकरण, परीक्षण, कमीशनिंग और व्यापक रखरखाव) (जनवरी 2025 में)।

ii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद:

क) गुजरात के चार स्टेशनों, अर्थात् सूरत, बिलिमोरा, वापी और भरूच के लिए मल्टी मोडल इंटीग्रेशन प्लान (एमएमआईपी) के अनुसार स्टेशन प्लाजा क्षेत्र का विकास (मई 2025 में)।

ख) स्वदेशी घटकों और यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (ईटीसीएस) सहित एमएएचएसआर परियोजना के समग्र मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकनकर्ताओं (आईएसए) के लिए सलाहकार (जून 2025 में)।

ग) आईएम1(ए) (अर्थात रेल दोष पहचान कार (एक नग) और रेल दोष पहचान उपकरण (आठ नग) के डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण और कमीशनिंग तथा डिज़ाइन बिल्ड एकमुश्त मूल्य आधार पर व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध) (जून 2025 में)।

घ) आईएम1(बी) (अर्थात न्यूनतम 16 पत्थरों वाली रेल ग्राइंडिंग मशीनों (दो नग) के डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण, कमीशनिंग और डिज़ाइन बिल्ड एकमुश्त मूल्य आधार पर संचालन और रखरखाव) (जून 2025 में)।

ङ) आईएम1(सी) (अर्थात सुरक्षा पुष्टिकरण सह मोटर कार (छह नग), रेल सह उपकरण कैरिज वैगन (दो सेट), मल्टीपल टावर वैगन (दो नग) और स्ट्रेच वैगन (एक नग) के डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण और कमीशनिंग तथा व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध डिज़ाइन बिल्ड एकमुश्त मूल्य आधार पर) (जून 2025 में)।

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित अनुबंध पैकेज आवंटित किए हैं:

i) 2024–25 के दौरान – मुख्य स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी) और टिकटिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए परामर्श अनुबंध (जून 2024 में)।

ii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद:

क) गुजरात में 6 (छह) रखरखाव और प्रौद्योगिकी केंद्रों (एमटीसी) अर्थात् वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद और साबरमती का डिज़ाइन और निर्माण (मई 2025 में)। इसके अतिरिक्त, पीएमसी–सिविल उक्त कार्य के लिए इंजीनियर होगा।

ख) एस1 पैकेज (जून 2025 में)।

III. एमएएचएसआर परियोजना – निर्माण गतिविधियां:

ए. निर्माण गतिविधियों की स्थिति / प्रगति

31 मार्च 2025 तक, एमएएचएसआर परियोजना ने 50.55% की समग्र भौतिक प्रगति और 61.20% की वित्तीय प्रगति हासिल की है। वर्ष 2024–25 के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में निर्माण गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

i) **गुजरात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (डीएनएच एंड डीडी) में (कार्यक्षेत्र 352 किमी)** – 60.02% की समग्र भौतिक प्रगति हासिल की गई है।

क) सिविल कार्य:

वायडक्ट के निर्माण के लिए 287 किमी की संचयी लंबाई पूरी हो चुकी है, जबकि 317 किमी के लिए गर्डर कास्टिंग पूरी हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त, एमएएचएसआर संरेखण के साथ लगभग 3 लाख ध्वनि अवरोधक (150.5 किमी संरेखण को कवर करते हुए) स्थापित किए गए हैं।

एचएसआर स्टेशन:

गुजरात में सभी आठ एचएसआर स्टेशनों के लिए नींव का काम पूरा हो चुका है; और वडोदरा को छोड़कर सात एचएसआर स्टेशनों के लिए संरचनात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं।

सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण विभिन्न चरणों में है, जैसे:

1) भरूच, वापी, बिलिमोरा, आनंद/नडियाद और सूरत स्टेशनों पर एमईपी कार्य प्रगति पर है। आनंद/नडियाद स्टेशन पर छत शीटिंग का काम पूरा हो चुका है जबकि अन्य चार स्टेशनों पर यह प्रगति पर है।

बिलिमोरा स्टेशन **अहमदाबाद स्टेशन**

एचएसआर स्टेशनों, गुजरात में कार्य प्रगति पर

2) अहमदाबाद स्टेशन पर प्लेटफॉर्म स्तर स्लैब का निर्माण पूरा हो चुका है।
3) साबरमती स्टेशन पर रेल स्तर स्लैब का निर्माण प्रगति पर है।
4) वडोदरा स्टेशन पर स्टेशन भवन का निर्माण प्रगति पर है।

सुरंग:

वलसाड जिले, गुजरात में एकमात्र सुरंग (लगभग 320 मीटर) पर काम (सी4 पैकेज का हिस्सा) 2023–24 के दौरान पहले ही पूरा हो चुका था।

गुजरात में पुलों का निर्माण

ख) विशेष पुल:

राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे; सिंचाई नहरों; और रेलवे पर क्रॉसिंग को गुजरात में 17 स्टील ट्रस पुलों और 5 लंबी अवधि के प्री–स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पुलों (बैलेंस कैंटिलीवर विधि के साथ) द्वारा बांधना है:

1) स्टील ट्रस पुल:

सभी 17 स्टील ट्रस पुलों का निर्माण अत्याधुनिक कार्यशालाओं में पूरा हो चुका है।

आठ स्टील ट्रस पुलों की लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है, यानी 2023–24 के दौरान एक, 2024–25 के दौरान छह, और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक; और शेष नौ ऐसे पुलों पर लॉन्चिंग का काम प्रगति पर है।

2) पीएससी पुल (बैलेंस कैंटिलीवर विधि के साथ):

नींव और उप–संरचना कार्यों के पूरा होने के बाद, सभी 5 पीएससी पुलों पर पीएससी सेगमेंट की कास्टिंग के साथ–साथ लॉन्चिंग/सुपरस्ट्रक्चर का काम 31 मार्च 2025 तक पूरा हो चुका है।

वत्रक नदी **मेशवा नदी**

अहमदाबाद जिले, गुजरात में पूरे हुए नदी के पुल

ग) नदी के पुल:

गुजरात राज्य में पुल बनाए जाने वाले सभी 21 नदियों (प्रत्येक नदी पर एक पुल के साथ) पर निर्माण कार्य जारी है।

31 मार्च 2025 तक, चौदह (14) नदी के पुल (उपरोक्त 21 में से) का निर्माण हो चुका है। इसमें 2024–25 के दौरान सात नदियों (अर्थात घाघर, कोलाक, खरेरा, कावेरी, किम, वात्रक और मेश्वा) पर एक–एक पुल; 2023–24 के दौरान छह नदियों (अर्थात पूर्णा, मिंढोला, अंबिका, औरंगा, वेंगानिया और मोहर) पर एक–एक पुल, और 2022–23 के दौरान एक नदी (अर्थात पार) पर एक पुल शामिल है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, दारोठा नदी (जून 2025 में) और दमन गंगा नदी (जुलाई 2025 में) पर दो और पुल पूरे हो चुके हैं।

शेष नदियों जैसे नर्मदा, माही, ताप्ती, साबरमती और विश्वामित्री पर नदी के पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जैसा कि नीचे संक्षिप्त में बताया गया है:

1) तीन नदियों पर वेल फाउंडेशन का काम प्रगति पर है (अर्थात नर्मदा नदी का पुल (25 में से 10 पूरे), माही नदी का पुल (13 में से 8 पूरे), ताप्ती नदी का पुल (13 में से 9 पूरे))।

2) साबरमती नदी पुल – पाइलिंग कार्यों के पूरा होने के बाद, पियर और पियर कैप भी पूरे हो चुके हैं; और पियरहेड और सेगमेंट कास्टिंग कार्य प्रगति पर हैं।

3) विश्वामित्री नदी – पुल के उप–संरचना कार्य पूरे हो चुके हैं।

साबरमती नदी पुल, अहमदाबाद, गुजरात में प्रगति पर कार्य

घ) ट्रैक कार्य:

गुजरात में पूरे 352 किलोमीटर खंड यानी टी2 और टी3 पैकेज पर ट्रैक कार्य शुरू हो गए हैं।

2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा किए गए प्रमुख ट्रैक कार्य इस प्रकार हैं:

1) ट्रैक निर्माण बेस (टीसीबी) – कुल 14 टीसीबी की योजना बनाई गई है, यानी टी2 पैकेज में 8 और टी3 पैकेज में 6। टीसीबी वे सुविधाएँ हैं जहाँ पर ट्रैक निर्माण कार्य किया जाता है।

   2024–25 के दौरान:

   – वापी में एक टीसीबी स्थापित किया गया है, जो 2023–24 (टी2) तक सूरत और बिलिमोरा खंड में पहले से स्थापित दो टीसीबी के अतिरिक्त है।

   – आनंद और अहमदाबाद खंड के बीच दो टीसीबी स्थापित किए गए हैं, जो 2023–24 (टी3) तक वडोदरा और आनंद के बीच पहले से स्थापित दो टीसीबी के अतिरिक्त हैं।

खेड़ा में

सूरत में

गुजरात के ट्रैक निर्माण बेस में ट्रैक निर्माण कार्य प्रगति पर

इस प्रकार, 31 मार्च 2025 तक, कुल सात (7) टीसीबी स्थापित किए गए हैं, यानी टी2 पैकेज में 3 और टी3 पैकेज में 4।

2) ट्रैक निर्माण मशीनरी का एक–एक सेट दोनों पैकेजों (अर्थात टी2 और टी3) में खरीदे गए हैं। इसके साथ, 2024–25 तक कुल पांच सेट ट्रैक निर्माण मशीनरी (अर्थात टी3 में 3 सेट और टी2 में 2 सेट) खरीदे गए हैं। एक सेट में रेल फीडर कार, ट्रैक स्लैब बिछाने वाली कार, सीएएम बिछाने वाली कार, फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट और आवश्यक संख्या में मोटर कार और कैरिज वैगन शामिल हैं।

3) ट्रैक स्लैब निर्माण फैक्ट्रियां (टीएसएमएफ) – गुजरात में दो टीएसएमएफ स्थापित और चालू की गई थीं (अर्थात किम में एक (120 स्लैब प्रति दिन की क्षमता के साथ) और आनंद में एक (60 स्लैब प्रति दिन की क्षमता के साथ))। इन टीएसएमएफ में 31 मार्च 2025 तक कुल 34,600 स्लैब (2023–24 तक पहले से निर्मित 6,045 स्लैब सहित) निर्मित किए गए हैं, जो 173 ट्रैक किलोमीटर के बराबर हैं।

4) वायडक्ट का हस्तांतरण – 31 मार्च 2025 तक संबंधित पैकेजों के ट्रैक ठेकेदारों को कुल 90.08 किलोमीटर वायडक्ट (अर्थात 50.05 किलोमीटर (टी2) और 40.03 किलोमीटर (टी3)) का हस्तांतरण किया गया है।

5) आरसी ट्रैक बेडः लगभग कुल 130 ट्रैक किलोमीटर यानी 73 ट्रैक किलोमीटर (टी2) और 57 ट्रैक किलोमीटर (टी3) के लिए आरसी ट्रैक बेड (अप और डाउन दोनों लाइन) की कास्टिंग पूरी हो गई है।

6) रेलों की फ्लैश बट वेल्डिंग (एफबीडब्ल्यू) 7667 नग (अर्थात 103.337 ट्रैक किलोमीटर यानी 42.18 ट्रैक किलोमीटर (टी2) और 61.157 ट्रैक किलोमीटर (टी3) के लिए पूरी हो गई है।

कैम इंजेक्शन कार

ट्रैक स्लैब बिछाने वाली कार

7) ट्रैक स्लैब बिछाने वाली कार की आवाजाही के लिए लगभग 60 ट्रैक किलोमीटर यानी 39 ट्रैक किलोमीटर (टी2) और 21 ट्रैक किलोमीटर (टी3) पर एक अस्थायी ट्रैक स्थापित किया गया है।

8) उप–साइट कार्यालयों का निर्माणः

- 2023–24 के दौरान सूरत में पहले से ही पूर्ण किया गया कार्यालय (टी2) के अतिरिक्त, बिलिमोरा में (मई 2024 में) पूर्ण और चालू किया गया।
- 2023–24 के दौरान वडोदरा और साबरमती में पहले से ही पूर्ण किए गए कार्यालयों (टी3) के अतिरिक्त, आनंद में (जुलाई 2024 में) पूर्ण और चालू किया गया।

9) जापान से 8,197 मीट्रिक टन जेआईएस रेल (अर्थात 282 ट्रैक किलोमीटर रेल) प्राप्त किए गए हैं (टी3)।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बादः

1) टी2 और टी3 दोनों पैकेजों में ट्रैक स्लैब बिछाने और सीएएम भरने की गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

2) जापान से 1,285 मीट्रिक टन जेआईएस रेल (अर्थात 10 ट्रैक किलोमीटर रेल) खरीदे किए गए हैं (टी2)।

ङ) <u>रोलिंग स्टॉक डिपो:</u>

1) सूरत डिपो (सी4 पैकेज का हिस्सा) में व्हील लेथ के लिए सुपरस्ट्रक्चर कार्य, ग्रेड स्लैब और नींव 2024–25 तक पूरे हो गए हैं। लेवल क्रॉसिंग, वर्षा जल निकासी, सर्विस डेक और रूफ डेक, डिपो पहुंच लाइन आदि के कार्य प्रगति पर हैं। 2024–25 तक 5.725 किलोमीटर रोडबेड ट्रैक ठेकेदारों को सौंप दिया गया है।

2) साबरमती डिपो (डी2 पैकेज) का डिज़ाइन 84 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, और यह जापान के सेंडाई और कानाज़ावा शिंकानसेन डिपो के डिज़ाइनों पर आधारित है। यह डिपो परियोजना का सबसे बड़ा डिपो होगा जिसमें 10 स्टेबलिंग लाइनें होंगी, जिसमें भविष्य में 29 लाइनों तक बढ़ाने का प्रावधान है।

2024–25 के दौरान, प्रशासनिक भवन में बेसमेंट नींव का काम, रिटेनिंग वॉल, 4 मंजिलों (कुल 5 में से) का स्लैब का काम पूरा हो गया है, और अन्य भवनों, सामग्री स्टोर, शेड और कार्यशालाओं के लिए खुदाई का काम भी सुचारू रूप से प्रगति कर रहा है।

दैनिक 2 नियमित निरीक्षण शेड में स्टील इरेक्शन का काम भी शुरू हो गया है।

च) <u>विद्युत कार्य:</u>

1) गुजरात में संपूर्ण संरेखण (45 स्थानों पर) के लिए विद्युत भवनों/स्विचिंग स्टेशनों (अर्थात कर्षण उप–स्टेशन (टीएसएस)/सेक्शनिंग पोस्ट (एसपी)/सब–सेक्शनिंग पोस्ट (एसएसपी)) के निर्माण के लिए भू–तकनीकी जांच (जीटीई) पूरी हो गई है।

2) गुजरात के सूरत – बिलिमोरा खंड में 17 स्थानों (कुल 44 में से) पर उपरोक्त स्विचिंग स्टेशनों के लिए सिविल निर्माण शुरू हो गया है।

3) गुजरात के सूरत – बिलिमोरा खंड में ओएचई मास्ट (103 नग) स्थापित किए गए हैं। वर्ष की समाप्ति के बाद, जून 2025 तक 1095 मास्ट स्थापित किए गए हैं।

छ) <u>सिग्नलिंग और दूरसंचार (एस एंड टी)</u>

1) ईटीसीएस लेवल 2 सिग्नलिंग सिस्टम – स्वदेशी आरएस विकसित करने और भारत निर्मित रोलिंग स्टॉक का उपयोग करके यात्री परिचालन के लिए, एमएएचएसआर कॉरिडोर के लिए ईटीसीएस सिग्नलिंग सिस्टम (अर्थात एस एंड टी और ओसीसी कार्यों के लिए ईटीसीएस लेवल–2) को कार्यान्वित किया जा रहा है। उक्त वैकल्पिक सिग्नलिंग सिस्टम (एस1 पैकेज) के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं, और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, उक्त एस1 पैकेज जून 2025 में दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, सीमेंस लिमिटेड और सीमेंस मोबिलिटी जीएमबीएच के कंसोर्टियम को प्रदान किया गया है।

2) जापानी शैली सिग्नलिंग सिस्टम – एस एंड टी और ओसीसी कार्यों के निष्पादन के लिए जापानी पक्ष द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली कई प्रत्यक्ष अनुबंधों के माध्यम से गुजरात में वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत के लिए सहमत लक्ष्य/समय–सीमा को पूरा नहीं करती है। इसलिए, भारतीय और जापानी दोनों पक्ष एक वैकल्पिक सिग्नलिंग सिस्टम ईटीसीएस लेवल–2 और जापानी शैली सिग्नलिंग के लिए एक एकीकृत पैकेज, यानी ई1(एसटी) प्रदान करने पर सहमत हुए। तदनुसार, इस ई1(एसटी) पैकेज के लिए बोली दस्तावेज तैयार किए गए हैं और उनके अनुमोदन और उसके बाद निविदा आमंत्रण के लिए मार्च के पहले सप्ताह में जापानी पक्ष के साथ साझा किए गए हैं।

ज) <u>रोलिंग स्टॉक और मशीनरी (डी एंड एम):</u>

जापान ने अपने पहले के ई5 शिंकानसेन ट्रेन जो वर्तमान में जापान में उत्पादन में नहीं हैं के प्रस्ताव के स्थान पर अधिक उन्नत ई10 शिंकानसेन ट्रेन की पेशकश की है। जापानी प्रस्ताव के अनुसार, ई10 शिंकानसेन को 2030 के दशक की शुरुआत तक जापान में पेश किए जाने की उम्मीद है और उसके बाद भारतीय जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक डिजाइन परिवर्तन करके इसे 2032 तक एमएएचएसआर कॉरिडोर पर परीक्षण के लिए पेश किए जाने की उम्मीद है।

पियर कैप और पियर कास्टिंग का काम प्रगति पर, पालघर जिला, महाराष्ट्र

अधिकतम 280 किमी प्रति घंटे की परीक्षण गति और अधिकतम 249 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ मानक गेज स्वदेशी हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक विकसित किया जा रहा है। ऐसी दो ट्रेनें बीईएमएल द्वारा 2027 तक एमएएचएसआर कॉरिडोर पर परीक्षण और ट्रायल के लिए निर्मित की जाएंगी।

जनवरी 2025 में, प्राप्त बोलियों में भौतिक गैर–अनुरूपताओं के कारण IM 1(X) और IM 1(Y) पैकेज (जो 2023–24 में आमंत्रित किए गए थे) को रद्द कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, आपकी कंपनी ने चरण–1 यानी सूरत से वापी खंड, गुजरात की रखरखाव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीबीएस से वैश्विक निविदा के माध्यम से 26 निरीक्षण और रखरखाव (आईएम) मशीनों (आईएम1 पैकेज का एक हिस्सा) की खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। तदनुसार, 26 मशीनों की उक्त खरीद को 3 उप–पैकेजों, अर्थात् IM 1(A), IM 1(B), और IM 1(C) में उप–विभाजित किया गया है।

ii) महाराष्ट्र राज्य में (दायरा 156 किमी) – 31 मार्च 2025 तक, कुल 31.33% भौतिक प्रगति हासिल की गई है।

क) <u>सिविल कार्य</u>:

2024–25 के दौरान, 156 किलोमीटर के पूरे खंड पर सिविल कार्य प्रगति पर है।

सी3 पैकेज – भू–तकनीकी जांच (जीटीआई) (ठेकेदार, एल एंड टी द्वारा संचालित) 1494 (कुल 1673 में से) बोरहोल के लिए पूरी हो चुकी है। उक्त जीटीआई के आधार पर, टीसीएपी, इंजीनियर द्वारा 104 किमी के लिए नींव संबंधी सिफारिश रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है।

तदनुसार, 31 मार्च 2025 तक, खुली नींव (1069) और पाइल नींव (698) जैसे उप–संरचना कार्य तथा पियर (697) और पियर कैप (239) जैसे अधिरचना कार्य आदि पूरे हो चुके हैं।

महाराष्ट्र में सी3 पैकेज के संरेखण के साथ स्थापित कास्टिंग यार्ड में पूर्ण स्पैन गर्डर और सेगमेंटल बॉक्स गर्डर की कास्टिंग शुरू हो गई है। 2024–25 के दौरान, 4 पूर्ण स्पैन गर्डर और 222 सेगमेंटल बॉक्स गर्डर की कास्टिंग की गई है।

वायडक्ट का निर्माण प्रगति पर, ठाणे जिला, महाराष्ट्र

<u>एचएसआर स्टेशन</u>:

2024–25 के दौरान महाराष्ट्र के सभी चार एचएसआर स्टेशनों (अर्थात बीकेसी, ठाणे, विरार और बोईसर) पर काम शुरू हो गया है:

1) सी1 पैकेज (बीकेसी स्टेशन) – सिविल कार्य जिसमें उत्खनन [(13.50 लाख घन मीटर मिट्टी का उत्खनन (कुल 18.72 लाख घन मीटर में से) पूरा हो चुका है और इसका निपटान यानी कुल मिट्टी कार्य के दायरे का 72.11%)], वाटरप्रूफिंग, स्थायी एंकर (87% मृदा एंकर की स्थापना पूरी हो चुकी है), और बेस स्लैब / दीवार / कॉलम (3.5 मीटर कंक्रीट की मोटाई वाले) का सुदृढीकरण स्टेशन, कट एंड कवर भाग और शाफ्ट क्षेत्र में प्रगति पर है।

   बीकेसी स्टेशन की स्थायी संरचना के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्टेशन पर फैब्रिकेशन यार्ड की स्थापना के साथ–साथ स्टील ब्रिज डेक, गैन्ट्री क्रेन और टावर क्रेन लगाए गए हैं।

2) ठाणे, विरार और बोईसर एचएसआर स्टेशनों (सी3 पैकेज का हिस्सा) के लिए नींव का काम और स्तंभों का निर्माण प्रगति पर है।

   वर्ष की समाप्ति के बाद, बोईसर और विरार स्टेशनों पर स्लैब कास्टिंग का काम शुरू हो गया है।

<u>सुरंग कार्य</u>:

1) सी2 पैकेज (समुद्र के अन्दर सुरंग) – टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) विधि के माध्यम से 20.37 किलोमीटर लंबी समुद्र के अन्दर सुरंग के निर्माण की गतिविधियां प्रगति पर हैं। यह सुरंग बीकेसी स्टेशन से शिलफाटा तक दोनों (अप और डाउन) ट्रेनों के लिए दोहरी पटरियों को समायोजित करने के लिए एक सिंगल ट्यूब सुरंग होगी।

शाफ्ट उत्खनन पूरा और आरसीसी कार्य प्रगति पर, मुंबई, महाराष्ट्र

तीन शाफ्ट, बीकेसी (सी1 पैकेज के तहत), विक्रोली और सावली प्रत्येक में एक–एक, टीबीएम सुरंग निर्माण को चरणों में सुविधाजनक बनाएंगे, और घंसोली में एक एडीआईटी सुरंग तथा शिलफाटा में सुरंग पोर्टल एनएटीएम द्वारा सुरंग निर्माण को सुविधाजनक बनाएगी।

2024–25 के दौरान, दोनों शाफ्ट (2 और 3) और एडीआईटी सुरंग के लिए खुदाई; स्लैब कार्य; शाफ्ट (2 और 3) पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), टीएसएस, और डीएसएस क्षेत्र; कास्टिंग यार्ड की स्थापना; और 1011 नग (अर्थात 2 किमी) टीबीएम रिंगों की कास्टिंग पूरी हो चुकी है। दोनों शाफ्ट पर टीबीएम को नीचे उतारने और लॉन्च करने के लिए प्रारंभिक कार्य, टीबीएम रिंग कास्टिंग कार्य के साथ–साथ मुख्य एनएटीएम सुरंग (3 फेस) खुदाई कार्य प्रगति पर हैं। टीबीएम का उपयोग करके वास्तविक टनलिंग अभी शुरू होनी बाकी है।

बोईसर स्टेशन **ठाणे स्टेशन**

एचएसआर स्टेशनों पर काम प्रगति पर, महाराष्ट्र

टीबीएम लॉन्चिंग के लिए कंक्रीट का काम प्रगति पर, मुंबई, महाराष्ट्र

2) सी3 पैकेज (सुरंग का हिस्सा) – पालघर और ठाणे जिलों में छह (सात में से) पहाड़ी सुरंगों (लगभग 6 किमी) के लिए खुदाई का काम पाइप रूफिंग और हेडिंग के काम के साथ शुरू हो गया है। उक्त सुरंगों का निर्माण एनएटीएम विधि का उपयोग करके किया जा रहा है।

ख) विशेष पुल:

राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे; नदियों; और रेलवे पर क्रॉसिंग को 11 स्टील ट्रस पुलों और एक लंबे स्पैन पीएससी पुल (बैलेंस कैंटिलीवर विधि के साथ) द्वारा बांधा जाएगा।

चार स्टील ट्रस पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है (अर्थात वर्ष 2024–25 के दौरान दो पुल और वर्ष की समाप्ति के बाद दो पुल)। शेष सात में से पांच ऐसे पुलों पर काम प्रगति पर है।

ग) नदी पुल:

2024–25 में 11 नदियों (3 स्थानों को छोड़कर) पर जीटीआई का काम पूरा हो चुका है। वैतरणा और उल्हास नामक दो नदियों पर अस्थायी पहुंच पुल (टीएबी) का निर्माण प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, वैतरणा, उल्हास और जगानी नदियों पर नींव का काम शुरू हो गया है।

घ) ठाणे डिपो (डी1 पैकेज):

2023–24 के दौरान ठेकेदार को 65% भूमि (चरण I) पहले ही सौंप दी गई थी। 2024–25 के दौरान जीटीआई और अन्य सर्वेक्षण कार्य के साथ–साथ रिटेनिंग वॉल की खुदाई और साइट लैब का काम पूरा हो चुका है। डिजाइन का काम प्रगति पर है।

सुरंग का काम प्रगति पर, पालघर जिला, महाराष्ट्र

iii) यात्री टर्मिनल हब भवनः

साबरमती में यात्री टर्मिनल हब भवन का निर्माण कार्य 30 सितंबर 2024 को पूरा हो चुका है। उक्त हब साबरमती में प्रस्तावित एचएसआर स्टेशन, पश्चिमी रेलवे साबरमती स्टेशन, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एईसी स्टेशन और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) बस स्टॉप को जोड़ता है।

आपकी कंपनी का अहमदाबाद परियोजना कार्यालय अक्टूबर 2024 में हब भवन में स्थानांतरित हो गया है।

2024–25 के दौरान, कन्सेशन समझौते (पहला राजस्व उत्पन्न करने वाला कार्य) के लिए मई 2024 में बोली दस्तावेज जारी होने के परिणामस्वरूप, दिसंबर 2024 में साबरमती एचएसआर हब प्राइवेट लिमिटेड (टीएचओटीएच इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षक सिक्योरिटास, और कामिनेनी हॉस्पिटल्स का एक कन्सॉर्शीअम) को 35 वर्षों की अवधि के लिए निविदा प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, उक्त हब भवन को मई 2025 में कन्सॉर्शीअम द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

बी. सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

आपकी कंपनी ने एक मजबूत सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है जिसे इसके सभी ठेकेदारों, सलाहकारों और स्वयं एनएचएसआरसीएल द्वारा सक्रिय रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2024–25 के दौरान इस संबंध में निम्नलिखित पहल की हैं:

i) ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन योजना (एसएचई योजना) और निर्माण पर्यावरण प्रबंधन योजना (सीईएमपी) तैयार की गई है और एनएचएसआरसीएल द्वारा आवंटित सिविल, ट्रैक और डिपो पैकेजों के लिए अनुमोदित की गई है।

2024–25 के दौरान, 4 पैकेजों (अर्थात सी1, सी3, टीआई1 और डी1) के लिए एसएचई योजना और 4 पैकेजों (अर्थात सी1, सी3, ईडब्ल्यू1 और टीआई1 पैकेज) के लिए सीईएमपी को अनुमोदित किया गया है, जो 2023–24 तक पहले से अनुमोदित 11 पैकेजों (अर्थात सी4, सी5, सी6, सी7, सी8, पी1बी, पी1सी, पी4, टी2, टी3 और डी2) के अतिरिक्त है। इसके साथ, एसएचई योजना और सीईएमपी 15 पैकेजों के लिए 31 मार्च 2025 तक अनुमोदित किए गए थे। इन योजनाओं को दिन–प्रतिदिन की निर्माण गतिविधियों के अनुरूप लागू किया जा रहा है।

हालांकि, सीईएमपी सी2 और डी1 के लिए समीक्षा और अनुमोदन के अधीन हैं, और एसएचई योजना ईडब्ल्यू1 और डी1 के लिए समीक्षा के अधीन है।

इसके अतिरिक्त, सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी), अस्थायी यातायात नियंत्रण योजना, और एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्य योजना, जो एसएचई प्रबंधन योजना का हिस्सा हैं, भी तैयार, अनुमोदित की गई हैं, और उपरोक्त सभी 15 अनुमोदित पैकेजों के लिए लागू की जा रही हैं।

ii) इसके अतिरिक्त, पहले से अनुमोदित एसएचई और सीईएमपी मैनुअल को विशिष्ट कार्य आवश्यकताओं और परियोजनाओं से प्राप्त सीखों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। एसएचई योजना को सी5, सी6, सी7 और डी2 के लिए संशोधित किया गया है; और सीईएमपी को आवश्यकतानुसार सी5 और सी6 के लिए संशोधित किया गया है, जबकि सी7 के लिए अद्यतन सीईएमपी का अंतिम रूप देना समीक्षा और अनुमोदन के अधीन है।

iii) सभी कार्य स्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमित निरीक्षण, ऑडिट (आंतरिक / बाहरी), प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, जाँच और सभी आवंटित कार्य पैकेज स्थलों पर आवधिक निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

iv) प्रत्येक अनुबंध पैकेज के लिए परियोजना एसएचई समितियाँ गठित की जाती हैं, जो मासिक बैठकें आयोजित करती हैं। समिति बैठक से पहले कार्यकारी वॉक–डाउन में भाग लेते हैं और निरंतर सुधार और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित / बढ़ावा देने के लिए संबंधित अनुबंध पैकेजों की एसएचई योजना और अन्य सुरक्षा पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं।

v) इंजीनियर का पर्यवेक्षण विभिन्न साइट निरीक्षणों, ऑडिटों, जागरूकता प्रशिक्षणों और संचार आदि के माध्यम से एक प्रभावी निगरानी प्रणाली और घटनाओं की रोकथाम के लिए विस्तारित होता है। इंजीनियर सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में कानूनी और संविदात्मक अनुपालनों को सुनिश्चित करता है। साथ ही, ठेकेदार के एसएचई प्रबंधन के प्रदर्शन का बाहरी एजेंसियों द्वारा और इंजीनियर या सलाहकार द्वारा मासिक ऑडिट रेटिंग स्कोर (एमएआरएस) के माध्यम से ऑडिट किया जा रहा है।

मुख्य सुरंग उत्खनन (एनएटीएम), ठाणे जिला, महाराष्ट्र का पूरा होना

vi) कार्यबल के बीच सुरक्षा के महत्व को स्थापित करने के लिए, एनएचएसआरसीएल ने परियोजना भर में सुरक्षा पर केंद्रित नुक्कड़ नाटक 'प्रयास' की एक श्रृंखला आयोजित की है।

सी. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

i) गुणवत्ता आश्वासन – गुणवत्ता आश्वासन के उद्देश्य से, नामित ठेकेदार द्वारा विभिन्न दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं (जैसे कार्य गुणवत्ता प्रबंधन योजना, साइट गुणवत्ता प्रबंधन योजना, डिज़ाइन गुणवत्ता प्रबंधन योजना, खरीद गुणवत्ता प्रबंधन योजना, विनिर्माण गुणवत्ता प्रबंधन योजना, प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन योजना, आदि), और कंपनी और/या निम्नलिखित तीन नामित इंजीनियरों द्वारा संबंधित अनुबंध विनिर्देशों के नियम और शर्तों / एफआईडीआईसी शर्तों के अनुसार प्रत्येक अनुबंध पैकेज के लिए अलग–अलग अनुमोदित किए जाते हैं:

   क) जेई (अर्थात जापान हाई स्पीड रेल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड) – ईडब्ल्यू1 के लिए

   ख) जेआईसीसी (पीएमसी–टीआरएस) (अर्थात जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट कंसोर्शियम (ट्रैक, रोलिंग स्टॉक, साबरमती डिपो, आईएम और प्रशिक्षण सिम्युलेटर के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएँ)) – ट्रैक, रोलिंग स्टॉक, साबरमती डिपो, आईएम और टीआई4 के लिए।

   ग) टीसीएपी (अर्थात टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप, आरवी एसोसिएट्स, और पाडेको (जापान)) – शेष आवंटित जेआईसीए पैकेजों के लिए।

ii) <u>गुणवत्ता नियंत्रण</u> – साइट पर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए:

   क) ठेकेदार ने साइट कार्यों, बैचिंग प्लांट (कंक्रीट उत्पादन इकाइयाँ), कास्टिंग यार्ड और ऑन–साइट (फील्ड) प्रयोगशालाओं की देखरेख के लिए साइट पर इंजीनियरों को प्रतिनियुक्त किया है।

   ख) प्रत्येक गतिविधि के लिए चेकलिस्ट ठेकेदारों / साइट इंजीनियरों द्वारा भरे जाते हैं। इन चेकलिस्टों को बाद में गुणवत्ता इंजीनियरों द्वारा क्रॉस चेक किया जाता है और आरएफ़आई के साथ अपलोड किया जाता है।

   ग) इंजीनियर के प्रतिनिधियों की एक टीम भी साइट पर और फील्ड प्रयोगशालाओं में किए जा रहे सभी परीक्षणों की जाँच / निगरानी करती है। ऑफ–साइट प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण परीक्षण भी इंजीनियर के प्रतिनिधियों द्वारा देखे जाते हैं।

   घ) कार्यों में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, साधन संपन्न और प्रतिष्ठित विक्रेता/आपूर्तिकर्ता का चयन करने और निरीक्षण और परीक्षण योजनाओं (आईटीपी) पर उचित विचार के साथ सामग्री अनुमोदन के बाद, ठेकेदार, इंजीनियर और एनएचएसआरसीएल अधिकारियों के साथ साप्ताहिक सामग्री अनुमोदन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ङ) एनएचएसआरसीएल / मुख्यालय कार्यालय द्वारा ठेकेदार और टीसीएपी के गुणवत्ता और साइट इंजीनियरों के साथ साप्ताहिक गुणवत्ता नियंत्रण बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iii) तीसरे पक्ष द्वारा आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट – पूर्व–नियोजित कार्यक्रम के अनुसार त्रैमासिक आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट की एक प्रणाली भी है। ऑडिट या तो ठेकेदार की कॉर्पोरेट टीम द्वारा या तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों को शामिल करके किए जाते हैं। ऑडिट के दौरान, ठेकेदार की गुणवत्ता टीम और इंजीनियर के प्रतिनिधि भी लेखा परीक्षकों के साथ होते हैं। ऑडिट निष्कर्ष इंजीनियर और एनएचएसआरसीएल के साथ साझा किए जाते हैं, और ठेकेदार की प्रबंधन टीम की त्रैमासिक बैठकों में उन पर चर्चा की जाती है।

IV. एमएएचएसआर परियोजना–संचालन और रखरखाव की योजनाः

ए. संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम)

एमएएचएसआर के लिए संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) का गठन और सुदृढ़ीकरण निरंतर और व्यवस्थित आधार पर किया जा रहा है। ओ एंड एम प्रणाली के लिए एक व्यापक कार्यान्वयन योजना विकास के अधीन है, जिसमें रखरखाव बुनियादी ढांचे की स्थापना, रखरखाव वाहनों और मशीनरी की खरीद, हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान (एचएसआर टीआई) की स्थापना, और अन्य सहायक सुविधाएँ शामिल हैं। भौतिक बुनियादी ढांचे के अतिरिक्त, दीर्घकालिक स्थिरता और परिचालन उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए ओ एंड एम कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर महत्वपूर्ण जोर दिया जा रहा है।

ओ एंड एम के लिए आवश्यक विभिन्न नियमों और मैनुअल के मसौदे तैयार किए गए हैं और जापानी विशेषज्ञों से प्राप्त इनपुट, साथ ही जापानी हितधारकों द्वारा साझा किए गए संदर्भ दस्तावेजों के आधार पर आगे परिष्करण से गुजर रहे हैं। प्रमुख ओ एंड एम लीडर जिन्होंने जापान में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 9 महीने का व्यापक ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) प्राप्त किया था, स्थानीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने, परिचालन दस्तावेजों को परिष्कृत करने और भारत में समग्र ओ एंड एम संगठन संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

जनवरी 2025 में, (ए) कंपनी के 14 अधिकारियों को 6 सप्ताह के लिए 'कनिष्ठ प्रबंधक के लिए कोर स्टाफ प्रशिक्षण' हेतु जापान भेजा गया है, और (बी) 16 एचएसआर पायलटों ने भी जापान में 7 महीने का 'ट्रेन ऑपरेटरों के लिए कोर स्टाफ सैद्धांतिक प्रशिक्षण' शुरू कर दिया है, जिसके बाद 5 महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा।

रखरखाव और प्रौद्योगिकी केंद्र (एमटीसी) ओ एंड एम प्रणाली की रीढ़ के रूप में कार्य करेंगे।

बी. एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान

वडोदरा में एक समर्पित हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान (एचएसआर टीआई) स्थापित किया गया है। संस्थान में वे सभी सुविधाएं होंगी जो जापान के शिन शिराकावा में ईस्ट जापान रेलवे कंपनी (जेआर ईस्ट) के हाई स्पीड प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध हैं, जैसे ड्राइवर सिम्युलेटर, ट्रैक सर्किट, बिजली आपूर्ति सहित ओएचई, नमूना ट्रैक आदि। उक्त एचएसआर टीआई एचएसआर के ज्ञान का भंडार बनने की ओर अग्रसर है और भारत में अन्य हाई स्पीड कॉरिडोर के भविष्य के विकास के लिए रीढ़ के रूप में कार्य करेगा।

एचएसआर टीआई के छात्रावास भवन का एक हिस्सा गति शक्ति विश्वविद्यालय (पूर्व में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई) के रूप में जाना जाता था) द्वारा पट्टे के आधार पर उपयोग किया जाना जारी है; और दूसरा हिस्सा एनएचएसआरसीएल द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, एचएसआर टीआई में 1510 मानव–दिवस प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, यानी नए कर्मचारियों को प्रेरण प्रशिक्षण और मौजूदा कर्मचारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

2024–25 के दौरान, प्रशिक्षण संस्थान (टीआई1 पैकेज) के निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 24% हैः

i) तीसरी मंजिल (ब्लॉक ए) तक संरचनात्मक कार्यों का पूरा होना; संरचनात्मक इस्पात और छत स्लैब कंक्रीटिंग कार्य (ब्लॉक बी); छत स्लैब तक यूटिलिटी बिल्डिंग सुपरस्ट्रक्चर कॉलम।

ii) छत स्लैब (ब्लॉक ए) के लिए शटरिंग; स्लैब के लिए फॉर्मवर्क; भूमिगत पानी की टंकी के ऊपरी स्लैब सुदृढीकरण बंधन; दोनों ब्लॉकों के लिए प्लास्टरिंग के साथ ब्लॉक कार्य; और बाहरी उपयोगिताओं के लिए समन्वय प्रगति पर है।

iii) दोनों ब्लॉकों के लिए ग्रेड स्लैब काफी हद तक पूरा हो गया है।

iv) जल आपूर्ति, ड्रेनेज पाइप, कंड्यूटिंग के लिए सामग्री आदि साइट पर पहुंचा दिए गए हैं।

प्रशिक्षण संस्थान (टीआई4 पैकेज) के लिए सिम्युलेटर जापान से प्राप्त किया जा रहा है।

टीआई2 (स्लैब ट्रैक के साथ प्रशिक्षण लाइन) और टीआई3 (168 कमरों वाले छात्रावास भवन का निर्माण) पैकेज 2019–20 के दौरान पहले ही पूरे हो चुके हैं।

पीएससी पुल (जीएडी – 11), नवसारी जिला, गुजरात का पूरा होना

सी. पॉवर सोर्सिंग गतिविधियां

आपकी कंपनी को, एक "मानद लाइसेंसधारी" के रूप में, एमएएचएसआर संरेखण के साथ गुजरात और महाराष्ट्र में बिजली आपूर्ति कंपनियों द्वारा एमएएचएसआर में विभिन्न सबस्टेशनों (कर्षण सब–स्टेशन (टीएसएस): 14 नंबर और वितरण सब–स्टेशन (डीएसएस): 15 नंबर) के लिए कनेक्टिविटी/कनेक्शन प्रदान किया गया है।

वर्ष के दौरान, गुजरात में दो ट्रांसमिशन लाइनों, अर्थात बिलिमोरा टीएसएस (लगभग 13 किमी) और आनंद डीएसएस (लगभग 18 किमी) का प्रमुख कार्य संबंधित राज्य बिजली उपयोगिता कंपनी (कंपनियों) द्वारा बे ऑग्मेंटेशन कार्यों (अर्थात 1 डीएसएस) के साथ पूरा कर लिया गया है। महाराष्ट्र में एक ट्रांसमिशन लाइन, अर्थात बोईसर टीएसएस (लगभग 15 किमी) पर काम प्रगति पर है।

31 मार्च 2025 तक, चार टीएसएस ट्रांसमिशन लाइनें (अर्थात बिलिमोरा, महेमदाबाद, वडोदरा, और साबरमती (केबल कार्य को छोड़कर)), एक डीएसएस (अर्थात आनंद) ट्रांसमिशन लाइनें, और छह बे ऑग्मेंटेशन कार्य (अर्थात गुजरात में 3 टीएसएस और 1 डीएसएस तथा महाराष्ट्र में 2 डीएसएस) पूरे हो चुके हैं।

V. अन्य हाई स्पीड रेल (एचएसआर) कॉरिडोर परियोजनाएं:

आपकी कंपनी रेलवे बोर्ड द्वारा सौंपे गए निम्नलिखित सात एचएसआर कॉरिडोरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य जारी रखे हुए है:

i) दिल्ली – वाराणसी एचएसआर (942 किमी) (लखनऊ से अयोध्या तक 124 किमी के स्पर सहित);
ii) मुंबई – नागपुर एचएसआर (765 किमी);
iii) दिल्ली – अहमदाबाद एचएसआर (878 किमी);
iv) मुंबई – हैदराबाद एचएसआर (671 किमी);
v) दिल्ली – अमृतसर एचएसआर (475 किमी);
vi) चेन्नई – मैसूर एचएसआर (464 किमी); और
vii) वाराणसी – हावड़ा एचएसआर (754 किमी)।

उपरोक्त कॉरिडोरों के संबंध में डीपीआर कार्यों को शुरू करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

ए. दिल्ली–वाराणसी एचएसआर (डीवीएचएसआर), मुंबई – नागपुर एचएसआर (एमएनएचएसआर), दिल्ली – अहमदाबाद एचएसआर (डीएएचएसआर), और मुंबई – हैदराबाद एचएसआर (एमएचएचएसआर) कॉरिडोरः

डीवीएचएसआर और एमएनएचएसआर (2021–22 में), डीएएचएसआर (2022–23 में), और एमएचएचएसआर (2023–24 में) के लिए अंतिम डीपीआर रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें 300 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए संरेखण डिजाइन को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड से प्राप्त इनपुट और फीडबैक को शामिल किया गया था। डीवीएचएसआर के लिए दो डीपीआर प्रस्तुत किए गए थे, अर्थात 300 किमी प्रति घंटे और 200 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ।

उपरोक्त चार डीपीआर को लिडार डेटा के साथ–साथ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) के आधार पर अंतिम संरेखण विवरण के साथ आंतरिक रूप से तैयार किया गया था।

बी. दिल्ली – अमृतसर एचएसआर (डीएएचएसआर), चेन्नई – मैसूर एचएसआर (सीएमएचएसआर), और वाराणसी – हावड़ा एचएसआर (वीएचएचएसआर) कॉरिडोरः

प्रारंभिक मार्ग विकास, जीएडी, यातायात सर्वेक्षण, परिचालन योजना आदि के लिए डेस्कटॉप अध्ययन कार्य के बाद अंतिम संरेखण डिज़ाइन पूरा होने के परिणामस्वरूप, डीएएचएसआर, सीएमएचएसआर और वीएचएचएसआर के लिए अंतिम डीपीआर रेल मंत्रालय को (क्रमशः जुलाई 2024, सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 में) प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें 300 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए संरेखण डिज़ाइन रखा गया है।

VI. कंपनी की वित्तीय प्रोफाइलः

ए. वित्तीय सारांश या मुख्य विशेषताओं के साथ प्रदर्शन

आपकी कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। वर्ष के दौरान, अन्य एचएसआर परियोजनाओं के डीपीआर के लिए परामर्श शुल्क के रूप में 9.30 करोड़ रुपये की परिचालन आय और 107.95 करोड़ रुपये की अन्य आय हुई है। इसके अलावा, 31 मार्च 2025 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, जिसकी राशि 55,544.23 करोड़ रुपये है।

वित्तीय प्रदर्शन संकेतकः

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	2024–25	2023–24
1.	परिचालन आय	**9.30**	127.65
2.	अन्य आय	**107.95**	129.92
3.	कर पूर्व लाभ	**76.95**	108.95
4.	कर पश्चात लाभ	**68.35**	80.15
5.	निवल मूल्य	**15,385.29**	15,319.09
6.	प्रतिधारित आय में हस्तांतरण	**66.20**	79.15

बी. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आपकी कंपनी ने 2024–25 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है, और वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 3153.43 करोड़ रुपये था (2024–25 के वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 37 देखें)।

सी. शेयर पूंजी की संरचना

आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 20,000 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार (भारत सरकार), गुजरात सरकार (गुजरात सरकार) और महाराष्ट्र सरकार (महाराष्ट्र सरकार) द्वारा क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। कंपनी ने तीन मौजूदा शेयरधारकों को उनके बजटीय आवंटन के अनुसार, विभिन्न किस्तों में उनके द्वारा संवितरित इक्विटी योगदान की राशि के अनुरूप इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, ऐसे इक्विटी योगदान की प्राप्ति के बाद तत्काल बाद आयोजित बोर्ड बैठक में।

31 मार्च 2025 तक, आपकी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 15,006 करोड़ रुपये थी, जिसका योगदान भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रेल मंत्रालय के माध्यम से (अर्थात 10,000 करोड़ रुपये – भारत के राष्ट्रपति और उनके बारह नामित व्यक्तियों के नाम पर धारित), गुजरात सरकार (अर्थात 5,000 करोड़ रुपये – गुजरात के राज्यपाल के नाम पर धारित), और महाराष्ट्र सरकार (अर्थात 6 करोड़ रुपये – महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम पर धारित) द्वारा किया गया है।

वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों और प्रतिशत परिवर्तन के बारे में विवरण के साथ–साथ अन्य इक्विटी, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी), और रेल मंत्रालय से अग्रिम 2024–25 के वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 12 से 14 के तहत दिए गए हैं।

VII. अनुपालनः

ए. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत

i) जमा

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की।

ii) अंतर–कॉर्पोरेट ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार कोई अंतर–कॉर्पोरेट ऋण (सुरक्षित या असुरक्षित) प्रदान नहीं किया है, न ही कोई निवेश किया है और न ही कोई गारंटी दी है या कोई सुरक्षा प्रदान की है।

iii) संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण

विस्तृत संबंधित पक्ष प्रकटीकरण 2024–25 के वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 34 के तहत दिए गए हैं।

iv) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई **क्रेडिट रेटिंग** प्राप्त नहीं की है।

v) 2024–25 के लिए शेयरधारकों के लिए कोई **लाभांश** अनुशंसित नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी निर्माण चरण में है, और उसने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

vi) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के **व्यवसाय की प्रकृति** में कोई बदलाव नहीं हुआ।

vii) आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई **महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं** नहीं हैं जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए हैं जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं।

viii) आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा **निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड** बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

ix) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने **विभेदक मतदान अधिकारों वाले कोई इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर और ईएसओपी** जारी नहीं किए हैं।

x) **सचिवीय मानक अनुपालन**

आपकी कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन कर रही है।

xi) जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी परियोजना के लिए जोखिम पहचान, मूल्यांकन, प्रबंधन और शमन के लिए नियमित आधार पर पर्याप्त कदम उठा रही है।

जहां तक परिसंपत्तियों और कुछ देनदारियों से जुड़े जोखिमों का संबंध है, ऐसे जोखिमों की पहचान की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है, और उक्त परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समय पर और अनुशंसित शमन उपायों को अपनाने के अलावा, बीमा कंपनियों से उक्त परिसंपत्तियों के लिए पर्याप्त मूल्य का बीमा कवर प्राप्त करके उन्हें कम किया जाता है।

वित्तीय जोखिमों के संबंध में, कंपनी द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट की एक बाहरी फर्म को नियुक्त करके पर्याप्त आंतरिक जांच और नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं, साथ ही सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ–साथ भारत के सी एंड एजी द्वारा समय–समय पर नियमित ऑडिट भी किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और सी एंड एजी लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रणों और उपायों में सुधार के लिए प्रदान की गई सिफारिशें समय–समय पर लागू की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अप्रैल 2025 में, आपकी कंपनी ने एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन नीति के विकास के लिए एओन इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड को रणनीतिक बीमा और जोखिम सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

xii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, **नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश** पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी की निरंतरता की स्थिति और संचालन को प्रभावित करता हो।

xiii) ऊर्जा संरक्षण और हरित हाई स्पीड रेल

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा लागत में बचत करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना एचएसआर में निहित है।

आपकी कंपनी ने सिविल (सी1 से सी8), डिपो (डी1 और डी2), और विद्युत (ईडब्ल्यू1) पैकेजों के तहत भवन निर्माण कार्यों की विभिन्न विद्युत एवं यांत्रिक प्रणालियों की तकनीकी विशिष्टताओं में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के प्रावधानों को आत्मसात किया है।

विद्युत खरीद समझौते के अनुसार साबरमती यात्री हब टर्मिनल पर नेट मीटरिंग कार्यों की प्रक्रियाएँ अप्रैल 2024 में पूरी हो चुकी हैं।

साबरमती, वडोदरा और सूरत जैसे 3 व्यस्त एचएसआर स्टेशनों की छत पर सौर पैनलों का प्रावधान किया गया था।

स्टेशनों, भवनों, डिपो और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए सभी विद्युत उपकरणों का चयन 2024–25 के दौरान ईसीबीसी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

xiv) प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास

आपकी कंपनी ने भारतीय तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाकर लागत प्रभावी समाधान खोजने और आत्मनिर्भर राष्ट्र की दिशा में योगदान करने के लिए हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी के संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) करने हेतु एक ट्रस्ट, अर्थात् हाई स्पीड रेलवेज़ इनोवेशन सेंटर (एचएसआर आईसी) का गठन किया है।

इस दिशा में, एचएसआर आईसी ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है जिसमें भारत और विदेश के शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों के व्यक्ति शामिल हैं, जैसे आईआईटी, आरटीआरआई और टोक्यो विश्वविद्यालय। एचएसआर आईसी शिक्षाविदों के सहयोग से पांच अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उक्त प्रत्येक परियोजना की प्रगति नीचे सारणीबद्ध की गई है:

क्रम संख्या	परियोजना	कार्यान्वयन संस्थान	प्रगति
1	एचएसआर और रेलवे अनुप्रयोगों के लिए प्रबलित मृदा (आरई) प्रतिधारण दीवार और आरई एबटमेंट का डिज़ाइन	आईआईटी गांधीनगर	परियोजना का चरण–I पूरा हो चुका है। कार्यान्वयन संस्थान की आरटीआरआई, जापान की यात्रा आयोजित की गई है। जिसके आधार पर संस्थान चरण–2 के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा।
2	विद्युत आपूर्ति के डिज़ाइन सत्यापन के लिए स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास	क) आईआईटी रुड़की	सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल का विकास पूरा हो चुका है। संस्थान द्वारा विकसित जीयूआई वर्तमान में एचएसआर आईसी द्वारा परीक्षण पर है। संयुक्त आईपीआर पर बाद में कार्रवाई की जाएगी।
		ख) आईआईटी दिल्ली	सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल का विकास, ईएन 50641 के अनुसार कोर मॉड्यूल का सत्यापन, यूजर इंटरफेस के साथ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का एकीकरण पूरा हो चुका है। विद्युत आपूर्ति सिमुलेशन सॉफ्टवेयर 'आईसिमट्रैक' विकसित किया गया है। अंतिम यूजर इंटरफेस, एकीकृत सॉफ्टवेयर का परीक्षण और सत्यापन, उपयोगकर्ता मैनुअल को अंतिम रूप देना संस्थान द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त आईपीआर पर बाद में कार्रवाई की जाएगी। सॉफ्टवेयर को भारतीय रेलवे के उपयोग के लिए भी साझा किया गया है।
		ग) आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से	परियोजना पूरी हो चुकी है। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल 'ईटीपीएसएस' विकसित किया गया है। इसे ईएन 50641 के साथ सत्यापित किया गया है।
3	डिज़ाइन सत्यापन के लिए स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास ओएचई पेंटोग्राफ इंटरेक्शन का	क) आईआईटी मद्रास का उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एएमटीडीसी)	"पोडी" नामक स्वदेशी वेब आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैंटो और ओएचई की गतिशील इंटरेक्शन के लिए विकसित किया गया है। इसे ईएन50318 के साथ सत्यापित किया गया है।

क्रम संख्या	परियोजना	कार्यान्वयन संस्थान	प्रगति
		ख) आईआईटी दिल्ली	एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर "पेंटओएचई" विकसित किया गया है और एचएसआरआईसी को सौंप दिया गया है। सिमुलेशन परिणामों को ईएन50318 के साथ सत्यापित किया गया है। आईपीआर फाइलिंग प्रगति पर है। सॉफ्टवेयर को भारतीय रेलवे के उपयोग के लिए भी साझा किया गया है।
		ग) आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे	एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर "पेंटोग्रा एफई" विकसित किया गया है और एचएसआरआईसी को सौंप दिया गया है। सिमुलेशन परिणामों को ईएन50318 के साथ सत्यापित किया गया है। सह–आवेदक एचएसआरआईसी के साथ दो पेटेंट संयुक्त रूप से दायर किए गए हैं। इन पेटेंटों के अनुदान के बाद, आईपीआर दायर किया जाएगा।
4	हाई–स्पीड रेलवे ट्रैक के लिए सीमेंट डामर मोर्टार (सीएएम) पर विस्तृत अध्ययन।	क) आईआईटी खड़गपुर	परियोजना पूरी हो चुकी है। एचएसआरआईसी और आईआईटी खड़गपुर के साथ संयुक्त आईपीआर को पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। परियोजना के परिणाम को आरटीआरआई, जापान के साथ उनकी प्रतिक्रिया के लिए साझा किया गया है।
		ख) आईआईटी मद्रास	परियोजना पूरी हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट 19 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की गई। परियोजना के परिणाम को आरटीआरआई, जापान के साथ उनकी प्रतिक्रिया के लिए साझा किया गया है।
5	हाई–स्पीड रेलवे (एचएसआर) वायडक्ट डिज़ाइन का अनुकूलन	क) आईआईटी (आईएसएम) धनबाद	वायडक्ट के डिज़ाइन में विचार के लिए जापान, यूरोप, चीन से विभिन्न रोलिंग स्टॉक का विवरण अक्टूबर 2024 में आईआईटी धनबाद को भेजा गया था। चर्चाओं के बाद, वायडक्ट डिज़ाइन के विचार के लिए रोलिंग स्टॉक भार को निम्नानुसार अंतिम रूप दिया गया: (i) ईएन 1991 के एलएम71 का 80% (चीन मॉडल), (ii) ईएन 1991 पर आधारित एचएसएलएम ए1 से ए10। (iii) जापानी पी–लोड और एच लोड। (iv) वर्तमान में विभिन्न हाई स्पीड रेल प्रणालियों पर चलने वाले प्रमुख रोलिंग स्टॉक जैसे एल्स्टॉम, वेलाराओ नोवो, ईटीआर1000, यूरोस्टार, केटीएक्स, टैल्गो आदि, जिनका अधिकतम एक्सल भार 17 टन है, को भी डिज़ाइन जांच के लिए लिया गया है। नवीनतम चर्चाओं के अनुसार 35 मीटर स्पैन और 40 मीटर स्पैन (एलएम71 लोडिंग के साथ और बिना) के लिए अद्यतन डिज़ाइन आईआईटी धनबाद द्वारा जून 2025 में प्रस्तुत किए जाएंगे। अक्टूबर 2024 और मार्च 2025 में आईआईटी धनबाद को मसौदा दिशानिर्देशों पर टिप्पणियाँ भेजी गईं। विस्तृत दिशानिर्देश संस्थान से 2025 में अपेक्षित हैं।
		ख) आईआईटी खड़गपुर	आईआईटी खड़गपुर द्वारा 40 मीटर स्पैन का मसौदा डिज़ाइन और डिज़ाइन आधार सारांश प्रस्तुत किया गया। डिज़ाइन में विचार किए जाने वाले रोलिंग स्टॉक विवरण 4 अक्टूबर 2024 को आईआईटी खड़गपुर को भेजे गए थे। आईआईटी खड़गपुर द्वारा किए गए डिज़ाइन प्रस्तुतियों पर टिप्पणियाँ और पिछली स्लाइड में बताए गए अंतिम रूप दिए गए रोलिंग स्टॉक 17 फरवरी 2025 को भेजे गए। प्रदान किए गए रोलिंग स्टॉक विवरण और विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतन डिज़ाइन संस्थान से प्रतीक्षित हैं।

क्रम संख्या	परियोजना	कार्यान्वयन संस्थान	प्रगति
		ग) आईआईटी मद्रास	डिज़ाइन में विचार किए जाने वाले रोलिंग स्टॉक विवरण 4 अक्टूबर 2024 को आईआईटी मद्रास को भेजे गए थे। अंतिम रूप दिए गए रोलिंग स्टॉक विवरण 18 फरवरी 2025 को आईआईटीएम को भेजे गए। आईआईटी मद्रास द्वारा 23 अप्रैल 2025 को अद्यतन मसौदा डिज़ाइन दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए। अंतिम रोलिंग स्टॉक विवरण के अनुसार सुपरस्ट्रक्चर और विशिष्ट सबस्ट्रक्चर का मसौदा डिज़ाइन संस्थान से प्रतीक्षित है।

वर्ष के दौरान, सलाहकार परिषद की एक बैठक सितंबर 2024 में आयोजित की गई थी, जिसमें अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की गई थी।

बी. कंपनी को वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 157 के तहत **राष्ट्रपति का कोई निर्देश** प्राप्त नहीं हुआ है।

सी. सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

आपकी कंपनी ने कंपनी में एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करके सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के प्रावधानों को अक्षरशः और भावना से लागू किया है, और अपीलीय प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी को नामित किया है।

उक्त अधिकारियों के विवरण सहित आवश्यक अद्यतन जानकारी / विवरण, आरटीआई अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं। एनएचएसआरसीएल आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के तहत अपनी वेबसाइट पर सक्रिय प्रकटीकरण के माध्यम से सूचित नागरिकता बनाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। आपकी कंपनी आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के साथ त्रैमासिक विवरण दाखिल करती है।

आरटीआई प्रश्न आमतौर पर डीपीआर, भर्ती और एचएसआर परियोजना के बारे में सामान्य जानकारी से संबंधित होते हैं और आमतौर पर निर्धारित समय के भीतर उनका जवाब दिया जाता है। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी 224 आवेदन (21 अपील आवेदनों सहित) निपटाए गए हैं।

VIII. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तताः

बोर्ड ने अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय खुलासों की समय पर तैयारी शामिल है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उसके आकार, पैमाने और संचालन की जटिलताओं के अनुरूप है।

IX. सूचना प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोगः

ए. पीएमआईएस के क्षेत्र में

एमएएचएसआर परियोजना एक मेगा लीनियर रेल परिवहन परियोजना है जिसमें सिविल और अन्य इंजीनियरिंग जटिलताएं, अंतर्निहित अंतर–निर्भरताओं को कवर करने वाली बड़ी संख्या में गतिविधियां शामिल हैं। परियोजना से डिजाइन, चित्र, निरीक्षण के लिए अनुरोध (आरएफआई), पत्र आदि सहित बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डेटा उत्पन्न होने की भी उम्मीद है।

इसलिए, एमएएचएसआर परियोजना की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए, आपकी कंपनी ने आंतरिक वित्तीय और मानव संसाधन (एचआर) मॉड्यूल के साथ एकीकृत एक एकीकृत डिजिटल प्रबंधन सूचना प्रणाली या परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) लागू की है, जिसमें दस्तावेजों/डेटा का केंद्रीकृत प्रबंधन होता है। सभी हितधारक/उपयोगकर्ता (अर्थात ठेकेदार, पीएमसी एजेंसियां, नियोक्ता, सलाहकार) पीएमआईएस के समान मंच पर काम कर रहे हैं, और साइट और अन्य कार्यालयों से वास्तविक समय के आधार पर सिस्टम/प्रक्रियाओं को अपडेट करते हैं। साइट से या यात्रा के दौरान पहुंच और काम करने में सक्षम बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया गया है।

पूर्ण एकीकृत पीएमआईएस प्रणाली में डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर, और एचआर, वित्त, पेरोल, खरीद आदि

जैसे ईबीएस मॉड्यूल शामिल हैं। 2024–25 के दौरान, वित्त और आई–एक्सपेंस मॉड्यूल पूरी तरह से चालू कर दिए गए हैं; और सेवा खरीद मॉड्यूल के साथ पेरोल मॉड्यूल भी शुरू किए गए हैं।

बी. प्रणालियों, आईटी अवसंरचना आदि के क्षेत्र में

आपकी कंपनी आईटी अवसंरचना के उन्नयन, नवीनतम आईटी प्रौद्योगिकियों को अपनाने और समग्र साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। इस दिशा में, 2024–25 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं:

i) विभिन्न आईटी सुरक्षा नीतियों जैसे नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी, ईमेल पॉलिसी, सॉफ्टवेयर और पैच प्रबंधन पॉलिसी आदि का ऑडिट मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) द्वारा जुलाई 2024 में पूरा कर लिया गया है।

ii) अप्रैल 2024 में एमएएचएसआर के विभिन्न साइटों पर कार्यों की निगरानी के उद्देश्य से कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में एक निर्दिष्ट कमांड कंट्रोल सेंटर कक्ष की स्थापना।

iii) नवंबर 2024 में एनएचएसआरसीएल की इंट्रानेट वेबसाइट का आंतरिक विकास और परिनियोजन।

X. मानव संसाधन (एचआर):

जनशक्ति किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कंपनी की मानव संसाधन नीतियां सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने का लक्ष्य रखती हैं। कर्मचारियों की भर्ती सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), मेट्रो कंपनियों, निजी क्षेत्र से की गई है, या वे आमतौर पर केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों और केंद्रीय/राज्य पीएसयू आदि से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं।

आपकी कंपनी की जनशक्ति की संख्या 31 मार्च 2024 को 389 (71 प्रतिनियुक्त कर्मचारियों सहित) की तुलना में 31 मार्च 2025 को बढ़कर 485 (72 प्रतिनियुक्त कर्मचारियों सहित) हो गई।

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करना जारी रखा, इसके अलावा विभिन्न अन्य कल्याणकारी उपाय जैसे कर्मचारियों के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किए गए वर्कस्टेशन और लम्बर सपोर्ट वाली कुर्सियाँ; कार्यस्थल पर कम शोर और धूल मुक्त वातावरण; कर्मचारियों के लिए पूल परिवहन; आदि।

आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों को सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत यौन उत्पीड़न और कार्यस्थलों पर महिलाओं के शोषण के मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा, एक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पॉश अधिनियम और साझा पालन–पोषण पर एक सूचनात्मक सत्र आयोजित किया गया है। 2024–25 के दौरान, कंपनी की किसी भी महिला कर्मचारी से पॉश के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई शिकायत 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है। आपकी कंपनी पॉश अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक विवरण दाखिल करती है। इसके अलावा, कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों का भी पालन कर रही है।

स्थापना दिवस के अवसर पर, कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई और उन्हें पुरस्कृत किया गया। कंपनी के सभी परियोजना कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह से जुड़े थे। जेआईसीए और जापान दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

खेल आयोजन और अंतर–संगठन बैडमिंटन चैंपियनशिप (डीएमआरसी, एनसीआरटीसी और राइट्स के बीच)

वर्ष के दौरान, कंपनी के कर्मचारियों के लिए बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस आदि जैसे विभिन्न इनडोर और आउटडोर खेल भी आयोजित किए गए, इसके अलावा अंतर–संगठन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भागीदारी भी की गई। इसके अतिरिक्त, टीमवर्क को बढ़ावा देने और मन, शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत करने हेतु कर्मचारियों ने मैराथन आदि में भी भाग लिया।

कंपनी द्वारा 2024–25 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम:

i) जापान रेलवे टेक्निकल सर्विस (जार्ट्स) ने 4 और प्रशिक्षण और प्रमाणन (टी एंड सी) पाठ्यक्रम आयोजित और पूरे किए हैं। 31 मार्च 2025 तक पूरे किए गए संचयी टी एंड सी पाठ्यक्रम 13 (योजनाबद्ध 15 में से) हैं, जिसमें 486 से अधिक कर्मियों को विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें साइट प्रबंधकों का प्रशिक्षण; आरसी ट्रैक बेड का निर्माण; ट्रैक स्लैब का निर्माण; संदर्भ पिन सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण; रेल वेल्ड रफ, फाइनल फिनिशिंग और परीक्षण; मोटर कार संचालन के लिए सुरक्षा; आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त नियोजित 15 प्रशिक्षण और प्रमाणन (टी एंड सी) पाठ्यक्रम और सलाहकार सेवाएँ जार्ट्स के साथ 2021–22 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अनुसरण में हैं, जिसमें जापानी ट्रैक प्रौद्योगिकी में जापानी विशेषज्ञों द्वारा 1000 से अधिक इंजीनियरों/पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण का प्रावधान है, ताकि स्थल पर प्रशिक्षित जनशक्ति सुनिश्चित की जा सके।

वर्ष की समाप्ति के बाद, अप्रैल 2025 में एक और टी एंड सी पाठ्यक्रम (अर्थात रेल वेल्डिंग तकनीशियन (ईए)) पूरा हो चुका है।

ii) कंपनी को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के माध्यम से जापान ओवरसीज कोऑपरेशन वॉलंटियर्स (जेओसीवी) कार्यक्रम से प्रायोजन प्राप्त हुआ है, ताकि कर्मचारियों के बीच जापानी भाषा की बुनियादी समझ को सुविधाजनक बनाया जा सके। उक्त कार्यक्रम के तहत, कर्मचारियों को उनकी भाषाई यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए एक समर्पित जापानी भाषा शिक्षक नियुक्त किया गया है। इन कक्षाओं को प्रतिभागियों को आवश्यक भाषा कौशल और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि से सुसज्जित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है।

2024–25 के दौरान, 16 एचएसआर पायलटों ने उत्साहपूर्वक जापानी भाषा की कक्षाओं में भाग लिया।

iii) 'भावनात्मक तनाव को जानना और चुनौतियों पर काबू पाना'; 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता'; 'साइबर सुरक्षित'; फिडिक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम; आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।

रेल वेल्डिंग (ईए), टी एंड सी पाठ्यक्रम, जापान

पीओएसएच और साझा पालन–पोषण पर सत्र

XI. सतर्कता:

सतर्कता विभाग का नेतृत्व एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं, जिनकी सहायता चार सदस्यों की एक टीम करती है।

आपकी कंपनी ने दिन–प्रतिदिन के संचालन का समर्थन करने और निम्नलिखित मामलों में डिजिटल रिकॉर्ड रखने में वृद्धि करने के लिए एक समर्पित सतर्कता व्यवसाय पोर्टल (बीपी) विकसित किया है, जैसे कर्मचारी मास्टर, आईपीआर सूची और आईपीआर की जांच, शिकायत मामले और प्रणालीगत सुधार, और एनएचएसआरसीएल अधिकारियों की सतर्कता स्थिति के संबंध में मानव संसाधन विभाग के साथ इंटरफेस आदि। इन पहलों ने सतर्कता विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही में उल्लेखनीय सुधार किया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान, आपकी कंपनी ने सीवीसी द्वारा सुझाए गए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर जागरूकता फैलाने के लिए विशेष पहल की, जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता; व्यवस्थित सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन; दिशानिर्देशों/नियमावली/परिपत्रों का अद्यतन; शिकायतों का निपटान; और एक गतिशील डिजिटल उपस्थिति बनाए रखना। आपकी कंपनी ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पर सूचना के प्रसार और नैतिक प्रथाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़े पैमाने पर दृश्यता और जन अपील वाली विभिन्न आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया, जैसे खेल आयोजन (अर्थात वॉकथॉन, क्रिकेट स्प्रिंट रेस), "राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति" विषय पर नारा लेखन प्रतियोगिता आदि।

कंपनी के अधिकारियों द्वारा लिखित "रेड हेरिंग" विषय पर एक लेख अक्टूबर 2024 में आपकी कंपनी के न्यूज़लेटर में प्रकाशित हुआ था। उक्त लेख ने एक चेतावनी के रूप में कार्य किया, जिसमें कार्य निष्पादन के दौरान सतर्कता पर जोर दिया गया और नैतिक प्रथाओं को बनाए रखने में विभाग की भूमिका को सुदृढ़ किया गया।

XII. लोगो, पुरस्कार और मान्यताः

2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

क) गवर्नेंस नाउ द्वारा आयोजित 11वें पीएसयू पुरस्कार 2024 की दो श्रेणियों में, अर्थात् राष्ट्र निर्माण की दिशा में 'अवसंरचना विकास में उत्कृष्टता' और मानव संसाधन (एचआर) की दिशा में 'सीखने और विकास में उत्कृष्टता'। ये पुरस्कार 28 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रस्तुत किए गए।

ख) 'व्यवसाय–उन्मुख' श्रेणी में, मई 2024 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय रेलवे समाधान (आईआरएस) जिसका शीर्षक "आईआरएस 60660 – हाई–स्पीड ट्रेनों की तकनीकी संगतता सुनिश्चित करने के उपाय" है, को अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ (यूआईसी) द्वारा आयोजित चौथे यूआईसी रेलवे प्रकाशन उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में मान्यता मिली। यह पुरस्कार आईआरएस 60660 मानक के मसौदे में योगदान के लिए था, जिसे जापान, चीन, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन जैसे पांच अन्य देशों के हाई–स्पीड रेल ऑपरेटरों के दो साल के सहयोगात्मक प्रयास से विकसित किया गया था। यह मानक हाई–स्पीड ट्रेनों के लिए बुनियादी तकनीकी विशिष्टताओं को निर्दिष्ट करता है, जिसमें यूरोपीय और जापानी हाई–स्पीड ट्रेन प्रणाली दोनों की आवश्यकताएं शामिल हैं। पुरस्कार समारोह 15 अक्टूबर 2024 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था।

गवर्नेंस नाउ 11वां पीएसयू पुरस्कार 2024

भारतीय कंक्रीट पुरस्कार 2024

ग) कंक्रीट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ठेकेदार (अर्थात एल एंड टी) और इंजीनियर (अर्थात टीसीएपी) के साथ संयुक्त रूप से 'प्रीकास्ट कंक्रीट के साथ सर्वश्रेष्ठ परियोजना' पुरस्कार 2024 की श्रेणी में। यह पुरस्कार बुलेट ट्रेन परियोजना के अभिनव डिजाइन और तीव्र निर्माण विधियों, विशेष रूप से फुल स्पैन बॉक्स गर्डर्स के उपयोग के लिए था, जो रेलवे बुनियादी ढांचे में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। यह पुरस्कार 28 सितंबर 2024 को कोच्चि में आयोजित एक समारोह में प्रस्तुत किया गया।

आपकी कंपनी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों आदि में भाग लेती है। 2024–25 के दौरान, कंपनी ने नवंबर 2024 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में रेलवे पवेलियन के हिस्से के रूप में प्रस्तावित मुंबई एचएसआर स्टेशन के निर्माणाधीन मॉडल का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने अक्टूबर 2024 में गुजरात में अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024, और नवंबर 2024 में लखनऊ में इनोरैल 2024 में भी भाग लिया।

आईआईटीएफ 2024 – प्रस्तावित मुंबई एचएसआर स्टेशन मॉडल

अर्बन मोबिलिटी इंडिया प्रदर्शनी 2024, गांधीनगर, गुजरात

XIII. विजन और मिशनः

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित को अपनी विजन और मिशन के रूप में अपनाया है:

ए. विजन

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के विकास के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक हाई स्पीड रेल सेवाएं मुहैया करना।

बी. मिशन

i) ग्राहकों के लिए एक दक्ष, सुरक्षित, संधारणीय और विश्वसनीय परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराना।

ii) अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल यातायात की अवसंरचना के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक–दूसरे से जोड़ना।

iii) हाई स्पीड रेल तकनीक के समावेशीकरण, स्वदेशीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

XIV. बोर्ड समितियाँः

ए. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से 'सीएसआर समिति' नामक एक बोर्ड स्तरीय 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति' का गठन किया है। उक्त समिति को एक नोडल अधिकारी और उनकी टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

सीएसआर समिति, उसकी संरचना, बैठकों में उपस्थिति, सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियाँ आदि के विवरण '2024–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट' में दिए गए हैं, जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है, और इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक – 2** के रूप में संलग्न है।

बी. नवीनीकृत / डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समिति

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने फरवरी 2025 में, एक नई बोर्ड स्तरीय 'नवीनीकृत / डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समिति' का गठन किया है, जिसका उद्देश्य उन प्रमाणपत्रों के स्थान पर नवीनीकृत / डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना है जो विकृत, खो गए या नष्ट हो गए हैं, कटे–फटे, पुराने, जीर्ण–शीर्ण, घिसे हुए हैं, या जिनके पीछे स्थानांतरण दर्ज करने के लिए पृष्ठों का विधिवत उपयोग हो चुका है।

उक्त समिति की संरचना में श्री विवेक प्रकाश त्रिपाठी, निदेशक वित्त एवं सीएफओ, अध्यक्ष के रूप में, डॉ. प्रणय प्रभाकर, पीईडी/इन्फ्रा, रेलवे बोर्ड, और अंशकालिक निदेशक, एनएचएसआरसीएल; और श्री आलोक कटियार, निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली) सदस्य के रूप में, तथा सुश्री सुमीता शर्मा, कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में शामिल हैं। 2024–25 के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

सी. अन्य समितियाँ

आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित, एक संयुक्त उद्यम असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का होना आवश्यक नहीं है।

परिणामस्वरूप, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित धारा 177 और 178 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति और लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हितधारक संबंध समिति (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत) का गठन भी लागू नहीं है क्योंकि कंपनी में 1000 से कम सदस्य/शेयरधारक हैं।

तदनुसार, कंपनी में इन तीनों में से कोई भी समिति नहीं हैं।

XV. कॉर्पोरेट गवर्नेंसः

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सही भावना का पालन करती है और पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक परिचालन पद्धतियों और पेशेवर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके सर्वोत्तम शासन पद्धतियों को लागू करती है।

XVI. निदेशक मंडलः

ए. बोर्ड की संरचना

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च 2025 तक, कंपनी में निदेशकों के निम्नलिखित बारह पद कार्यरत हैं:

i) पूर्णकालिक निदेशकों के सात पद (अर्थात प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएं), निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली), निदेशक (रोलिंग स्टॉक), निदेशक (कार्य), और निदेशक (परिवहन, सुरक्षा और विपणन))।

ii) रेल मंत्रालय (भारत सरकार) से नामित निदेशकों के तीन पद (अंशकालिक अध्यक्ष सहित)।

iii) भागीदार राज्य सरकारों से नामित निदेशकों के दो पद, अर्थात गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार से एक–एक।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करने के बाद ही सभी निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के बोर्ड में की जाती है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बादः

i) गुजरात के एक नामित निदेशक (अर्थात श्री के.एम. पटेल) 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हुए, और उनके स्थान पर एक नए पदाधिकारी (अर्थात श्री जे. ए. गांधी) 12 जून 2025 से आपकी कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए हैं।

ii) रेलवे बोर्ड के दिनांक 11 और 17 जुलाई 2025 के पत्र के अनुसार, श्री विवेक कुमार गुप्ता ने प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार सौंप दिया है, और श्री अंजुम परवेज, निदेशक (परियोजनाएं), ने 17 जुलाई 2025 को अपने स्वयं के कर्तव्यों के अतिरिक्त, प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

बी. निदेशकों का पारिश्रमिक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आपकी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक सरकार द्वारा जारी उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार, औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) / केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के तहत पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

भारत सरकार और भागीदार राज्य सरकारों द्वारा नामित निदेशक, निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि संबंधित सरकार(सरकारों) से सरकारी अधिकारियों के रूप में केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के तहत अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

सी. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सभी पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को कंपनी के बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक घोषित किया गया है।

डी. बोर्ड बैठकें और उपस्थिति

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 2024–25 के दौरान चार (4) बार बैठक की, अर्थात 25 जून 2024, 21 अगस्त 2024, 5 दिसंबर 2024, और 20 फरवरी 2025 को।

उपर्युक्त बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के संबंध में निदेशकों और कंपनी सचिव के उपस्थिति विवरण के साथ निदेशक मंडल में परिवर्तन इस प्रकार हैंः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम उपस्थित
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित (30.09.2024 को आयोजित)	
i)	<u>निदेशक:</u>				
1.	सतीश कुमार (डीआईएन–10769725) सीआरबी और सीईओ, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा नामित) (दिनांक 5 सितंबर 2024 से प्रभावी)	2	2	हाँ
2.	अंजुम परवेज (डीआईएन–06682287)	प्रबंध निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं) (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ
3.	विवेक प्रकाश त्रिपाठी (डीआईएन–10216466)	निदेशक (वित्त) (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ
4.	आलोक कटियार (डीआईएन–10299139)	निदेशक (विद्युत और प्रणाली) (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	नहीं
5.	संदीप श्रीवास्तव (डीआईएन–10298843)	निदेशक (रोलिंग स्टॉक) (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ
6.	प्रमोद शर्मा (डीआईएन–06573986)	निदेशक (कार्य) (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम उपस्थित
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित (30.09.2024 को आयोजित)	
7.	विकास चौबे (डीआईएन – 10703652)	निदेशक (परिवहन, सुरक्षा और विपणन) (पूर्णकालिक निदेशक) (24 जुलाई 2024 से प्रभावी)	3	3	हाँ
8.	अन्विता सिन्हा (डीआईएन–09670512) कार्यकारी निदेशक / स्थापना (राजपत्रित संवर्ग), रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित)	4	3	हाँ
9.	डॉ. प्रणय प्रभाकर (डीआईएन–10546309) प्रधान कार्यकारी निदेशक / अवसंरचना, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित)	4	4	हाँ
10.	संजय जगदीशचंद्र सेठी (डीआईएन–02235406) अपर मुख्य सचिव (परिवहन और बंदरगाह), महाराष्ट्र सरकार	अंशकालिक निदेशक (महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित)	4	1	नहीं
11.	विवेक कुमार गुप्ता (डीआईएन–10423972)	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) (5 फरवरी 2024 से 17 जुलाई 2025 तक पद पर रहे)	4	4	हाँ
12.	किरीतकुमार मगनलाल पटेल (डीआईएन – 02280141) पूर्व मुख्य अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण) और अपर सचिव तथा विशेष सचिव, सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात सरकार के पद का अतिरिक्त प्रभार धारण किए हुए	अंशकालिक निदेशक (गुजरात सरकार द्वारा नामित) (15 फरवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक पद पर रहे)	1	0	लागू नहीं
13.	हरेशकुमार चंदूलाल मोदी (डीआईएन – 08626316) पूर्व मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) और अपर सचिव, सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात सरकार	अंशकालिक निदेशक (गुजरात सरकार द्वारा नामित) (12 नवंबर 2021 से 30 जून 2024 तक पद पर रहे)	1	1	लागू नहीं
14.	जया वर्मा सिन्हा (डीआईएन–09295401) पूर्व सीआरबी और सीईओ, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा नामित) (1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक पद पर रहे)	2	2	लागू नहीं
15.	प्रभातकुमार रमनलाल पटेलिया (डीआईएन – 06480313), पूर्व विशेष सचिव, सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात सरकार	अंशकालिक निदेशक (गुजरात सरकार द्वारा नामित) (3 सितंबर 2024 से 10 फरवरी 2025 तक पद पर रहे)	1	0	हाँ
ii)	**कंपनी सचिवः**				
16.	सुमीता शर्मा	कंपनी सचिव	4	4	हाँ

XVII. आचार और नैतिकता संहिता:

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल के लिए 1 जून 2018 से प्रभावी एक आचार और नैतिकता संहिता लागू की है, जिसमें आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य–संबंधी मुद्दों और दुविधाओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन निहित है। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सभी सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

XVIII. साधारण सभा की बैठकें:

ए. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प (यदि कोई हो)
2023–24 (8वीं एजीएम)	30 सितंबर 2024	1100 बजे	समिति कक्ष संख्या– 237, रेल भवन, नई दिल्ली	नहीं
2022–23 (7वीं एजीएम)	29 सितंबर 2023	1300 बजे	समिति कक्ष संख्या– 237, रेल भवन, नई दिल्ली	नहीं
2021–22 (6वीं एजीएम)	22 दिसंबर 2022	1700 बजे	समिति कक्ष संख्या– 237, रेल भवन, नई दिल्ली	हाँ

बी. वर्ष 2024–25 के दौरान कोई असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित नहीं की गई है।

सी. चालू वर्ष के लिए एजीएम – कंपनी की 2024–25 के लिए वार्षिक आम बैठक (9वीं) निम्नलिखित विवरणों के अनुसार आयोजित की जानी निर्धारित है:

दिन – मंगलवार
दिनांक – 16 सितंबर 2025
समय – 1230 बजे
स्थान – रेल भवन, नई दिल्ली

XIX. कंपनी की वेबसाइट:

आपकी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.nhsrcl.in है। कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी, जिसमें व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, परियोजना की तकनीकी विवरण (परियोजना की स्थिति सहित), एसआईए / आरएपी और आईपीपी रिपोर्ट, निविदा विवरण, साबरमती मल्टीमॉडल परिवहन हब के बारे में विवरण, विभिन्न रिक्तियां और ऐसी रिक्तियों के परिणाम आदि, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं (अंग्रेजी भाषा के अलावा) जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी और जापानी में उपलब्ध हैं।

कंपनी का वार्षिक रिटर्न 'वार्षिक रिपोर्ट' शीर्षक के तहत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है –https://www.nhsrcl.in/hi/ about-us/ annual-report.

XX. लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के लिए 2024–25 हेतु निम्नलिखित लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं:

ए. मैसर्स दीवान पी. एन. चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा 2024–25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बी. मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, को कंपनी द्वारा 2024–25 के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट करने हेतु कंपनी सचिव लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सी. मैसर्स अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, को कंपनी द्वारा 2024–25 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने हेतु आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

XXI. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

i) वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने के लिए उचित और विवेकपूर्ण थे;

iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए, और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

iv) वार्षिक खाते चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं; और

v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।

XXII. अभिन्न रिपोर्टें:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित नियमों के साथ पठित, निम्नलिखित रिपोर्टें / दस्तावेज प्रासंगिक अनुलग्नकों के साथ इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग हैं, और उन्हें यहाँ क्रमांकित परिशिष्टों के रूप में रखा गया है:

ए.	2024–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट	अनुलग्नक – 2
बी.	सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट	अनुलग्नक – 3

इसके अतिरिक्त, सीएजी से प्राप्त टिप्पणियाँ और उन पर प्रबंधन का उत्तर, यदि कोई हो, भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

XXIII. आभार:

हम भारत सरकार और जापान सरकार; भारतीय मंत्रालयों / विभागों (अर्थात रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालय, नीति आयोग, आर्थिक कार्य विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)); गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों; भारत और जापान के राजदूतों और दूतावासों; जेट्रो के अधिकारियों; जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए); जापान अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार (जेआईसी); जेआर ईस्ट; और विभिन्न मीडिया चैनलों को कंपनी को उनके निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

हम कंपनी के सभी कर्मचारियों को कंपनी के प्रति उनके समर्पण और निष्ठा के लिए भी अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

(अंजुम परवेज)	**(विवेक प्रकाश त्रिपाठी)**
प्रबंध निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं)	**निदेशक वित्त**
(डीआईएनः 06682287)	**(डीआईएनः 10216466)**

दिनांकः 21.07.2025

स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक–1

एमएएचएसआर जेआईसीए पैकेज की सूची – 31.03.2025 तक

क्र. सं.	अनुबंध पैकेज	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	आवंटन की तिथि
1	सी1	महाराष्ट्र राज्य में बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एमएएचएसआर किमी –0.255 से किमी 0.775 तक मुंबई भूमिगत स्टेशन, कट एंड कवर टनल और शाफ्ट–1 के लिए डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे हेतु डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर सिविल और भवन कार्यों का डिज़ाइन और निर्माण, जिसमें परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है।	मेसर्स एमईआई एलएचसीसी संयुक्त उद्यम	13 मार्च 2023
2	सी2	महाराष्ट्र राज्य में बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स (एमएएचएसआर किमी 0.773) में मुंबई भूमिगत स्टेशन और शिलफाटा (एमएएचएसआर किमी 21.150) के बीच टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) का उपयोग करके डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए टनलिंग कार्यों का निर्माण, जिसमें परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है।	एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	13 मई 2023
3	सी3	महाराष्ट्र राज्य में शिलफाटा और महाराष्ट्र–गुजरात सीमा पर ज़ारोली के बीच एमएएचएसआर किमी 21.150 से एमएएचएसआर किमी 156.600 तक (ठाणे डिपो को छोड़कर) डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर सिविल और भवन कार्यों का डिज़ाइन और निर्माण, जिसमें वायडक्ट और पुल (स्टील ट्रस गर्डर घटकों के निर्माण और परिवहन को छोड़कर), रखरखाव डिपो, सुरंगें, अर्थ स्ट्रक्चर्स और स्टेशन (ठाणे, विरार और बोईसर) शामिल हैं, साथ ही परीक्षण और कमीशनिंग भी शामिल है।	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एल एंड टी)	19 जुलाई 2023
4	सी4	महाराष्ट्र–गुजरात सीमा पर ज़ारोली गाँव (एमएएचएसआर किमी 156.600) और वडोदरा (एमएएचएसआर किमी 393.700) के बीच डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर सिविल और भवन कार्यों का डिज़ाइन और निर्माण, जिसमें वायडक्ट, पुल, रखरखाव डिपो, स्टेशन (वापी, बिलिमोरा, सूरत और भरूच), और सूरत डिपो शामिल हैं, साथ ही परीक्षण और कमीशनिंग भी शामिल है, जिसमें 04 पीएससी पुलों और 06 स्टील ट्रस पुलों के कार्य शामिल नहीं हैं, जो गुजरात राज्य और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश में हैं।	एल एंड टी	28 अक्टूबर 2020
5	सी5	गुजरात राज्य में एमएएचएसआर किमी 393.700 और एमएएचएसआर किमी 401.898 के बीच डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर सिविल और भवन कार्यों का डिज़ाइन और निर्माण, जिसमें वडोदरा स्टेशन, कन्फर्मेशन कार बेस, वायडक्ट और पुल, क्रॉसिंग पुल और संबंधित कार्य शामिल हैं, साथ ही परीक्षण और कमीशनिंग भी शामिल है।	एल एंड टी	07 जनवरी 2022
6	सी6	गुजरात राज्य में वडोदरा (एमएएचएसआर किमी 401.898) और अहमदाबाद (एमएएचएसआर किमी 489.467) के बीच डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर सिविल और भवन कार्यों का डिज़ाइन और निर्माण, जिसमें वायडक्ट और पुल, क्रॉसिंग पुल, रखरखाव डिपो और स्टेशन (आनंद / नडियाद) शामिल हैं, साथ ही परीक्षण और कमीशनिंग भी शामिल है, जिसमें 01 पीएससी पुल और 04 स्टील ट्रस पुलों के कार्य शामिल नहीं हैं।	एल एंड टी	18 नवम्बर 2020

क्र. सं.	अनुबंध पैकेज	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	आवंटन की तिथि
7	सी7	गुजरात राज्य में एमएएचएसआर किमी 489.467 और एमएएचएसआर किमी 507.599 के बीच डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर सिविल और भवन कार्यों का डिज़ाइन और निर्माण, जिसमें अहमदाबाद स्टेशन, साबरमती स्टेशन, वायडक्ट और पुल, क्रॉसिंग पुल (स्टील ट्रस गर्डरों के निर्माण और परिवहन को छोड़कर) और संबंधित कार्य शामिल हैं, साथ ही परीक्षण और कमीशनिंग भी शामिल है।	इरकॉन दिनेश चंद्र संयुक्त उद्यम	02 नवम्बर 2021
8	सी8	गुजरात राज्य में एमएएचएसआर किमी 507.599 और एमएएचएसआर किमी 509.726 के बीच साबरमती में डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर डिपो के लिए सिविल और भवन कार्यों का डिज़ाइन और निर्माण, जिसमें साइट निर्माण, एबटमेंट, रिटेनिंग वॉल, ट्रैक के लिए रोडबेड, बॉक्स कल्वर, सड़कें, केबल डक्ट, ओएचई मास्ट के फाउंडेशन, पाइपिंग, ड्रेनेज, जल आपूर्ति, जल संचयन, अग्निशमन, लैंडस्केपिंग, बाउंड्री वॉल, जनरल इंस्पेक्शन ट्रेन शेड, रखरखाव डिपो और अन्य संबंधित कार्य शामिल हैं।	एससीसी–वीआरएस (जेवी)	04 फरवरी 2022
9	पी1(बी)	महाराष्ट्र–गुजरात सीमा पर ज़ारोली गाँव (एमएएचएसआर किमी 156.600) और वडोदरा (एमएएचएसआर किमी 393.700) के बीच डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए 04 पीएससी पुलों (जीएडी 9, 10, 11 और 1441) और 07 स्टील ट्रस पुलों (जीएडी 68, 1134, 12, 61, 14, 15 और 62) का निर्माण (स्टील ट्रस गर्डरों के निर्माण और परिवहन को छोड़कर), जो गुजरात राज्य और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश में हैं।	एम.जी. कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	23 अगस्त 2021
10	पी1(सी)	गुजरात राज्य में वडोदरा (एमएएचएसआर किमी 401.898) और अहमदाबाद (एमएएचएसआर किमी 489.467) के बीच डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए 01 पीएससी पुल (जीएडी 33) और 04 स्टील ट्रस पुलों (जीएडी 28, 1967, 31 और 32) का निर्माण (स्टील ट्रस गर्डरों के निर्माण और परिवहन को छोड़कर)।	एम.जी. कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	26 अगस्त 2021
11ए	पी4(एक्स)	हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए सड़कों / नदियों / रेलवे / अन्य संरचनाओं को पार करने वाले 11 पुलों (जीएडी 66, 69, 2, 58, 8, 1134, 28, 1967, 32, 42 और लॉन्ड्री) के लिए स्टील ट्रस सुपरस्ट्रक्चर की बियरिंग के साथ कार्यशाला में खरीद, निर्माण, चेक–असेंबली और पेंटिंग तथा विभिन्न पुल स्थलों तक परिवहन।	मेसर्स एल एंड टी–आईएचआई कंसोर्टियम	25 जनवरी 2021
11बी	पी4(वाई)	हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए सड़कों / नदियों / रेलवे / अन्य संरचनाओं को पार करने वाले 17 पुलों (जीएडी 65, 1, 57, 67, 3, 6, 68, 12, 61, 14, 15, 62, 31, 37, 2357–3, 54 और 55 और डीजल शेड) के लिए स्टील ट्रस सुपरस्ट्रक्चर की बियरिंग के साथ कार्यशाला में खरीद, निर्माण, चेक–असेंबली और पेंटिंग तथा विभिन्न पुल स्थलों तक परिवहन।	मेसर्स एल एंड टी–आईएचआई कंसोर्टियम	25 जनवरी 2021
12	पीएमसी – सिविल	सिविल कार्य पैकेजों के निर्माण के लिए पीएमसीएस हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध।	टीसीईएल–सीईजीएल–आरवी एसोसिएट्स – पाडेको कंपनी लिमिटेड (टीसीएपी) का संयुक्त उद्यम	17 जून 2021

क्र. सं.	अनुबंध पैकेज	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	आवंटन की तिथि
13	टी2	महाराष्ट्र–गुजरात सीमा पर ज़ारोली गाँव (एमएएचएसआर किमी 156.600) और गुजरात राज्य तथा दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश में वडोदरा (एमएएचएसआर किमी 393.700) के बीच डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर ट्रैक और ट्रैक संबंधी कार्यों, जिसमें परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है, का डिज़ाइन, आपूर्ति और निर्माण।	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	24 दिसंबर 2021
14	टी3	वडोदरा (एमएएचएसआर किमी 393.700) और एमएएचएसआर के साबरमती डिपो के बीच डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर ट्रैक और ट्रैक संबंधी कार्यों, जिसमें परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है, का डिज़ाइन, आपूर्ति और निर्माण।	एल एंड टी	28 अप्रैल 2022
15	डी1	महाराष्ट्र राज्य में सिविल कार्य, भवन कार्य, निरीक्षण शेड, रखरखाव डिपो, और रखरखाव सुविधाओं की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, तथा अन्य संबंधित कार्यों सहित ठाणे डिपो का डिज़ाइन और निर्माण।	मेसर्स दिनेशचंद्र डीएमआरसी जेवी	15 जनवरी 2024
16	डी2	गुजरात राज्य में डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर कार्यशाला, निरीक्षण शेड, विभिन्न भवनों, रखरखाव सुविधाओं और संबंधित कार्यों सहित साबरमती डिपो का डिज़ाइन, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	मेसर्स सोजित्ज़–एल एंड टी कंसोर्टियम	12 जनवरी 2024
17	आर1(पीएस)	रोलिंग स्टॉक और सामान्य निरीक्षण ट्रेन से संबंधित प्रारंभिक सर्वेक्षण।	मेसर्स एचके कंसोर्टियम	18 अगस्त 2022
18	पीएमसी–टीआरएस	ट्रैक और रोलिंग स्टॉक पैकेज (टी–1, टी–2, टी–3, आर–1, डी–2, आईएम–1, टीआई–4) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएँ।	मेसर्स जेआईसी कंसोर्टियम	20 अगस्त 2022
19	पीएमसी–सलाहकार सेवाएँ	निर्माण चरण के लिए डिज़ाइन संबंधी सलाहकार सेवाएँ।	मेसर्स जेआईसी कंसोर्टियम	25 मई 2022
20	टीआई1	वडोदरा में प्रशिक्षण संस्थान भवनों (चरण–II) के निर्माण के लिए डिज़ाइन और निर्माण कार्य।	बी एल कश्यप एंड संस लिमिटेड	12 अप्रैल 2023
21	टीआई2	स्लैब ट्रैक के साथ प्रशिक्षण लाइन के निर्माण के लिए डिज़ाइन और निर्माण कार्य।	मेसस टीएसटीएफटीएस जेवी	06 सितंबर 2017
22	टीआई3	प्रशिक्षण संस्थान के आवास (चरण–I) के निर्माण के लिए डिज़ाइन और निर्माण कार्य।	क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड	15 जनवरी 2018
23	टीआई4	रखरखाव के लिए स्पेयर पार्ट्स और संबंधित कार्यों सहित डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर प्रशिक्षण सिमुलेटर के डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति और परीक्षण व कमीशनिंग के लिए अनुबंध।	मित्सुबिशी प्रिसिजन कंपनी लिमिटेड	14 जुलाई 2022
24	पीएमसी–टीआई	प्रशिक्षण संस्थान (ट्रैक स्लैब और छात्रावास भवन) के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएँ।	मेसर्स जेआईसीटी एनकेसी–ओजीसी जेवी	28 सितंबर 2017

क्र. सं.	अनुबंध पैकेज	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	आवंटन की तिथि और टिप्पणी
25ए	ईडब्ल्यू1	डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर प्रशिक्षण संस्थान में इन प्रणालियों और संबंधित उपकरणों के लिए संबद्ध भवनों के साथ 2 x25 केवी विद्युत आपूर्ति विद्युतीकरण प्रणाली (कर्षण सबस्टेशन, ओवरहेड उपकरण और एमवी/एलवी विद्युत वितरण उपकरण) का डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	मेसर्स सोजित्ज़–एल एंड टी कंसोर्टियम	12 जनवरी 2024
25बी	ईडब्ल्यू1 (पीएस)	ईडब्ल्यू1 बोली प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक सेवाएँ।	जापान हाई स्पीड रेल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (जेई)	27 दिसंबर 2022
25सी	डीए जेई	ओसीसी डिज़ाइन अनुबंध, उत्पादन और निर्माण अनुबंध और पीएमसी अनुबंध के लिए जेई द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।	जेई	20 मार्च 2023
26	टी1	महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स (एमएएचएसआर 0.255 किमी) में मुंबई स्टेशन और ज़ारोली गाँव (एमएएचएसआर 156.6 किमी) के बीच डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर ट्रैक और ट्रैक संबंधी कार्यों, जिसमें परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है, का डिज़ाइन, आपूर्ति और निर्माण।	–	–
27	आर1 (मेन)	रखरखाव के लिए स्पेयर पार्ट्स और संबंधित कार्यों सहित डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर रोलिंग स्टॉक के डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति और परीक्षण व कमीशनिंग।	–	–
28	आईएम1 (एक्स) और (वाई)	ट्रैक, सुरंग, पुल, ओएचई, अन्य मशीनों और संबंधित कार्यों के लिए निरीक्षण और रखरखाव कार के डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति और परीक्षण व कमीशनिंग को डिज़ाइन–बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर दो अलग–अलग लॉट आईएम 1(एक्स) और आईएम 2 (वाई) में।	–	–

अनुलग्नक–2

सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट 2024–25

1. कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरणः

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, कंपनी समाज के उत्थान और बेहतरी के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी नैतिकता, समावेशन, पारदर्शिता और शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने का प्रयास करती है। कंपनी देश में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करती है।

सीएसआर नीति का उद्देश्य हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम–आधारित और प्रभाव–उन्मुख तरीके से कार्य करना है। समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें उन जिलों के निवासियों के लिए काम करने को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कंपनी कार्यरत है या उससे सटे जिलों में।

कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के चयन के लिए एक प्रणाली स्थापित की है, जिसके तहत क्षेत्रीय स्तर के कार्यालय हितधारकों के साथ बातचीत के बाद स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सीएसआर प्रस्ताव की सिफारिश कर सकते हैं।

सीएसआर परियोजना – स्वयं सहायता समूहों की स्थापना, गुजरात

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (एक अंशकालिक निदेशक की अध्यक्षता में) का गठन किया है। उक्त सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर एजेंडा की निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए सभी गतिविधियों की देखरेख करती है।

उक्त बोर्ड स्तरीय समिति को एक नोडल अधिकारी और उनकी टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। श्री निशांत सिंघल, महाप्रबंधक/खरीद, और नोडल अधिकारी सीएसआर, सभी सीएसआर परियोजनाओं को लागू करने में सीएसआर समिति की सहायता करते हैं, और सीएसआर समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

2024–25 के दौरान, सीएसआर समिति की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की दो (2) बार बैठक हुई, अर्थात 20 अगस्त 2024 को और 29 नवंबर 2024 को। उक्त दो बैठकों में सीएसआर समिति के सदस्यों की संरचना और उपस्थिति विवरण निम्नानुसार हैं:

सीएसआर परियोजना – क्लासरूम और एक रैंप का निर्माण, एएडी, आईआईटी रुड़की, उत्तराखंड

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / एनएचएसआरसीएल में निदेशन की प्रकृति	सदस्य के रूप में कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित
1	अन्विता सिन्हा (डीआईएन – 09670512) कार्यकारी निदेशक/स्थापना (राजपत्रित संवर्ग), रेलवे बोर्ड	नामित निदेशक और अध्यक्ष, सीएसआर समिति (2024–25 के दौरान)	2	2
2	विवेक प्रकाश त्रिपाठी (डीआईएन – 10216466)	निदेशक वित्त और सीएफओ और सदस्य, सीएसआर समिति (2024–25 के दौरान)	2	2
3	अंजुम परवेज (डीआईएन – 06682287)	निदेशक परियोजनाएं और सदस्य, सीएसआर समिति (2024–25 के दौरान)	2	2

सुश्री सुमीता शर्मा, कंपनी सचिव (और समिति के सचिव) के साथ सीएसआर नोडल अधिकारी कंपनी की उपरोक्त दोनों सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थित रहे।

3. **वेब–लिंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं:**

क) सीएसआर समिति की संरचना और कंपनी द्वारा की गई बोर्ड अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं – https://nhsrcl.in/hi/about-us/latest-social-initiatives.

ख) सीएसआर नीति (समय–समय पर संशोधित) –

https://nhsrcl.in/sites/default/files/2023-01/Amended%20CSR%20Policy.pdf

4. कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के **प्रभाव मूल्यांकन** के वेब–लिंक सहित कार्यकारी सारांश कंपनी पर लागू नहीं है।

5. (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का **संशोधित औसत शुद्ध लाभ** 84,05,42,879.41/– रुपये है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, कंपनी के **औसत शुद्ध लाभ का संशोधित 2%** 1,68,10,858/– रुपये है (जिसमें 2024–25 में समायोजित करने के लिए उपलब्ध 7,92,347/– रुपये शामिल हैं)।

सीएसआर परियोजना – नवसारी जिला, गुजरात में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना

(ग) कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7(2) के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों से सीएसआर परियोजनाओं से कोई **अधिशेष** उत्पन्न नहीं हुआ है।

(घ) कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7(3) के अनुसार, 2024–25 के लिए **समायोजित** की जाने वाली राशि रु. 7,92,347/– है।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए **कुल सीएसआर दायित्व** रु. 1,60,18,511/– [(अर्थात (ख) + (ग) – (घ)] है।

6. (क) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं (चल रही परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के अलावा दोनों) पर खर्च की गई राशि। : रु. 1,60,18,511/– (रु. 7,92,347 को छोड़कर समायोजन के रूप में दावा किया गया)

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : 0 (शून्य)

(ग) प्रभाव आंकलन पर खर्च की गई राशि : लागू नहीं

(घ) 2024–25 के लिए कुल सीएसआर राशि खर्च की गई [(क)+(ख)+(ग)] : रु. 1,60,18,511/–

(ङ) 2024–25 के लिए सीएसआर राशि के खर्च या बिना खर्च किए गए विवरण:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि (रु. में)	अव्ययित राशि				
	धारा 135(6) के अनुसार बिना खर्च किए गए सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित की गई राशि		
	राशि (रु. में)	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
34,13,378	1,26,05,133	17 फरवरी 2025	–शून्य–		

सीएसआर परियोजना – शक्ति किट का वितरण, गुजरात

7. **पिछले तीन वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं** के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण (वित्तीय वर्ष 2024–25 में खर्च की गई):

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू हुई और परियोजना का संक्षिप्त विवरण	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि / बिना खर्च किए गए सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई (रु. में)	धारा 135(6) के तहत बिना खर्च किए गए सीएसआर खाते में राशि			धारा 135(6) के तहत आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली बिना खर्च किए गए सीएसआर खाते में शेष राशि – 31.03.2025 तक ((5) – (6))	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि	कमी	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / प्रगति पर
			01.04.2024 को (रुपये में)	2024–25 के दौरान व्यय (रुपये में)	संचयी व्यय 31.03.2025 तक (रुपये में)				
1	वि.व. 1 – 2021–22: सीएसआर–3 अनुश्रुति एकेडमी फॉर द डेफ, आईआईटी रुड़की परिसर में क्लासरूम्स और रैंप का निर्माण।	48,50,000	4,85,000	48,50,000	48,50,000	0	–	–	पूर्ण
2	वि.व. 2 – 2022–23	2024–25 तक कोई सीएसआर परियोजना जारी नहीं रही							
3	वि.व. 3 – 2023–24:								
	सीएसआर–9 एएडी, आईआईटी रुड़की परिसर में ऑडिटोरियम में प्रकाश, ध्वनि प्रणाली, साज–सज्जा सीसीटीवी कैमरे और अग्निशामक यंत्रों की स्थापना।	18,49,314	18,49,314	12,94,520	12,94,520	5,54,794	–	–	प्रगति पर[1]
	सीएसआर–10 गुजरात के सूरत, नवसारी और भरूच जिलों में एक–एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना।	49,32,892	49,32,892	49,32,892	49,32,892	0	–	–	पूर्ण
	सीएसआर–11 महाराष्ट्र के पालघर जिले में आश्रम विद्यालय छात्रावासों के लिए स्वच्छतागृह का निर्माण।	33,93,545[2]	33,93,545	23,75,481	23,75,481	10,18,064[2]	–	–	प्रगति पर[2]
	सीएसआर–12 गुजरात के नवसारी जिले में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना।	18,29,364	18,29,364	18,29,364	18,29,364	0	–	–	पूर्ण
	कुल	**1,68,55,115**	**1,24,90,115**	**1,09,17,257**	**1,52,82,257**	**15,72,858**	–		

टिप्पणी:

1. *सीएसआर–9 – कार्य के दायरे में संशोधन के साथ परियोजना की समय–सीमा 31.08.2025 तक बढ़ाई गई।*
2. *सीएसआर–11 – लागत में संशोधन (रु. 33,93,545 से रु. 31,62,460 तक) के साथ परियोजना की समय–सीमा 31.08.2025 तक बढ़ाई गई। लागत में संशोधन से हुई रु. 2,31,085/– की बचत पीएम केयर्स फंड में योगदान की जाएगी।*

8. वित्तीय वर्ष 2024–25 (पिछले वित्तीय वर्षों सहित) में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि खर्च करके बनाई या अधिग्रहित की गई परिसंपत्ति(यों) से संबंधित विवरणः

(क) परिसंपत्ति निर्माण – 2024–25 के दौरान पूर्णः

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण (पूरे पते और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड	निर्माण की तिथि	2024–25 के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि (रु. में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण	
					नाम और सीएसआर पंजीकरण संख्या	पंजीकृत पता
i)	आईआईटी रुड़की परिसर में अनुश्रुति एकेडमी फॉर द डेफ (एएडी) में छह क्लासरूम और पहली मंजिल के कोरिडोर को जोड़ने के लिए एक रैंप। पताः एएडी, आईआईटी रुड़की परिसर, रुड़की, उत्तराखंड (परियोजना आईडीः CSR–3)	247667	क) क्लासरूम्सः 31.05.2024 ख) रैंपः 31.03.2025	4,85,000	आईआईटी रुड़की सीएसआर सं. सीएसआर–00003687	अनुश्रुति एकेडमी फॉर द डेफ, आईआईटी रुड़की परिसर, रुड़की, उत्तराखंड – 247667
ii)	सूरत, नवसारी और भरूच जिलों, गुजरात में लागत प्रभावी सैनिटरी नैपकिन के उत्पादन के लिए तीन स्वयं सहायता समूह, प्रत्येक जिले में एक। पताः क) माँ खोडियार सखी मंडल, 126, दूसरी मंजिल, पुराना अहीरवास, पंचायत भवन के पीछे, नियॉल, तालुका पलसाना, जिला सूरत, गुजरात ख) साईंनाथ सखी मंडल, ग्राम पंचायत केसली के ऊपर, ग्राम केसली, तालुका गंदेवी, जिला नवसारी, गुजरात ग) शिव शक्ति मंडल, मदरसा इस्लामिया के ऊपर, पादर फाड़ियु, देहगाम तालुका, जिला भरूच, गुजरात (परियोजना आईडीः CSR–10)	क) 394325 ख) 396360 ग) 392160	क) 10.01.2025 ख) 13.09.2024 ग) 11.10.2024	49,32,892	माँ खोडियार सखी मंडल सीएसआर सं. – लागू नहीं (एनए) साईंनाथ सखी मंडल सीएसआर सं. – एनए शिव शक्ति मंडल सीएसआर सं. – एनए	126, दूसरी मंजिल, पुराना अहिरवास, पंचायत भवन के पीछे, नियोल, तालुका पलसाना, जिला सूरत – 394325, गुजरात ग्राम पंचायत केसली के ऊपर, ग्राम केसली, तालुका गंदेवी, जिला नवसारी – 396360, गुजरात मदरसा इस्लामिया के ऊपर, पादर फाड़ियु, देहगाम तालुका, जिला भरूच – 392160, गुजरात

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण (पूरे पते और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड	निर्माण की तिथि	2024–25 के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि (रु. में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण	
					नाम और सीएसआर पंजीकरण संख्या	पंजीकृत पता
(iii)	नवसारी जिले, गुजरात के निम्नलिखित नौ (9) सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने के लिए उपकरण। पताः		03.01.2025	18,29,364		
	(1) अमरी प्राथमिक विद्यालय, ग्राम अमरी, तालुका और जिला नवसारी, गुजरात (यूडीआईएसई कोडः 24240400201)	(1) 396445			अमरी प्राथमिक विद्यालय सीएसआर सं. – एनए	ग्राम अमरी, तालुका और जिला नवसारी – 396445
	(2) खडसुपा प्राथमिक विद्यालय, ग्राम खडसुपा, तालुका और जिला नवसारी, गुजरात (यूडीआईएसई कोडः 24240402301)	(2) 396443			खडसुपा प्राथमिक विद्यालय सीएसआर सं. – एनए	ग्राम खडसुपा, तालुका और जिला नवसारी – 396443
	(3) प्राथमिक विद्यालय पाटी, ग्राम पाटी, तालुका गंदेवी, जिला नवसारी, गुजरात (यूडीआईएसई कोडः 24240206402)	(3) 396360			प्राथमिक विद्यालय पाटी सीएसआर सं. – एनए	ग्राम पाटी, तालुका गंदेवी, जिला नवसारी – 396360
	(4) केसली प्राथमिक विद्यालय, ग्राम केसली, तालुका गंदेवी और जिला नवसारी, गुजरात (यूडीआईएसई कोडः 24240203903)	(4) 396360			केसली प्राथमिक विद्यालय सीएसआर सं. – एनए	ग्राम केसली, तालुका गंदेवी और जिला नवसारी – 396360
	(5) खेरगाम प्राथमिक विद्यालय, ग्राम खेरगाम, तालुका गंदेवी, जिला नवसारी, गुजरात (यूडीआईएसई कोडः 24240604217)	(5) 366040			खेरगाम प्राथमिक विद्यालय सीएसआर सं. – एनए	ग्राम खेरगाम, तालुका गंदेवी, जिला नवसारी – 396040
	(6) नासिलपुर प्राथमिक विद्यालय, ग्राम नासिलपुर, तालुका और जिला नवसारी, गुजरात (यूडीआईएसई कोडः 24240403201)	(6) 396424			नासिलपुर प्राथमिक विद्यालय सीएसआर सं. – एनए	ग्राम नासिलपुर, तालुका और जिला नवसारी – 396424
	(7) विरवाड़ी प्राथमिक विद्यालय, ग्राम विरवाड़ी, तालुका और जिला नवसारी, गुजरात (यूडीआईएसई कोडः 24240406201)	(7) 396427			विरवाड़ी प्राथमिक विद्यालय सीएसआर सं. – एनए	ग्राम विरवाड़ी, तालुका और जिला नवसारी – 396427
	(8) वेजलपुर प्राथमिक विद्यालय, ग्राम वेजलपुर, तालुका और जिला नवसारी, गुजरात (यूडीआईएसई कोडः 24240406001)	(8) 396475			वेजलपुर प्राथमिक विद्यालय सीएसआर सं. – एनए	ग्राम वेजलपुर, तालुका और जिला नवसारी – 396475
	(9) पार्थन प्राथमिक विद्यालय, ग्राम पार्थन, तालुका और जिला नवसारी, गुजरात (यूडीआईएसई कोडः 24240403702) (परियोजना आईडीः सीएसआर–12)	(9) 396475			पार्थन प्राथमिक विद्यालय सीएसआर सं. – एनए	ग्राम पार्थन, तालुका और जिला नवसारी – 396475

(ख) परिसंपत्ति निर्माण – 2024–25 के दौरान प्रगति पर:

i) परियोजना आईडीः सीएसआर–9 –आईआईटी रुड़की (सीएसआर पंजीकरण संख्या सीएसआर 00003687), कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से अनुश्रुति एकेडमी फॉर द डेफ (एएडी), आईआईटी रुड़की परिसर, उत्तराखण्ड–247667, में (क) सुरक्षा और संरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमक यंत्रों की स्थापना के साथ–साथ सभागार में प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और साज–सज्जा और (ख) स्टेबलाइजर सहित पाँच एसी की खरीद और स्थापना का काम किया जाएगा। पूँजीगत परिसंपत्ति एएडी के नाम पर निहित होगी।

ii) परियोजना आईडीः सीएसआर–11 – पालघर जिले, महाराष्ट्र में ग्राम दमनगांव (लड़कों के लिए) और ग्राम (लड़कियों के लिए) में स्वच्छता उद्देश्य के लिए आश्रम स्कूल छात्रावास हेतु दो स्वच्छतागृहों का निर्माण, पृथ्वीसंग्राम ग्रामविकास, कार्यान्वयन एजेंसी (सीएसआर पंजीकरण संख्या सीएसआर00010032) के माध्यम से। पूंजीगत परिसंपत्ति संबंधित स्कूल(लों) के नाम पर निहित होगी।

(ग) परिसंपत्ति निर्माण – 2024–25 से पहले पूरा हुआ:

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण (पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड	निर्माण की तिथि	2024–25 के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि (रु. में)	पंजीकृत मालिक की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण	
					नाम और सीएसआर पंजीकरण संख्या	पंजीकृत पता
(iii)	दो खाद्य वितरण वाहन, एक–एक अहमदाबाद और वडोदरा जिलों, गुजरात में। पताः आर.एस. नंबर – 1104, अहमदाबाद डेंटल कॉलेज के सामने, भादज–कड़ी रोड, संतेज, ता–कलोल, गांधीनगर, गुजरात (परियोजना आईडीः सीएसआर–6)	382115	क) अहमदाबादः –13.10.2023 ख) वडोदराः –13.10.2023	22,90,000	अक्षय पात्र फाउंडेशन सीएसआर नंबर – सीएसआर00000286	हरे कृष्णा हिल, वेस्ट ऑफ कॉर्ड रोड, राजाजीनगर, बेंगलुरु, कर्नाटक – 560010

9. कारण(ण), यदि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है: लागू नहीं

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

(अंजुम परवेज)	(अन्विता सिन्हा)	(विवेक प्रकाश त्रिपाठी)
प्रबंध निदेशक और परियोजना निदेशक	अंशकालिक निदेशक	वित्त निदेशक और सीएफओ
और सदस्य, सीएसआर समिति	और अध्यक्ष, सीएसआर समिति	और सदस्य, सीएसआर समिति
(डीआईएनः 06682287)	(डीआईएनः09670512)	(डीआईएनः10216466)

दिनांकः 21.07.2025
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक – 3

CS वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज़

मुख्य कार्यालय :
105, चार्म्स सॉलिटेयर, अहिंसा खंड–2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद–201014, यू.पी.
दूरभाष : +91–0120–4272409
मोबाइल : +91–9910091070, 9711670085
ईमेल : vapassociatespcs@gmail.com

प्रपत्र – एमआर 3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण,
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
5वीं से 7वीं मंजिल, टॉवर डी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

हमने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएनः U60200DL2016GOI291002) (जिसे इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

क. कंपनी की पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों और विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष ('लेखा परीक्षा अवधि') को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक, उस तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन मौजूद हैं:

ख. हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों और विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं था और कंपनी द्वारा कोई बाहरी वाणिज्यिक उधार नहीं लिया गया था);**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है);**

(vi) कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के विभिन्न विभागों के प्रमुखों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर, जो कंपनी के सचिवीय विभाग को प्रस्तुत किए गए हैं, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने उन अधिनियमों के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं, जिनमें पर्यावरण कानून और श्रम कानून शामिल हैं।

ग. हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की हैः

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) और आम बैठकों (एसएस–2) से संबंधित कंपनी सचिवीय मानक ('एसएस')।

(ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है)।**

घ. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है।

ङ. **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि**

i) कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

ii) सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स सामान्यतः कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

iii) बोर्ड बैठकों और समिति बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, जैसा भी मामला हो।

च. **हम आगे रिपोर्ट करते हैं** कि प्रदान की गई जानकारी और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

छ. **हम आगे रिपोर्ट करते हैं** कि प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान उपरोक्त उल्लिखित कानूनों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्य नहीं थे।

नोटः

यह रिपोर्ट हमारी समान तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए जो "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

वीएपी एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
एफआरएनः P2023UP098500
पीयर रिव्यू संख्याः 1083/2021

पारुल जैन
मैनेजिंग पार्टनर
एम. संख्याः F8323
सी.पी. संख्याः 13901
यूडीआईएनः F008323G000844620

दिनांकः 21.07.2025
स्थानः गाजियाबाद

अनुलग्नक – ए

कंपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,

सदस्यगण,
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
5वीं से 7वीं मंजिल, टॉवर डी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. कंपनी सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन कंपनी सचिवीय अभिलेखों की शुद्धता पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया जो कंपनी सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी सचिवीय अभिलेख में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
4. हमारी लेखा परीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा किए जाने वाले लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने उसी से संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता के साथ–साथ निर्दिष्ट कानूनों के तहत कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न खुलासों और विवरणियों में रिपोर्ट किए गए मूल्यों और आंकड़ों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया है, हालांकि हमने ऐसी विवरणियों में प्रस्तुत जानकारी पर कुछ हद तक भरोसा किया है।
6. लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों द्वारा कंपनी के अनुपालन की इस लेखा परीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि उन्हीं की सांविधिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा की गई है और इस रिपोर्ट की सामग्री को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखा परीक्षक(कों) / एजेंसियों / प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत / प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट(टों) में, यदि कोई हो, टिप्पणियों के साथ मिलकर पढ़ा जाना चाहिए न कि उनसे अलग।
7. आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखा परीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत बयान या महत्वपूर्ण गैर–अनुपालन का पता नहीं चल सकता है, भले ही लेखा परीक्षा को लेखा परीक्षा पद्धतियों के अनुसार ठीक से योजनाबद्ध और निष्पादित किया गया हो।
8. जहां आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
9. कंपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों का संचालन कितनी प्रभावकारिता या प्रभावशीलता से किया गया है, इसका आश्वासन है।

वीएपी एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
एफआरएनः P2023UP098500
पीयर रिव्यू संख्याः 1083/2021

पारुल जैन
मैनेजिंग पार्टनर
एम. संख्याः F8323
सी.पी. संख्याः 13901
यूडीआईएनः F008323G000844620

दिनांकः 21.07.2025
स्थानः गाजियाबाद

वित्तीय विवरण

दीवान पी. एन. चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट
विंडसर ग्रैंड, 15वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 1सी, सेक्टर–126, नोएडा–201303, यू.पी. भारत
फोनः +91–120–6456999, ई–मेलः audit@dpncindia.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

राय

हमने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) और उस वर्ष समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और 31 मार्च, 2025 को कंपनी की स्थिति, और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके लाभ, कुल व्यापक आय, (इक्विटी में परिवर्तन) और इसके नकदी प्रवाह का भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां अनुभाग में आगे किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के साथ–साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

महत्वपूर्ण विषय पर जोर

1. हम वित्तीय विवरणों में नोट 14.2.1 और 35(बी)(iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके तहत कंपनी और रेल मंत्रालय के बीच ईएपी निधि से संबंधित नियम और शर्तें इन वित्तीय विवरणों की तिथि तक विचाराधीन हैं। संबंधित नियमों और शर्तों के अंतिम रूप दिए जाने तक, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक प्राप्त ईएपी निधि को "वित्तीय देनदारियां – गैर–चालू" शीर्षक के तहत प्रस्तुत किया है और कंपनी ने रेल मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2020/पदतिं/8/5 दिनांक 02–11–2023 में तय शर्तों के आधार पर ब्याज प्रदान किया है।

2. हम वित्तीय विवरणों के नोट 12.4 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो एसोसिएशन के अनुच्छेद 26 के खंड के तहत निर्धारित महाराष्ट्र सरकार से इक्विटी अंशदान की कमी को रेखांकित करता है। यह खंड कंपनी के प्रवर्तकों के बीच यह अनिवार्य करता है कि किसी भी समय भारत सरकार का हिस्सा 26% से कम नहीं होगा और महाराष्ट्र सरकार/गुजरात सरकार का 10% से कम नहीं होगा। हालांकि, तुलन पत्र की तिथि पर महाराष्ट्र सरकार ने कुल शेयरधारिता का केवल 0.04% अंशदान किया है और एसोसिएशन के अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित शेष अंशदान अभी तक नहीं किया गया है।

3. हम वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 35(बी)(ii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बताता है कि कंपनी अपने परियोजनाओं के लिए सरकार और निजी पक्षों से नियमित रूप से भूमि का अधिग्रहण करती है और मालिकों को मौद्रिक मूल्यों में मुआवजा देती है। निजी पक्षों के मामले में, कंपनी भूमि और आर एंड आर भुगतान के लिए कंपनी की नीति के अनुसार नई संपत्ति की बाद की खरीद पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। नई संपत्ति की बाद की खरीद पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट जिसमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयरधारक जानकारी (इसके बाद "रिपोर्ट" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। रिपोर्टें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते हुए, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या ऑडिट में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जो सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली तात्विक गलत बयानी से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आंकलन करने, लागू होने पर, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और चालू व्यवसाय के लेखांकन आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को परिसमाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली तात्विक गलत बयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक तात्विक गलत बयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे तात्विक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पूरे ऑडिट के दौरान व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों की तात्विक गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और आंकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली तात्विक गलत बयानी का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।
- ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम यह व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के

पास एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से काम कर रहे हैं।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई तात्विक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कंपनी को एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह निर्धारित करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।

तात्विकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानी का वह परिमाण है जो, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान की गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तात्विकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ, अन्य बातों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिनकी हमने अपने ऑडिट के दौरान पहचान की है।

हम शासन के प्रभारी व्यक्तियों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संप्रेषित करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित रूप से प्रभाव डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य मामला

1. सांविधिक लेखा परीक्षा अपेक्षित दस्तावेज/जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करके आयोजित की गई थी। कंपनी ने हमें ई–मेल और कंपनी के रिमोट सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी/रिकॉर्ड/दस्तावेज/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए हैं:–

   क) आवश्यक रिकॉर्ड/दस्तावेज विलेख, प्रमाण पत्र और संबंधित रिकॉर्ड की स्कैन की गई प्रतियां जो कंपनी के ई–मेल या रिमोट सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई गई हैं; और

   ख) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर संवाद और चर्चा, ई–मेल और इसी तरह के संचार चैनलों के माध्यम से पूछताछ करके।

   प्रबंधन द्वारा यह भी बताया गया है कि हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया गया डेटा और जानकारी सही, पूर्ण, विश्वसनीय है और कंपनी की लेखांकन प्रणाली से सीधे उत्पन्न हुई है, रिकॉर्ड और फाइलों से निकाली गई है, बिना किसी और मैन्युअल संशोधन के ताकि इसकी अखंडता, प्रामाणिकता, पठनीयता और पूर्णता बनी रहे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट/अन्य रिपोर्ट (जैसा लागू हो) की हमारी समीक्षा के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऐसी ऑडिट प्रक्रिया पर्याप्त नहीं होगी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (5) के संदर्भ में, हम **"अनुलग्नक ए"** में अनुपालन प्रस्तुत करते हैं।
2. कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित, जो भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में जारी किया गया है, हम **"अनुलग्नक बी"** में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले पर विवरण प्रस्तुत करते हैं, जहां तक लागू हो।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, सिवाय नियम 11(ह) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ (h)(vi) में बताए गए मामलों को छोड़कर।

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों से सहमत हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) 'क्या कोई निदेशक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है' के संबंध में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।

(च) अधिनियम की धारा 197 को अनुसूची ट के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधान 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट **"अनुलग्नक सी"** में देखें।

(ज) कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के नोट 35(ख) देखें;

ii. कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक अनुबंध, जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध शामिल हैं, नहीं थे जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित नुकसान थे।

iii. कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।

iv. (क) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट्स में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, को या उनमें कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हैं) अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी गई है या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की चीज़ प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट्स में खुलासा किया गया है, कंपनी को किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हैं) प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की चीज़ प्रदान करेगी; और

(ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माने गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (v) और (vv) के तहत दिए गए अभ्यावेदनों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा पुस्तकें बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग किया है, जिनमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा

को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और वही सॉफ्टवेयर सिस्टम में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित हुई है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण सामने नहीं आया और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

दीवान पी. एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000472N

संदीप दहिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या 505371
यूडीआईएनः 25505371BMHZJM7869

दिनांकः 21.07.2025
स्थानः नोएडा

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध, जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खंड के पैराग्राफ 1 में संदर्भित है।

क्र. सं.	निर्देश	लेखा परीक्षक के उत्तर
I.	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, चाहे वे सूचीबद्ध हों या असूचीबद्ध, के उचित मूल्यांकन का आंकलन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन करना, इंड एएस के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेगा, जिसमें किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्टिंग की जाएगी।	प्रबंधन द्वारा सूचित किए अनुसार, कंपनी ने सेवानिवृत्ति के बाद के कर्मचारी लाभों के लिए क्रमशः ग्रेच्युटी और मेडिकल फंडों के प्रबंधन हेतु एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट और एनएचएसआरसीएल मेडिकल ट्रस्ट नामक अलग–अलग ट्रस्ट स्थापित किए हैं, और खातों की पुस्तकें अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन हैं।
II.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली स्थापित है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के निहितार्थों को खातों की सत्यनिष्ठा पर, यदि कोई हो, वित्तीय निहितार्थों के साथ बताया जा सकता है।	हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, हमें यह मानने का कोई ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया है कि कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली स्थापित नहीं है। हमारी लेखा परीक्षा और प्रासंगिक अभिलेखों की जांच के आधार पर, नमूना और परीक्षण जांच के आधार पर, हम इस राय के हैं कि सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं और खातों की सत्यनिष्ठा पर कोई वित्तीय निहितार्थ हमारे द्वारा नोट नहीं किया गया।
III.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि (अनुदान/सब्सिडी आदि) को लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया था और क्या प्राप्त निधियों का उपयोग उसके नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान के नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया है। विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई। अतः, संवितरण के नियमों और शर्तों के अनुसार प्राप्त निधियों के लेखांकन/उपयोग के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है।
IV.	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित रूप से मूल्यांकन किया गया है?	प्रबंधन द्वारा सूचित किए अनुसार, जोखिम प्रबंधन नीति लेखा परीक्षा अवधि के दौरान तैयारी के चरण में है।
V.	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सर्ट–इन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का जहां भी लागू हो, अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जा सकता है।	प्रबंधन द्वारा सूचित किए अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार, नियामक प्राधिकरण, सर्ट–इन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के नियम/विनियम कंपनी पर लागू नहीं हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रावधान कंपनी पर लागू हैं और नमूना और परीक्षण जांच के आधार पर समीक्षा की गई जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर, गैर–अनुपालन का कोई उदाहरण नहीं देखा गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–बी

(हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ – 1 में संदर्भित।)

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांचे गए खाते की पुस्तकों और अन्य अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

(i) (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पूर्ण विवरण सहित मात्रात्मक विवरण और स्थिति दर्शाने वाले उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(ख) प्रबंधन ने उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया है और ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं। हमने सभी भूमि (चाहे कंपनी या ठेकेदार के नियंत्रण में हो) के सत्यापन के लिए निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं पर भी भरोसा किया है।

(ग) संपत्ति कर रसीदों और उस भूमि के पट्टा समझौते की हमारी जांच के आधार पर जिस पर भवन का निर्माण किया गया है, हमें प्रदान किए गए पंजीकृत बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/कन्वेंस विलेख के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, स्व–निर्मित भवनों के संबंध में शीर्षक और अन्य सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते विधिवत पट्टेदार के पक्ष में निष्पादित किए गए हैं) के शीर्षक विलेख, जो वित्तीय विवरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत प्रकट किए गए हैं, तुलन पत्र की तिथि पर कंपनी के नाम पर धारित हैं, सिवाय नीचे बताए गए के:

संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपये में)	शीर्षक विलेख के नाम पर धारित	क्या शीर्षक विलेख धारक एक प्रवर्तक, निदेशक या उनके संबंधी या कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
भूमि– फ्रीहोल्ड	3,14,006.49	परियोजना प्रभावित व्यक्ति	नहीं	'	स्वामित्व का हस्तांतरण प्रक्रिया में है
भूमि– फ्रीहोल्ड	38,359.32	गुजरात सरकार	हाँ	'	स्वामित्व का हस्तांतरण प्रक्रिया में है
भवन	44,583.58	एनबीसीसी	नहीं	20–02–2025	कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए एनबीसीसी से एक संपत्ति खरीदी है, शीर्षक विलेख का निष्पादन प्रक्रिया में है

फ्रीहोल्ड भूमि में विभिन्न परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और सरकारी विभागों से अधिग्रहित भूमि शामिल है जिसे विभिन्न तिथियों पर अधिग्रहित किया गया है, इसलिए ऐसे अधिग्रहण के लिए तिथि–वार प्रकटीकरण इंगित नहीं किया गया है।

नोट: संपत्ति की उन मदों को छोड़कर जहां शीर्षक हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और न ही पट्टा समझौता हस्ताक्षरित किया जाएगा, केवल उपयोग के अधिकार की अनुमति प्राप्त की गई है।

(घ) कंपनी वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों सहित) या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर रही है, इसलिए पैराग्राफ 3 (1) (डी) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ङ) प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर, कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए, इसलिए पैराग्राफ 3 (1) (ई) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ii) (क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) खाते की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं और कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के पास दायर त्रैमासिक रिटर्न या विवरण कंपनी के खाते की पुस्तकों से सहमत हैं।

(iii) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित प्रकृति के ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं, न ही कोई निवेश किया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है। तदनुसार, आदेश के खंड (iii) (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(iv) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कोई ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुपालन को आकर्षित करता हो। तदनुसार, आदेश के खंड (iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(v) कंपनी ने कोई जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है; इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(v) लागू नहीं है।

(vi) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जैसा कि समझाया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है।

(vii) (क) हमारी राय में, कंपनी ने आम तौर पर वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उस पर लागू होने वाली अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताओं को उचित अधिकारियों के पास जमा करने में नियमितता बरती है।

31 मार्च 2025 तक वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं के संबंध में कोई अविवादित देय राशि बकाया नहीं थी जो देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए हो।

(ख) खाते की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, उपरोक्त उपखंड (ए) में संदर्भित कोई भी बकाया किसी विवाद के कारण जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(viii) खाते की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कोई ऐसा लेनदेन नहीं है जो खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकट किया गया है, इसलिए खंड 3 (viii) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ix) (क) खाते की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमारी राय में, ऋणों या अन्य उधारियों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके कारण किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(x)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(x)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) (ग) हमारी राय में, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(घ) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म ए.डी.टी.–4 में केंद्र सरकार के पास दायर नहीं की गई है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं है।

(xiii) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर और हमारी राय में, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, जहां लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखापरीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xvi) (क) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां नहीं की हैं।

(ग) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है और तदनुसार सीआईसी के मानदंडों को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी नहीं है और इसलिए खंड 3 (xvi) (डी) कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार यह खंड लागू नहीं है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति की उम्र और अपेक्षित तिथियों तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियां कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दी जाएंगी।

(xx) (क) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत चल रही परियोजनाओं के अलावा कोई भी राशि खर्च नहीं की गई है। अतः, आदेश के खंड (xx) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत चल रही परियोजना के लिए खर्च न की गई राशि रु. 168.11/– लाख उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

दीवान पी. एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000472N

संदीप दहिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या 505371
यूडीआईएनः25505371BMHZJM7869

दिनांकः 21.07.2025
स्थानः नोएडा

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सम–दिनांकित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – सी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2025 को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ मिलकर किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया, और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने गए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होने की सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। वे मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए गए थे और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमजोरी के अस्तित्व के जोखिम का आंकलन करना, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन द्वारा अतिक्रमण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर थे।

दीवान पी. एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000472N

संदीप दहिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या 505371
यूडीआईएनः25505371BMHZJM7869

दिनांकः 21.07.2025
स्थानः नोएडा

31 मार्च 2025 को तुलन पत्र

राशि (लाख रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
I.	**परिसंपत्तियाँ**			
1	**गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	11,28,125.26	10,13,007.35
	(ख) पूँजीगत कार्य प्रगति पर	4	55,54,423.40	41,93,392.59
	(ग) निवेश संपत्ति	5	37,719.07	–
	(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.1	4,744.38	5,511.68
	(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.2	400.22	509.36
	(च) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	6.3	22,537.52	21,084.98
	(छ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7		
	(i) ऋण	7.1	16.94	24.73
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7.2	2,134.79	411.46
	(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	8	1,177.82	149.78
	(झ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	9	8,75,029.31	8,04,546.56
			76,26,308.71	60,38,638.49
2	**चालू परिसंपत्तियाँ**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10		
	(i) व्यापार प्राप्य	10.1	–	–
	(ii) नकद और नकद समतुल्य	10.2	1,21,661.24	65,197.14
	(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	10.3	141.77	124.90
	(iv) ऋण	10.4	2.57	3.85
	(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10.5	15,192.17	13,845.02
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	20	698.60	–
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	675.93	596.94
			1,38,372.28	79,767.85
	कुल परिसंपत्तियाँ		**77,64,680.99**	**61,18,406.34**
II.	**इक्विटी और देयताएँ**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	15,00,600.00	15,00,600.00
	(ख) अन्य इक्विटी	13	37,928.79	31,309.31
			15,38,528.79	15,31,909.31
2	**देयताएँ**			
(i)	**गैर–चालू देयताएँ**			
	(क) वित्तीय देयताएँ	14		
	(i) पट्टा देयताएँ	14.1	2,910.28	1,096.28
	(ii) व्यापार देय			
	(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि; और		–	–
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशि।		–	–
	(iii) अन्य	14.2	59,63,069.22	43,59,023.53
	(ख) प्रावधान–गैर चालू	15	1,804.11	1,257.06
	(ग) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		–	–
	(घ) अन्य गैर चालू देयताएँ	16	–	–
			59,67,783.61	43,61,376.87
(ii)	**चालू देयताएँ**			
	(क) वित्तीय देयताएँ	17		
	(i) पट्टा देयताएँ	17.1	885.18	945.46
	(ii) व्यापार देय	17.2		
	(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि; और		–	–
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया राशि।		–	–
	(iii) अन्य	17.3	2,30,979.83	1,99,275.40
	(क) अन्य चालू देयताएँ	18	25,742.56	24,041.02
	(ख) प्रावधान–चालू	19	761.02	456.20
	(ग) चालू कर देयता (शुद्ध)	20	–	402.08
			2,58,368.59	2,25,120.16
	कुल इक्विटी और देयताएँ		**77,64,680.99**	**61,18,406.34**

सामान्य जानकारी	1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	2
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स	1 से 44

यह वही तुलन पत्र है जिसका उल्लेख हमारी संलग्न सम–दिनांकित रिपोर्ट में किया गया है।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000472N

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

पार्टनरः संदीप दहिया	**अंजुम परवेज**	**विवेक प्रकाश त्रिपाठी**	**सुमीता शर्मा**
सदस्यता संख्याः 505371	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक वित्त और सीएफओ**	**कंपनी सचिव**
	डीआईएनः 06682287	**डीआईएनः 10216466**	**एम. संख्याः FCS 5250**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21.07.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

राशि (लाख रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
I.	परिचालन से राजस्व	21.1	930.54	12,765.55
II	अन्य आय	21.2	10,795.36	12,992.16
III	**कुल आय (I+II)**		**11,725.90**	**25,757.71**
IV	**व्यय**			
	परिचालन व्यय	22	930.54	12,765.55
	कर्मचारी लाभ व्यय	23	485.66	258.79
	वित्त लागत	24	86.71	2.57
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25	425.46	52.20
	अन्य व्यय	26	2,102.39	1,783.49
	कुल व्यय (IV)		**4,030.76**	**14,862.60**
V	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ / (हानि) (III - IV)**		**7,695.14**	**10,895.11**
VI	असाधारण मदें	–	–	–
VII	**कर से पहले लाभ/(हानि) (V - VI)**		**7,695.14**	**10,895.11**
VIII	कर व्ययः			
	(1) चालू कर	27	1,816.25	2,738.47
	(2) स्थगित कर	27	(955.70)	140.81
IX	**जारी परिचालनों से अवधि का लाभ / (हानि) (VII-VIII)**		**6,834.57**	**8,015.83**
X	बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XI	बंद किए गए परिचालनों का कर व्यय		–	–
XII	**बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि) (X - XI)**		–	–
XIII	**अवधि का लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**6,834.57**	**8,015.83**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	28	(287.43)	(27.47)
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	28	72.34	6.91
	ख. (i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		–	–
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	–	–	–
XV	**अवधि की कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि के लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)**		**6,619.48**	**7,995.27**
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**			
	(जारी परिचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य रु 1,000)	29	4.41	5.37
	(2) तनिकृत (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य रु 1,000)	29	4.41	5.37
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**			
	(बंद किए गए परिचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य रु 1,000)		–	–
	(2) तनिकृत (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य रु 1,000)		–	–
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**			
	(जारी और बंद किए गए परिचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य रु 1,000)	29	4.41	5.37
	(2) तनिकृत (रुपये में) (शेयर का अंकित मूल्य रु 1,000)	29	4.41	5.37

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट्स 1 से 44
'पुनर्कथित नोट 43 देखें

यह लाभ और हानि का विवरण है जो हमारी संलग्न समान तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित है।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000472N

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

पार्टनरः संदीप दहिया
सदस्यता संख्याः 505371

अंजुम परवेज	विवेक प्रकाश त्रिपाठी	सुमीता शर्मा
प्रबंध निदेशक	निदेशक वित्त और सीएफओ	कंपनी सचिव
डीआईएनः 06682287	डीआईएनः 10216466	एम. संख्याः FCS 5250

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21.07.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
ए. **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
असाधारण मदों और कर से पहले लाभ समायोजन के लिए:–		**7,695.14**	**10,895.11**
मूल्यह्रास और परिशोधन		425.46	52.20
एचबीए परिसंपत्तियों पर ब्याज आय (इंडएएस समायोजन)		(2.31)	(0.99)
ब्याज आय		(13,670.75)	(14,635.76)
अन्य व्यापक मद		(287.43)	(20.56)
आयकर पर ब्याज		65.18	–
पट्टे की देयता पर ब्याज		11.24	2.57
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय		(12.80)	(20.65)
उचित मूल्य समायोजन–सुरक्षा जमा		1.52	0.39
परिचालन पूंजी परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ समायोजन के लिए :–	(1)	**(5,774.75)**	**(3,727.69)**
वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि) – अन्य		(2,371.39)	(13,312.93)
अन्य चालू/गैर–चालू परिसंपत्तियों मंद कमी / (वृद्धि)		(432.12)	9,713.76
वित्तीय परिसंपत्ति ऋणों में कमी / (वृद्धि)		11.38	1.95
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष में कमी / (वृद्धि)		(16.87)	(35.58)
वित्तीय देयता में (कमी) / वृद्धि – अन्य		35,750.12	(34,442.37)
प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि		851.87	570.29
अन्य चालू देयता में (कमी) / वृद्धि		1,701.54	(1,104.03)
अन्य गैर–चालू देयता में (कमी) / वृद्धि		–	–
कुल समायोजन	(2)	**35,494.53**	**(38,608.91)**
परिचालन से उत्पन्न नकदी	(1+2)	**29,719.78**	**(42,336.60)**
भुगतान किया गया आयकर		(2,982.11)	(1,969.32)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न कुल नकदी	(A)	**26,737.67**	**(44,305.92)**
बी. **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों, निवेश संपत्ति और सीडब्ल्यूआईपी की खरीद (बिक्री के बाद)		(15,11,439.33)	(16,79,452.52)
परियोजना कार्य और पूंजीगत मदों के लिए पूंजीगत अग्रिम		(70,099.94)	(1,61,517.39)
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा में परिवर्तन		(150.00)	
आरओयू परिसंपत्तियां			
ब्याज आय		13,070.01	14,838.48
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	(B)	**(15,68,619.26)**	**(18,26,131.43)**
सी. **वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्तियां		–	50,000.00
शेयर निर्गम व्यय		–	(79.46)
रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी		16,00,000.00	18,29,500.00
पट्टे की देयता पर ब्याज		(350.59)	(144.16)
पट्टे की देयता के लिए भुगतान		(1,303.70)	(930.08)
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी	(C)	**15,98,345.71**	**18,78,346.30**
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		56,464.10	7,908.95
प्रारंभिक नकदी और नकदी समकक्ष		65,197.14	57,288.19
समापन नकदी और नकदी समकक्ष		**1,21,661.24**	**65,197.14**

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
नकदी और नकदी समकक्ष में शामिल हैं		
हाथ में नकदी:		
बैंकों के पास शेष:		
– चालू खाते	16,630.17	36,623.50
– फ्लेक्सी खातों में	15,015.07	28,558.29
– 3 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा में	90,000.56	–
– इम्प्रेस्ट खातों में	15.44	15.35
तुलन पत्र के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष	**1,21,661.24**	**65,197.14**

नोट्सः–

नकदी प्रवाह विवरण को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इंड एएस–7 नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है। 31 मार्च 2025 को वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का समाधान नोट 30(ii) में प्रस्तुत किया गया है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्वाह को दर्शाते हैं।

यह नकदी प्रवाह विवरण हमारी संलग्न समान तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित है।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000472N

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

पार्टनरः संदीप दहिया	**अंजुम परवेज**	**विवेक प्रकाश त्रिपाठी**	**सुमीता शर्मा**
सदस्यता संख्याः 505371	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक वित्त और सीएफओ**	**कंपनी सचिव**
	डीआईएनः 06682287	**डीआईएनः 10216466**	**एम. संख्याः FCS 5250**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21.07.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष	पिछली अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः प्रस्तुत शेष	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
शेयरों की संख्या (संख्या)	15,00,60,000	–	15,00,60,000	–	15,00,60,000.00
शेयर पूंजी की राशि (राशि लाख रुपये में)	15,00,600	–	15,00,600	–	15,00,600.00

बी. अन्य इक्विटी

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष		शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय		
वर्ष की शुरुआत में शेष	–	31,309.32	–	31,309.32
लेखांकन नीति या पिछली अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	–	0.01	–	0.01
वर्ष की शुरुआत में पुनः प्रस्तुत शेष	–	**31,309.31**	–	**31,309.31**
वर्ष का लाभ	–	6,834.57	–	6,834.57
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर के बाद)	–	(215.09)	–	(215.09)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	**6,619.48**	–	**6,619.48**
अवधि के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	–	–	–
शेयर जारी करने के व्यय	–	–	–	–
वर्ष के अंत में शेष	–	**37,928.79**		**37,928.79**

यह इक्विटी में परिवर्तन का विवरण है जिसका उल्लेख हमारी संलग्न समान तिथि की रिपोर्ट में किया गया है।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000472N

पार्टनरः संदीप दहिया
सदस्यता संख्याः 505371

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21.07.2025

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

अंजुम परवेज	विवेक प्रकाश त्रिपाठी	सुमीता शर्मा
प्रबंध निदेशक	निदेशक वित्त और सीएफओ	कंपनी सचिव
डीआईएनः 06682287	डीआईएनः 10216466	एम. संख्याः FCS 5250

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष	पिछली अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः प्रस्तुत शेष	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
शेयरों की संख्या (संख्या)	14,21,14,300	–	14,21,14,300	79,45,700	15,00,60,000.00
शेयर पूंजी की राशि (राशि लाख रुपये में)	14,21,143	–	14,21,143	79,457	15,00,600.00

बी. अन्य इक्विटी

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष		शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि–	–	24,478.65	29,457.00	53,935.65
लेखांकन नीति या पिछली अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन (नोट 43 देखें)	–	1,085.15	–	1,085.15
वर्ष की शुरुआत में पुनः प्रस्तुत शेष	–	**23,393.50**	**29,457.00**	**52,850.50**
वर्ष का लाभ	–	8,015.83	–	8,015.83
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर के बाद)	–	20.56	–	20.56
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	**7,995.28**	–	**7,995.28**
अवधि के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	–	–	50,000.00	50,000.00
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	–	79,457.00	79,457.00
शेयर जारी करने के व्यय	–	79.46	–	79.46
वर्ष के अंत में शेष	–	**31,309.32**	–	**31,309.32**

यह इक्विटी में परिवर्तन का विवरण है जिसका उल्लेख हमारी संलग्न समान तिथि की रिपोर्ट में किया गया है।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000472N

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

पार्टनरः संदीप दहिया
सदस्यता संख्याः 505371

अंजुम परवेज
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06682287

विवेक प्रकाश त्रिपाठी
निदेशक वित्त और सीएफओ
डीआईएनः 10216466

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव
एम. संख्याः FCS 5250

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21.07.2025

वित्तीय विवरणों के नोट्स 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (1–44)

1 सामान्य जानकारी

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वीं से 7वीं मंजिल, टॉवर डी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली, दिल्ली – 110029, भारत में है। कंपनी को 12 फरवरी 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत में महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य के बीच हाई स्पीड रेल सेवाओं (जिसे इसके बाद "एमएएचएसआर परियोजना" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और/या किसी अन्य क्षेत्र की योजना बनाने, डिजाइन करने, विकसित करने, निर्माण करने, चालू करने, रखरखाव करने, संचालन करने और वित्तपोषण करने के उद्देश्य से निगमित किया गया था, या तो अपने दम पर या किसी अन्य मॉडल को अपने हाथ में लेकर या पट्टे पर देकर या अन्यथा, और किसी भी मोड के नए पारगमन मार्ग का निर्माण करना या सभी संबंधित बुनियादी ढांचा सुविधाओं के साथ मोड के संयोजन से, जैसा कि रेल मंत्रालय या भारत सरकार या किसी अन्य ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.1 क) अनुपालन विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसे कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के साथ पढ़ा गया है, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार।

ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित मद के जिसे प्रासंगिक इंड–एएएस द्वारा आवश्यक के अनुसार उचित मूल्य पर मापा गया है।

i. कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां उचित मूल्य पर मापी गईं। (नोट संख्या 2.19 पर वित्तीय लिखतों से संबंधित लेखांकन नीति देखें)
ii. परिभाषित लाभ योजना और योजना परिसंपत्तियां।

ग) चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

कंपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वहः

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने की उम्मीद हो, या बेचने या उपभोग करने का इरादा हो;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 महीने के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो; या
- नकद या नकद समकक्ष हो, जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के कम से कम 12 महीने बाद तक किसी देयता का निपटान करने के लिए विनिमय या उपयोग करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वहः

- सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने की उम्मीद हो;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो;
- रिपोर्टिंग तिथि के 12 महीने के भीतर निपटाने योग्य हो; या
- रिपोर्टिंग तिथि के कम से कम 12 महीने बाद तक देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

अन्य सभी देनदारियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन चक्रः

परिचालन चक्र परिसंपत्तियों के प्रसंस्करण के लिए अधिग्रहण और नकद और नकद समकक्ष में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। कंपनी ने बारह महीने को अपना परिचालन चक्र माना है।

घ) अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनानी होती हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। ऐसे अनुमानों के उदाहरणों में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के तहत भविष्य की बाध्यताएं और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन, कर्मचारी लाभ व्यय, प्रावधान आदि शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों में परिवर्तनों के कारण भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच का अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त होता है जिसमें परिणाम ज्ञात/वास्तविक होते हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार है:

- **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:** उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की मूल्यह्रास विधि के साथ आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। जीवन ऐतिहासिक अनुभवों के साथ–साथ भविष्य की घटनाओं की प्रत्याशा पर आधारित होते हैं।
- **प्रावधान:** प्रावधान तुलन पत्र की तिथि पर दायित्व का निपटान करने के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।
- **आकस्मिक देनदारियां/परिसंपत्तियां:** आकस्मिक देनदारियां/परिसंपत्तियां प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती हैं, प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर समीक्षा की जाती हैं और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती हैं।
- **गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानि परीक्षण:** संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की धारणाओं के निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता:** आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आंकलन के आधार पर मान्यता दी जाती है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।
- **सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ:** कर्मचारी लाभ दायित्वों को एक्चुअरी संबंधी धारणाओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरें, साथ ही छूट दरों में भविष्य के विकास, वेतन वृद्धि की दरें और मुद्रास्फीति दर से संबंधित धारणाएं शामिल हैं। कंपनी मानती है कि दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की गई धारणाएं उचित और प्रलेखित हैं। हालांकि, इन धारणाओं में कोई भी परिवर्तन परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

(ई) सभी वित्तीय जानकारी भारतीय रुपये में प्रस्तुत की गई है और सभी मूल्य निकटतम लाख तक पूर्णांकित हैं सिवाय जहां अन्यथा कहा गया हो।

राशि लाखों रुपये में प्रस्तुत की गई है। कुल में कोई भी विसंगतियां पूर्णांकन के कारण हैं और उन्हें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी।

2.2 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसके तहत कर से पहले लाभ / (हानि) को गैर–नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और पिछली या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किए जाते हैं।

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के उद्देश्य से, नकद और नकद समकक्ष में हाथ में नकद, वित्तीय संस्थानों के पास मांग पर जमा, अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वता तीन महीने या उससे कम है जो नकद की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम, और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैलेंस शीट में चालू देनदारियों में उधार के तहत दर्शाया गया है।

2.3 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी संचालित होती है (कार्यात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और साथ ही प्रस्तुति मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में अंकित लेनदेन को लेनदेन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होती है।

2.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत पर मापा जाता है, जिसमें संचित मूल्यह्रास और यदि कोई हो तो हानि को घटाया जाता है।

परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लागत

ii. वस्तुओं को हटाने और उस स्थल को बहाल करने की अनुमानित लागतों का वर्तमान मूल्य, जिस पर वे स्थित हैं, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

(ख) प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद को निपटान पर या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से कोई भविष्य का आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है, तब डी–रिकॉग्नाइज किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद के निपटान या सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि बिक्री आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

मूल्यह्रास और परिशोधन

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति (SLM) पर प्रदान किया जाता है।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्यह्रास किया जाता है यदि भाग की लागत मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

(ग) कर्मचारियों को दी गई परिसंपत्तियां:

i. कर्मचारियों को दी गई परिसंपत्तियां: मोबाइल फोन को छोड़कर, कर्मचारियों को दी गई परिसंपत्तियों का 3 साल की अवधि में SLM आधार पर मूल्यह्रास किया गया है।

ii. कर्मचारियों को दिए गए मोबाइल फोन: कर्मचारियों को दी गई परिसंपत्तियों का 2 साल की अवधि में ैस्ड आधार पर मूल्यह्रास किया गया है।

iii. कर्मचारियों को गैर–वापसी योग्य आधार पर जारी किए गए ब्रीफकेस और लैंडलाइन उपकरण की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान के वर्ष में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण मदों (कर्मचारियों को दी गई परिसंपत्तियों के अलावा) के वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

फर्नीचर और फिक्स्चर	10 वर्ष
ईडीपी परिसंपत्तियां	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
भवन	60 वर्ष
ट्रैक स्लैब	15 वर्ष

(ड) लीजहोल्ड सुधारों को उस महीने से लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है जिसमें ऐसे सुधारों को पूंजीकृत किया जाता है।

(च) मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

2.5 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्ति वह संपत्ति (भूमि या एक भवन या भवन का एक हिस्सा या दोनों) है जिसे (मालिक द्वारा या वित्त पट्टे के तहत पट्टेदार द्वारा) किराए कमाने या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखा जाता है, न कि व्यवसाय के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए या उत्पादन में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्य के लिए।

मान्यता:

निवेश संपत्ति को एक परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब:

क) यह संभावित है कि भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्राप्त होंगे;

ख) निवेश संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं तो बाद में परिवर्धन किए जाते हैं।

निवेश संपत्ति में या उससे स्थानांतरण तब किया जाता है जब उपयोग में परिवर्तन होता है, अर्थात एक परिसंपत्ति निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है या पूरा करना बंद कर देती है और उपयोग में परिवर्तन का प्रमाण होता है।

बाद का माप (मूल्यह्रास)

निवेश संपत्ति के रूप में रखे गए भवन पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है। निवेश संपत्ति की महत्वपूर्ण मदों के वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

भवन	60 वर्ष

डी–रिकॉग्निशन:

निवेश संपत्ति की एक मद और शुरू में मान्यता प्राप्त कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है और उसके निपटान से कोई भविष्य का आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है, तब डी–रिकॉग्नाइज किया जाता है।

निवेश संपत्ति की सेवानिवृत्ति या निपटान से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि (शुद्ध बिक्री आय और वहन राशि के बीच का अंतर) को डी–रिकॉग्निशन की अवधि में लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाएगी।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

क. प्रारंभिक मान्यता और माप

एक अमूर्त परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावित हो कि परिसंपत्ति से संबंधित अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

कंपनी द्वारा अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। बाद का माप संचित परिशोधन और संचित हानि को घटाकर लागत पर किया जाता है। लागत में कोई भी सीधे जिम्मेदार आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं जो परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक होते हैं।

विकास गतिविधियों पर व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हों और कंपनी विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग या बिक्री करने का इरादा रखती हो और उसके पास पर्याप्त संसाधन हों।

अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र व्यय को विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में तब तक रखा जाता है जब तक वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते।

दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय को स्पेक्ट्रम लाइसेंस की खरीद के लिए किए गए भुगतान, जिसमें कर और अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं, को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख. परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन निम्नानुसार किया जाता है:

1. सॉफ्टवेयर – ईआरपी के अलावा 3 वर्ष
2. सॉफ्टवेयर – ईआरपी 5 वर्ष
3. स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम लाइसेंस की अवधि के दौरान
4. भूमि उपयोग का अधिकार, उपयोग के अधिकार की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए ऐसी संपत्तियों का उपयोगी जीवन 15 वर्ष है।

ग. बाद की लागतें

बाद के व्यय को संपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावित हो कि किए गए व्यय से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

घ. अपरिज्ञान

एक अमूर्त संपत्ति को तब अपरिज्ञात किया जाता है जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। अमूर्त संपत्तियों की किसी मद के निपटान पर होने वाले लाभ और हानि का निर्धारण निपटान से प्राप्त आय की तुलना अमूर्त संपत्तियों की वहन राशि से करके किया जाता है और इन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.7 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि और तुलन पत्र तिथि से पहले इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हुई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत को पूंजीगत कार्य प्रगति पर के तहत प्रकट किया जाता है।

परिसमाप्त क्षतिपूर्ति का लेखा–जोखा बिल के निपटान पर किया जाता है। मूल्य भिन्नताओं सहित दावों का लेखा–जोखा स्वीकृति पर किया जाता है।

कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजना से सीधे पहचाने जा सकने वाले व्यय को "प्रत्यक्ष परियोजना व्यय" के तहत "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" में डेबिट किया जाता है। कर्मचारी लाभों की प्रकृति में अप्रत्यक्ष व्यय और परियोजना से सीधे संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय को परियोजना में प्रभारित किया गया है। निर्माण अवधि से संबंधित आय और अन्य आकस्मिक आय जैसे ब्याज आय (इक्विटी के माध्यम से प्राप्त निधियों के अस्थायी नियोजन से प्राप्त आय के अलावा), निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि को निर्माण के दौरान के व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

जेआईसीए से ब्याज–युक्त ऋण के विरुद्ध पास–थ्रू सहायता (ईएपी फंड) पर अर्जित ब्याज और ठेकेदारों आदि को प्रदान किए गए परियोजना से संबंधित ब्याज–युक्त अग्रिम को सीडब्ल्यूआईपी के तहत निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) के विरुद्ध उधार लेने की लागत की सीमा तक समायोजित किया जाता है।

2.8 भूमि

1. भूमि को नियंत्रण के आधार पर एक संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचे द्वारा आवश्यक है।
2. विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूमि मालिकों द्वारा सौंपे गए और कंपनी द्वारा कब्जा किए गए भूमि पार्सल को कंपनी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय या भुगतान करने पर, जो भी पहले हो, पूंजीकृत किया गया है, कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना।
3. बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, को तब बुक किया जाएगा जब भुगतान देय होगा क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4. पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लागत और भूमि से संबंधित अन्य व्यय को भूमि की लागत में जोड़ा जाता है।
5. अनंतिम रूप से किए गए भुगतान / कब्जे में पट्टे पर ली गई भूमि सहित भूमि से संबंधित लागत या क्षतिपूर्ति के लिए प्रदान किए गए दायित्व के संबंधित प्रभाव, संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत में से ध्वस्त की गई ऐसी संरचनाओं की बिक्री आय को घटाकर, भूमि या पट्टे पर ली गई भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।
6. अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि के लिए अनंतिम रूप से किए गए भुगतान / प्रदान किए गए दायित्व के संबंधित प्रभाव को भूमि के कब्जे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।
7. कंपनी के लिए भूमि खरीदने हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) को भुगतान की गई राशि को शुरू में भूमि के लिए अग्रिम (सीएएलए) के रूप में माना जाता है। सीएएलए खातों के माध्यम से सीधे भूमि मालिकों को उक्त उद्देश्य के लिए किए गए संवितरण को भूमि लागत के रूप में समायोजित किया जाता है और शेष राशि को सीएएलए के पास अग्रिम के रूप में दिखाया जाता है।

2.9 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां

क) प्रावधानों को उन देनदारियों के संबंध में मान्यता दी जाती है जिन्हें केवल अनुमानों की पर्याप्त डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है, जबः

i. कंपनी पर पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व है।

ii. दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का संभावित बहिर्वाह आवश्यक होगा; और

iii. दायित्व की राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है।

प्रावधानों का बट्टाकरण

जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, वहां प्रावधान की राशि दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगी।

ख) आकस्मिक देनदारियों को निम्नलिखित में से किसी भी मामले में प्रकट किया जाता है:

i. पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभावित न हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या
ii. वर्तमान दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है; या
iii. एक संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो।

आकस्मिक देनदारी और आकस्मिक देनदारी तथा आकस्मिक संपत्तियों के विरुद्ध आवश्यक प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

ग) आकस्मिक संपत्तियों को वहां प्रकट किया जाता है जहां आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभावित हो।

2.10 राजस्व की पहचान

क) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

i. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके बदले में कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के हकदार होने की उम्मीद करती है।
ii. राजस्व को लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें परिवर्तनीय प्रतिफल के अनुमान शामिल नहीं होते हैं जो उस प्रदर्शन दायित्व को आवंटित किए जाते हैं।

ख) अन्य राजस्व की पहचान

i. ब्याज आय को बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.11 पट्टे

i. पट्टेदार के रूप में

कंपनी पट्टा प्रारंभ तिथि पर उपयोग का अधिकार संपत्ति और एक पट्टा दायित्व को मान्यता देती है। उपयोग का अधिकार संपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित, साथ ही हुई कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को अलग करने और हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस स्थल को बहाल करने की लागत का अनुमान जहां यह स्थित है, प्राप्त किसी भी पट्टे के प्रोत्साहन को घटाकर।

उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति को बाद में प्रारंभ तिथि से उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत, जो भी पहले हो, तक सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है। उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति को समय–समय पर हानि की हानि, यदि कोई हो, से कम किया जाता है और पट्टे की देयता के कुछ पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टे की देयता को प्रारंभ तिथि पर भुगतान न किए गए पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर शुरू में मापा जाता है, जिसे पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके।

पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके अमूर्त लागत पर मापा जाता है; जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से भविष्य के पट्टे के भुगतानों में परिवर्तन होता है तो इसे पुनर्मापा जाता है। जब पट्टे की देयता को इस तरह से पुनर्मापा जाता है, तो उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति की वहन राशि में एक संबंधित समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई है तो इसे लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है।

कंपनी उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति को, जो निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती है, "उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति" के तहत और पट्टे की देयताओं को तुलन पत्र में "अन्य वित्तीय देयताओं" में प्रस्तुत करती है।

अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों के लिए, जिनकी पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम है, और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति और पट्टे की देयताओं को मान्यता न देने का विकल्प चुना है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टे के भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

ii. पट्टादाता के रूप में

जब कंपनी पट्टादाता के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे की शुरुआत में यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी यह समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करता है। यदि ऐसा है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो यह एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख हिस्से के लिए है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टे और गैर–पट्टे वाले घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल का आवंटन करने के लिए इंड एएस–115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है।

कंपनी परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टे के भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर "अन्य आय" के हिस्से के रूप में आय के रूप में मान्यता देती है।

2.12 उधार लेने की लागत

परियोजना के लिए विशेष रूप से उधार लिए गए और उससे संबंधित धन पर हुई उधार लेने की लागत को परियोजना के चालू होने या उसके हिस्से के चालू होने तक पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद राजस्व पर प्रभारित किया जाता है, जिस सीमा तक परिसंपत्तियां वाणिज्यिक परिचालन में हैं।

उधार लिए गए धन के अस्थायी परिनियोजन से संबंधित आय को उधार लेने की लागत की सीमा तक उधार लेने की लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है; उधार लेने की लागत से अधिक राशि को लाभ और हानि विवरण में जमा किया जाता है।

2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवाएं प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेतन, मजदूरी और अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अवकाश आदि जैसे लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

ख) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

i. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों जैसे दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश और एलटीसी के लिए दायित्व को उसी तरह से मान्यता दी जाती है जैसा कि नीचे (ग)(ii) में उल्लिखित परिभाषित लाभ योजनाओं के मामले में होता है, सिवाय इसके कि दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजना में एक्चुअरी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ग) सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ

i. परिभाषित अंशदान योजनाएं: कंपनी भविष्य निधि योजना, सीजीआईएस और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को परिभाषित अंशदान करती है। कंपनी अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ भी प्रदान करती है। योजनाओं के तहत भुगतान किया गया/देय अंशदान उस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त होता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएं: ग्रेच्युटी, सामान भत्ता और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ सेवानिवृत्ति के बाद की परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता तुलन पत्र की तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना एक स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

- कंपनी ने ग्रेच्युटी/चिकित्सा कोष के प्रबंधन के लिए एक अलग एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट/एनएचएसआरसीएल मेडिकल ट्रस्ट की स्थापना की है।

- कंपनी अपनी तुलन पत्र में एक परिभाषित लाभ योजना के शुद्ध दायित्व को एक परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्यता देती है।
- शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/ (परिसंपत्ति) के पुनर्मापन से होने वाले लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।
- योजना परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का वास्तविक प्रतिफल, परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को लागू करके गणना की गई उपज से अधिक, अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।
- शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/ (परिसंपत्ति) पर सेवा लागत और शुद्ध ब्याज लागत/ (आय) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

घ) सेवानिवृत्ति लाभ

'प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों' के सेवानिवृत्ति लाभों को रेल मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

ड) पुनर्मापन

परिभाषित लाभ योजनाओं जैसे ग्रेच्युटी, सामान भत्ता और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना से संबंधित अनुभव समायोजन और एक्चुअरी संबंधी मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को उसी अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय में। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

2.14 वर्तमान आयकर

i. वर्ष के लिए कर व्यय में वर्तमान आयकर और स्थगित कर शामिल हैं।

ii. वर्तमान कर को लागू कर दरों का उपयोग करके कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है।

iii. राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर उन देशों में अधिनियमित या सारतः अधिनियमित हैं जहां कंपनी संचालित होती है और कर योग्य आय उत्पन्न करती है।

iv. ओसीआई मदों से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

2.15 आस्थगित कर

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (इंडएएस 12) "आयकर" के अनुसार।

i. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, जिनकी गणना रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या सारतः अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है।

ii. आस्थगित आयकर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ तक यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट तथा अप्रयुक्त कर हानियों को आगे ले जाया जा सकेगा।

iii. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक कम किया जाता है जहाँ तक यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या कुछ हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

iv. ओसीआई मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

2.16 प्रति शेयर आय

1. मूल प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के शुद्ध लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस अंक और शेयर विभाजन की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

2. प्रति शेयर तनु आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तनुकारी संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.17 प्रारंभिक व्यय

सभी प्रारंभिक व्ययों को उपगत होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.18 तुलन पत्र तिथि के बाद की घटनाएँ

तुलन पत्र तिथि के बाद की घटनाओं को इंड एएस 10 (आकस्मिकताएं और तुलन पत्र तिथि के बाद की घटनाएँ) के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी में माना जाता है।

2.19 उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कुछ वित्तीय साधनों को उचित मूल्य पर मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो मापन तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक परिसंपत्ति को बेचने या एक देयता को हस्तांतरित करने के लिए प्राप्त होगा या भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने का लेनदेन या तो होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- प्रमुख बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। एक परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करती है और अनवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को कम करती है।

2.20 वित्तीय साधनः–

क) प्रारंभिक मान्यताः

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन लागतें जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारी की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ी या घटाई जाती हैं।

ख) बाद का मापन

<u>वित्तीय परिसंपत्तियां</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. परिशोधित लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे व्यवसाय के भीतर धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन राशि पर केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान हैं।

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे व्यवसाय के भीतर धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों से प्राप्त होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन राशि पर केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान हैं।

iii. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसे प्रारंभिक मान्यता पर परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लेनदेन लागतों को तुरंत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

<u>वित्तीय देनदारियां</u>

वित्तीय देनदारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां

व्यापार और अन्य देय, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण राशि आदि द्वारा दर्शायी गई परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है।

ii. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां (एफवीटीपीएल)

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किसी भी वित्तीय देनदारी को नामित नहीं किया है।

ग) मान्यता रद्द करनाः

i. वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहाँ लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का एक हिस्सा) को तभी मान्यता रद्द की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों और स्वामित्व के लगभग सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित कर देता है।

ii. वित्तीय देनदारी

एक वित्तीय देनदारी को तब मान्यता रद्द की जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन किया जाता है या रद्द किया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता से पर्याप्त रूप से भिन्न शर्तों पर दूसरी देनदारी से प्रतिस्थापित किया जाता है, या एक मौजूदा देनदारी की शर्तें पर्याप्त रूप से संशोधित की जाती हैं, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की मान्यता रद्द करने और एक नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है, और संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.21 पूर्व अवधि समायोजन

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें त्रुटि हुई थी उन प्रस्तुत पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करके। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेषों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, ऐसी स्थिति में, तुलनात्मक जानकारी को सबसे प्रारंभिक व्यावहारिक तिथि से नई लेखा नीति को संभावित रूप से लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

पूर्वदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये तक के पूर्वदत्त व्यय को वर्ष के व्यय/आय के रूप में माना जाता है और खातों के प्राकृतिक शीर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है।

2.22 इंड एएस 8 'लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' के अनुसार प्रकटीकरण

क) 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद प्रभावी होने वाले नए मानक / संशोधन और अन्य परिवर्तनः

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधन अधिसूचित करता है। 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, एमसीए ने इंड एएस – 117 बीमा अनुबंध और इंड एएस 116 पट्टों में संशोधन, जो बिक्री और लीजबैक लेनदेन से संबंधित हैं, को अधिसूचित किया है, जो कंपनी पर 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हैं। कंपनी ने नए घोषणापत्रों की समीक्षा की है और अपने मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने निर्धारित किया है कि इसका उसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ख) मानक/संशोधन जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हुए हैंः

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित करता है। 7 मई 2025 को, एमसीए ने इंड एएस 21 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव में संशोधन अधिसूचित किए।

इन संशोधनों का उद्देश्य मुद्रा विनिमयशीलता का आंकलन करने और विनिमय दरों का अनुमान लगाने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना है जब मुद्राएं आसानी से विनिमय योग्य न हों। ये संशोधन 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी हैं। कंपनी ने आंकलन किया है कि इसका उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

नोटः–3

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	भवन	ट्रैक स्लैब	लीजहोल्ड सुधार	फर्नीचर और फिक्स्चर	मोटर वाहन	ईडीपी परिसंपत्तियां	कार्यालय उपकरण	कुल
सकल वहन राशि									
1 अप्रैल 2023 को	**9,18,904.45**	**3,772.71**	**1,339.76**	**738.85**	**869.39**	**75.02**	**1,663.83**	**922.63**	**9,28,286.64**
जोड़	88,182.00	–	–	39.94	37.98	–	175.98	306.22	88,742.12
निपटान / समायोजन	–	–	–	–	(164.14)	–	(44.57)	(196.63)	(405.34)
31 मार्च 2024 को	**10,07,086.45**	**3,772.71**	**1,339.76**	**778.79**	**743.23**	**75.02**	**1,795.24**	**1,032.19**	**10,16,623.42**
जोड़	61,889.40	51,401.71	–	–	604.49	–	1,595.12	553.50	11,6044.22
निपटान / समायोजन	–	–	–	(321.29)	(15.20)	–	(34.79)	(7.04)	(378.32)
31 मार्च 2025 को	**10,68,975.85**	**55,174.42**	**1,339.76**	**457.50**	**1,332.52**	**75.02**	**3,355.57**	**1,578.65**	**11,32,289.32**
संचित मूल्यह्रास									
1 अप्रैल 2023 को	–	**122.25**	**343.58**	**596.47**	**407.34**	**46.20**	**1,092.55**	**600.08**	**3,208.47**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	–	59.73	84.85	88.77	110.42	8.91	237.90	177.55	768.13
निपटान / समायोजन	–	–	–	–	(153.15)	–	(36.05)	(171.33)	(360.53)
31 मार्च 2024 को	–	**181.98**	**428.43**	**685.24**	**364.60**	**55.11**	**1,294.41**	**606.31**	**3,616.07**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	–	191.22	84.85	27.52	111.09	8.91	289.13	203.01	915.73
निपटान / समायोजन	–	–	–	(321.29)	(11.76)	–	(30.85)	(3.84)	(367.74)
31 मार्च 2025 को	–	**373.20**	**513.28**	**391.47**	**463.93**	**64.02**	**1,552.69**	**805.48**	**4,164.06**
शुद्ध वहन मूल्य									
31 मार्च 2025 को	**10,68,975.85**	**54,801.22**	**826.48**	**66.03**	**868.59**	**11.00**	**1,802.88**	**773.17**	**11,28,125.26**
31 मार्च 2024 को	**10,07,086.45**	**3,590.73**	**911.33**	**93.55**	**378.63**	**19.91**	**500.83**	**425.88**	**10,13,007.35**

नोट 3.1– फ्रीहोल्ड भूमि में जोड़ में भूमि अधिग्रहण लागत और भूमि अधिग्रहण एवं सुविधा से संबंधित व्यय शामिल हैं। कुछ मामलों में, भूमि फ्रीहोल्ड है और स्वामित्व अभी तक कंपनी के नाम पर हस्तांतरित नहीं हुआ है। कुछ मामलों में, अधिग्रहित फ्रीहोल्ड भूमि का स्वामित्व/नामांतरण हस्तांतरण लंबित है।

नोट 3.2– भूमि से संबंधित व्यय को वर्ष के दौरान भूमि के संबंधित शीर्ष में किए गए जोड़ के अनुपात में फ्रीहोल्ड भूमि, लीजहोल्ड भूमि और भूमि उपयोग के अधिकार में आवंटित किया गया है।

नोट 3.3– कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के संबंध में जानकारी के लिए नोट 42 (xvii) देखें।

नोटः–4

प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	कुल
1 अप्रैल 2023 को	**25,99,983.86**
अतिरिक्त (अनुवर्ती व्यय)	15,93,408.74
समायोजन	–
31 मार्च 2024 को	**41,93,392.59**
अतिरिक्त (अनुवर्ती व्यय)	14,46,966.61
समायोजन	(85,935.80)
31 मार्च 2025 को	**55,54,423.40**

नोट 4.1 – पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	शेष राशि 01.04.2023	वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2023–24		
		जोड़	समायोजन	31.03.2024 को	जोड़	समायोजन	31.03.2024 को
क. एमएएचएसआर' :							
निर्माण / खरीद लागत	22,61,735.52	14,54,740.13	–	37,16,475.65	12,55,068.76	(45,071.77)	49,26,472.64
उपयोगिता स्थानांतरण	1,71,043.66	30,444.36	–	2,01,488.02	39,986.92	–	2,41,474.94
परामर्श सेवा लागत	59,989.01	49,526.70	–	1,09,515.71	58,649.16	–	1,68,164.87
प्रारंभिक परियोजना व्यय	6,714.75	68.85	–	6,783.60	0.35	–	6,783.95
आकस्मिक परियोजना व्यय	77,782.65	44,195.96	–	1,21,978.61	93,839.62	–	2,15,818.23
घटाएँः निविदा की बिक्री और अन्य आय	(3,696.41)	(16.62)	–	(3,713.03)	(578.20)	–	(4,291.23)
ख.कार्यालय भवन :							
कार्यालय भवन	26,414.68	14,449.35	–	40,864.03	–	(40,864.03)	–
कुल	**25,99,983.86**	**15,93,408.73**	–	**41,93,392.59**	**14,46,966.61**	**(85,935.80)**	**55,54,423.40**

नोट 4.2 – पूंजीगत कार्य प्रगति की आयु अनुसूची

31 मार्च 2025 को

राशि (लाख रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	पूंजीगत कार्य प्रगति (हॅप्च) में राशि की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं (एमएएचएसआर)	14,45,471.84	15,78,595.14	15,52,654.10	9,77,702.32	55,54,423.40
कार्यालय भवन	–	–	–	–	–
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
कुल	**14,45,471.84**	**15,78,595.14**	**15,52,654.10**	**9,77,702.32**	**55,54,423.40**

31 मार्च 2024 को

राशि (लाख रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	पूंजीगत कार्य प्रगति (ह्ंप्) में राशि की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं (एमएएचएसआर)	15,78,959.37	15,56,436.00	7,45,623.41	2,71,509.79	41,52,528.56
कार्यालय भवन	14,449.35	26,414.68	–	–	40,864.03
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
कुल	**15,93,408.72**	**15,82,850.68**	**7,45,623.41**	**2,71,509.79**	**41,93,392.59**

नोट 4.3–पूंजीगत कार्य प्रगति की आयु अनुसूची जिनकी पूर्णता में देरी हुई है या जिनकी लागत मूल योजना से अधिक हो गई है

31 मार्च 2025 को

राशि (लाख रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	इसमें पूरा किया जाना है				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं (एमएएचएसआर)	–	–	–	55,54,423.40	55,54,423.40
कार्यालय भवन	–	–	–	–	–
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
कुल	–	–	–	**55,54,423.40**	**55,54,423.40**

31 मार्च 2024 को

राशि (लाख रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	पूरा होने का समय				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं (एमएएचएसआर)	–	–	–	41,52,528.56	41,52,528.56
कार्यालय भवन	–	–	–	–	–
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
कुल	–	–	–	**41,52,528.56**	**41,52,528.56**

'मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना

नोट 4.4 – रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी पर ब्याज

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
i) रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी पर उधार लेने की लागत (टिप्पणी 24 देखें)	3,585.62	1,936.24
ii) उधार लेने की लागत की सीमा तक अग्रिम पर ब्याज आय (नोट 21.2 देखें)	(3,585.62)	(1,936.24)
रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी पर पूंजीकृत शुद्ध उधार लेने की लागत	–	–

नोट :– 5

निवेश संपत्ति राशि

(लाख रुपये में)

विवरण	भवन	कुल
सकल वहन राशि		
31 मार्च 2024 को	–	–
जोड़	38,020.89	38,020.89
पीपीई से हस्तांतरित	–	–
निपटान / समायोजन	–	–
31 मार्च 2025 को	**38,020.89**	**38,020.89**
संचित मूल्यह्रास और हानि		
31 मार्च 2024 को	–	–
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	301.82	301.82
पीपीई से हस्तांतरित	–	–
निपटान / समायोजन	–	–
31 मार्च 2025 को	**301.82**	**301.82**
शुद्ध वहन मूल्य		
31 मार्च 2025 को	**37,719.07**	**37,719.07**
31 मार्च 2024 को	–	–

(ए) निवेश संपत्ति में साबरमती एचएसआर हब टर्मिनल भवन का एक हिस्सा शामिल है, जिसे दो साल की अधिस्थगन अवधि सहित 35 वर्षों की अवधि के लिए रियायती समझौते के आधार पर दिया गया है। कंपनी की निवेश संपत्ति की वसूली पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(बी) लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त किराया आय INR 324.61 लाख थी और इसे 'अन्य आय' (नोट 21.2 देखें) में शामिल किया गया था। 'मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय' (नोट 25 देखें) में शामिल मूल्यह्रास निम्नानुसार था:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
किराया आय	324.61	–
मूल्यह्रास	(301.82)	–
शुद्ध आय	22.79	–

(सी) उचित मूल्यों का मापन निवेश

संपत्तियों का मूल्यांकन लागत मॉडल पर आधारित है, जैसा कि इंड एएस 40 द्वारा अनुमत है। लागत मॉडल में निवेश संपत्ति को उसकी लागत पर, कम संचित मूल्यह्रास पर वहन करना शामिल है। निवेश संपत्ति की वहन राशि को निवेश संपत्ति का उचित मूल्य माना जाता है, क्योंकि यह वित्तीय विवरणों में निवेश संपत्ति की मान्यता का पहला वर्ष है। तुलन पत्र की तिथि पर यह दृष्टिकोण हमारी निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का एक उचित अनुमान प्रदान करता है।

निवेश संपत्ति की मान्यता के पहले वर्ष होने के कारण आईबीबीआई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के आधार पर निवेश संपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

नोटः –6

नोट 6.1–अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	स्पेक्ट्रम शुल्क*	सॉफ्टवेयर	भूमि के उपयोग का अधिकार	कुल
सकल वहन राशि				
1 अप्रैल 2023 को	**1,159.47**	**5,771.78**	**2,561.22**	**9,492.47**
जोड़	1,208.19	63.90	71.98	1,344.07
निपटान / समायोजन	(1159.47)	(0.81)	–	(1160.28)
31 मार्च 2024 को	**1,208.19**	**5,834.87**	**2,633.20**	**9,676.26**
जोड़	1,440.85	349.97	–	1,790.82
निपटान / समायोजन	(1208.19)	(5.35)	–	(1213.54)
31 मार्च 2025 को	**1,440.85**	**6,179.49**	**2,633.20**	**10,253.54**
संचित मूल्यह्रास और हानि				
1 अप्रैल 2023 को	**187.42**	**2,190.57**	**428.85**	**2,806.84**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	1,211.36	1,139.90	166.55	2,517.81
निपटान / समायोजन	(1159.47)	(0.60)	–	(1160.07)
31 मार्च 2024 को	**239.31**	**3,329.87**	**595.40**	**4,164.58**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	1,201.78	1,185.85	169.04	2,556.67
निपटान / समायोजन	(1208.19)	(3.90)	–	(1212.09)
31 मार्च 2025 को	**232.90**	**4,511.82**	**764.44**	**5,509.16**
शुद्ध वहन मूल्य				
31 मार्च 2025 को	**1,207.95**	**1,667.67**	**1,868.76**	**4,744.38**
31 मार्च 2024 को	**968.88**	**2,505.00**	**2,037.80**	**5,511.68**

** कंपनी ने स्पेक्ट्रम शुल्क के उपचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय ली है और तदनुसार स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क की ओर किए गए व्यय को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है और वर्ष के दौरान इसके परिशोधन को एमएएचएसआर परियोजना के निर्माण से सीधे संबंधित व्यय माना जाता है और परियोजना की लागत के साथ पूंजीकृत किया जाता है।*

नोट 6.2–विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ– कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	400.22	509.36
कुल	**400.22**	**509.36**

नोट 6.2.1–विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु अनुसूची

दिनांक 31 मार्च 2025 तक

राशि (लाख रुपये में)

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	–	–	400.22	–	400.22
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	–

दिनांक 31 मार्च 2024 तक

राशि (लाख रुपये में)

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	–	509.36	–	–	509.36
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	–

नोट 6.2.2–विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु अनुसूची जिनकी पूर्णता में देरी हुई है या जिनकी लागत मूल योजना से अधिक हो गई है

दिनांक 31 मार्च 2025 तक

राशि (लाख रुपये में)

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	पूरा होने की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	400.22	–	–	–	400.22
कुल	**400.22**	–	–	–	**400.22**

दिनांक 31 मार्च 2024 तक

राशि (लाख रुपये में)

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	पूरा होने की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	509.36	–	–	–	509.36
कुल	**509.36**	–	–	–	**509.36**

नोट 6.3–उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	भूमि	भवन	वाहन	कुल
सकल वहन राशि				
1 अप्रैल 2023 को	**19,415.79**	**3,010.09**	**328.10**	**22,753.98**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	415.95	1,233.55	38.55	1,688.05
निपटान / समायोजन	–	–	–	–
31 मार्च 2024 को	**19,831.74**	**4,243.64**	**366.65**	**24,442.03**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–	2,985.52	71.90	3,057.42
निपटान / समायोजन	–	–	–	–
31 मार्च 2025 को	**19,831.74**	**7,229.16**	**438.55**	**27,499.45**
संचित मूल्यह्रास और हानि				
1 अप्रैल 2023 को	**478.64**	**1,767.18**	**110.71**	**2,356.53**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	141.92	768.22	90.38	1,000.52
निपटान / समायोजन	–	–	–	–
31 मार्च 2024 को	**620.56**	**2,535.40**	**201.09**	**3,357.05**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	141.92	1,372.50	90.46	1,604.88
निपटान / समायोजन	–	–	–	–
31 मार्च 2025 को	**762.48**	**3,907.90**	**291.55**	**4,961.93**
शुद्ध वहन मूल्य				
31 मार्च 2025 को	**19,069.26**	**3,321.26**	**147.00**	**22,537.52**
31 मार्च 2024 को	**19,211.18**	**1,708.24**	**165.56**	**21,084.98**

नोट 6.3.1–भूमि में परिवर्धन में भूमि अधिग्रहण लागत और भूमि अधिग्रहण एवं सुविधा से संबंधित व्यय शामिल हैं। भूमि के मूल्य में भारत सरकार / रेल मंत्रालय / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरण आदि से अधिग्रहित पट्टे पर ली गई भूमि रु. 19,069.26 लाख (पिछले वर्ष रु. 19,211.18 लाख) शामिल है।

नोट :– 7
वित्तीय परिसंपत्तियाँ – गैर–चालू नोट

नोट 7.1–ऋण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
असुरक्षित, अच्छा माना गया, परिशोधित लागत पर		
कर्मचारी को गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण	16.94	24.73
कुल	**16.94**	**24.73**

नोट 7.2–अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
असुरक्षित, अच्छा माना गया, परिशोधित लागत पर		
सुरक्षा जमा	2,114.97	391.64
गिरवी रखे गए सावधि जमा (एमआईडीसी) (नोट 7.2.1 देखें)	19.82	19.82
कुल	**2,134.79**	**411.46**

नोट 7.2.1–गिरवी रखे गए सावधि जमा का विवरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
एमआईडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम)	19.82	19.82
कुल	**19.82**	**19.82**

नोट :– 8
स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
ए. स्थगित कर देयताएँ		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1,310.91	985.71
स्थगित कर देयताओं का कुल	**1,310.91**	**985.71**
बी. स्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1,754.71	852.28
प्रारंभिक व्यय	41.76	79.14
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	609.91	399.76
पट्टा देयताएँ और उपयोग अधिकार (उपयोग का अधिकार)	82.35	195.69
स्थगित कर परिसंपत्तियों का कुल	**2,488.73**	**1,135.49**
शुद्ध स्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियाँ	**1,177.82**	**149.78**

स्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) में संचलन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	प्रारंभिक व्यय	पट्टा देयताएँ और उपयोग अधिकार (उपयोग का अधिकार)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	कर्मचारी लाभ व्यय	कुल
1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	**136.22**	**60.26**	**181.73**	**268.92**	**283.67**
वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा किया गया)					
लाभ और हानि में	57.08	255.94	48.30	123.92	140.80
अन्य व्यापक आय में	–	–	–	6.91	6.91
31 मार्च 2024 को अंतिम शेष	**79.14**	**195.69**	**133.43**	**399.76**	**149.78**
वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा किया गया)					
लाभ और हानि में	37.38	278.03	577.23	137.81	955.69
अन्य व्यापक आय में	–	–	–	72.34	72.34
31 मार्च 2025 को अंतिम शेष	**41.76**	**82.34**	**443.80**	**609.91**	**1,177.81**

नोट :– 9

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क) पूंजीगत अग्रिम		
भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम	63,897.70	76,116.79
अन्य के लिए अग्रिम (नोट 9.1 और 9.4 देखें)	8,10,663.93	7,28,344.90
ख) अन्य		
पूर्वदत्त व्यय	44.48	–
उचित मूल्य समायोजन–सुरक्षा जमा (नोट 9.2 देखें)	93.33	77.55
उचित मूल्य समायोजन–गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) (नोट 9.3 देखें)	5.26	7.32
पट्टा समानीकरण आरक्षित निधि	324.61	–
कुल	**8,75,029.31**	**8,04,546.56**

नोट 9.1 – इसमें कंपनी की ओर से एक ठेकेदार द्वारा संचालित बैंक खाते में पड़ी शेष राशि शामिल है, जिसमें ठेकेदार को कंपनी के यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्यों से संबंधित विशिष्ट लेनदेन करने की अनुमति है। इसलिए, उपरोक्त शेष राशि को पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

नोट 9.2 – यह सुरक्षा जमा के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच के अंतर का अनमोर्जित हिस्सा दर्शाता है।

नोट 9.3 – यह गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच के अंतर का अनमोर्जित हिस्सा दर्शाता है।

नोट 9.4 – पश्चिमी रेलवे के पत्र संख्या डब्ल्यू 340/23 दिनांक 22.02.2019 के जवाब में, कंपनी ने पिछले वर्षों में मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) के लिए कुछ भूमि पार्सल के अधिग्रहण/हस्तांतरण के लिए 8,000.00 लाख रुपये का अनंतिम भुगतान किया था। उपलब्ध जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण के नियम और शर्तें पश्चिमी रेलवे के साथ अंतिम मूल्यांकन सहित अभी भी विचाराधीन हैं। तदनुसार, इसे पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट :– 10

वित्तीय परिसंपत्तियाँ–चालू

नोट 10.1–व्यापार प्राप्य राशि

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
व्यापार प्राप्य		
अच्छा माना गया – सुरक्षित;	–	–
अच्छा माना गया – असुरक्षित;	–	–
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–
व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	–	–
	–	–

नोट 10.1.1–कोई व्यापार प्राप्य नहीं है, इसलिए इसका एजिंग तैयार और प्रकट नहीं किया गया है।

नोट 10.2–नकद और नकद समकक्ष

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
बैंकों के पास शेष राशिः		
–चालू खाते में'	16,630.17	36,623.50
–फ्लेक्सी खाते में	15,015.07	28,558.29
इम्प्रेस्ट खाते में	15.44	15.35
सावधि जमा (3 महीने या 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ)	90,000.56	–
कुल	**1,21,661.24**	**65,197.14**

अल्पकालिक जमा एक दिन से तीन महीने के बीच विभिन्न अवधियों के लिए किए जाते हैं, जो कंपनी की तत्काल नकदी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, और संबंधित अल्पकालिक जमा दरों पर ब्याज अर्जित करते हैं।

** उपरोक्त में एनएचएसआरसीएल के नाम पर संयुक्त बैंक खातों में पड़ी शेष राशि के लिए 5517.05 लाख रुपये (पिछले वर्ष 681.23 लाख रुपये) शामिल हैं। बैंक खाते में पड़ी राशि का उपयोग विशेष रूप से एमएएचएसआर परियोजना के लिए भूमि खरीद हेतु किया जाना है।*

नोट 10.3–नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
बैंकों के पास शेष राशिः		
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि (नोट 10.3.1 देखें)	141.77	124.90
कुल	**141.77**	**124.90**

नोट 10.3.1–बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि सीएसआर खर्चों के लिए अप्रयुक्त शेष राशि को दर्शाती है।

नोट 10.4–ऋण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
असुरक्षित, अच्छा माना गया, परिशोधित लागत पर		
कर्मचारी को गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण	2.57	3.85
कुल	**2.57**	**3.85**

नोट 10.5–अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
उपार्जित ब्याज	628.86	28.12
अन्य प्राप्य	103.40	0.46
सुरक्षा जमा	613.82	1,050.89
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	150.00	–
और 12 महीने से कम की शेष परिपक्वता	13,696.09	12,765.55
अप्रतिदेय राजस्व		
कुल	**15,192.17**	**13,845.02**

नोट :– 11

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
खर्चों के लिए अग्रिम	306.24	323.84
अन्य		
पूर्वदत्त व्यय	335.17	252.23
उचित मूल्य समायोजन–सुरक्षा जमा*	33.91	20.01
उचित मूल्य समायोजन–गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए)**	0.61	0.86
कुल	**675.93**	**596.94**

* यह सुरक्षा जमा के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच के अंतर का अनमोर्चित हिस्सा दर्शाता है।

** यह गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच के अंतर का अनमोर्चित हिस्सा दर्शाता है।

नोट :– 12

इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
20,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000 रुपये का	20,00,000	20,00,000
(31 मार्च 2024 को, 20,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000 रुपये का)	**20,00,000**	**20,00,000**
जारी/अभिदत्त और चुकता पूंजी		
15,00,60,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000 रुपये का	15,00,600	15,00,600
(31 मार्च 2024 को, 15,00,60,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000 रुपये का)	**15,00,600**	**15,00,600**

नोट 12.1–इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)	शेयरों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
वर्ष की शुरुआत में बकाया जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी	15,00,60,000	15,00,600	14,21,14,300	14,21,143
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	–	79,45,700	79,457
वर्ष के अंत में बकाया जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी	15,00,60,000	15,00,600	15,00,60,000	15,00,600

नोट 12.2–शेयरों से जुड़े अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के पास केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर हैं जिन्हें 1,000/– रुपये के सममूल्य वाले इक्विटी शेयर कहा जाता है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों में से कोई भी प्राप्त करने के हकदार होंगे। 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, इक्विटी शेयरधारकों को वितरण के लिए घोषित लाभांश शून्य था (पिछले वर्ष: शून्य)।

नोट 12.3–कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)	शेयरों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
इक्विटी शेयर				
रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उसके नामित	10,00,00,000	66.64 %	10,00,00,000	66.64 %
गुजरात सरकार (जीओजी)	5,00,00,000	33.32 %	5,00,00,000	33.32 %
महाराष्ट्र सरकार (जीओएम)*	60,000	0.04 %	60,000	0.04 %
कुल	**15,00,60,000**	**100.00 %**	**15,00,60,000**	**100.00 %**

नोट 12.4–प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

31 मार्च 2025 को

प्रवर्तक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या (संख्या में)	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या (संख्या में)	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1000 रुपये प्रत्येक का इक्विटी शेयर					
रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उसके नामित	10,00,00,000	–	10,00,00,000	66.64 %	0.00 %
गुजरात सरकार (जीओजी)	5,00,00,000	–	5,00,00,000	33.32 %	0.00 %
महाराष्ट्र सरकार (जीओएम)*	60,000	–	60,000	0.04 %	0.00 %
कुल	**15,00,60,000**	–	**15,00,60,000**		

31 मार्च 2024 को

प्रवर्तक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या (संख्या में)	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या (संख्या में)	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
प्रत्येक 1000 रुपये के इक्विटी शेयर					
रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उसके नामित	10,00,00,000	—	10,00,00,000	66.64%	—3.73%
गुजरात सरकार (जीओजी)	4,20,54,300	79,45,700	5,00,00,000	33.32%	3.73%
महाराष्ट्र सरकार (जीओएम)*	60,000	—	60,000	0.04%	0.00%
कुल	**14,21,14,300**	**79,45,700**	**15,00,60,000**		

* *कंपनी के अंतर्नियमों के खंड 26 के तहत निर्धारित महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) के इक्विटी योगदान में कमी है। यह खंड अनिवार्य करता है कि कंपनी के प्रवर्तकों के बीच यह सहमति है कि किसी भी समय भारत सरकार (जीओआई) का शेयर 26% से कम नहीं होगा और महाराष्ट्र सरकार/गुजरात सरकार (जीओएम/जीओजी) का शेयर 10% से कम नहीं होगा। हालांकि, बैलेंस शीट की तारीख तक महाराष्ट्र सरकार ने कुल शेयरधारिता का केवल 0.04% योगदान दिया है और अंतर्नियमों द्वारा आवश्यक शेष योगदान अभी तक नहीं किया गया है।*

नोट 12.5—रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले के पांच वर्षों की अवधि के दौरान कोई भी इक्विटी शेयर बोनस के रूप में, या नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी नहीं किए गए थे और न ही कोई शेयर वापस खरीदे गए थे।

नोट :— 13

अन्य इक्विटी राशि

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
प्रतिधारित आय (नोट 13.1 देखें)	37,928.79	31,309.31
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित (नोट 13.2 देखें)	—	—
कुल	**37,928.79**	**31,309.31**

नोट 13.1—प्रतिधारित आय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
प्रारंभिक शेष	**31,309.31**	**24,478.65**
पिछली अवधि का पुनर्कथन	—	1,085.15
वर्ष की 1 अप्रैल को पुनर्कथित शेष	**31,309.31**	**23,393.50**
जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ	6,834.57	8,015.83
घटाएं: शेयर जारी करने के व्यय	—	79.46
जोड़ें: से उत्पन्न अन्य व्यापक आय	215.09	20.56
परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्मापन, शुद्ध आयकर		
अंतिम शेष	**37,928.79**	**31,309.31**

आरक्षित निधियों की प्रकृति और उद्देश्य:

(ए) प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी के अवितरित लाभों का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट 13.2–शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
प्रारंभिक शेष	–	**29,457.00**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	–	50,000.00
घटाएं: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	79,457.00
अंतिम शेष	–	–

नोट :– 14

वित्तीय देनदारियां – गैर–चालू

नोट 14.1–पट्टा देनदारियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
पट्टा देनदारियां	2,910.28	1,096.28
कुल	**2,910.28**	**1,096.28**

नोट 14.2–अन्य वित्तीय देनदारियां (अमूर्त लागत पर)

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी (नोट 14.2.1 देखें)	59,49,500.00	43,49,500.00
प्रतिधारण राशि सहित सुरक्षा जमा	13,569.22	9,523.53
कुल	**59,63,069.22**	**43,59,023.53**

नोट 14.2.1–वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना के लिए ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ("जेआईसीए") के साथ निम्नलिखित समझौतों (31 मार्च 2025 को) को निष्पादित किया है। पुनर्भुगतान अवधि 50 वर्ष (15 वर्ष की रियायती अवधि सहित) है। ब्याज दर 0.1% प्रति वर्ष है।

उद्देश्य	परियोजना के लिए प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	एमएएचएसआर का निर्माण	एमएएचएसआर का निर्माण	एमएएचएसआर का निर्माण	एमएएचएसआर का निर्माण	एमएएचएसआर का निर्माण
ऋण आईडी	**ID– P264**	**ID– P277**	**ID– P279**	**ID– P305**	**ID– P309**	**ID– P316**
स्वीकृत ऋण राशि (लाख जेपीवाई में)	1,04,530	8,95,470	15,00,000	10,00,000	30,00,000	40,00,000
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	15–09–2017	28–09–2018	29–10–2018	25–07–2022	29–03–2023	21–12–2023

रेल मंत्रालय ("एमओआर") ने 31 मार्च 2025 तक कंपनी को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना ("ईएपी") के रूप में 59,49,500/– लाख रुपये (पिछले वर्ष 43,49,500/– लाख रुपये) की राशि जारी की है। जेआईसीए ने 31 मार्च 2025 तक रेल मंत्रालय/वित्त मंत्रालय को 81,26,554.12 लाख जेपीवाई (31 मार्च 2024: 53,30,194.09 लाख जेपीवाई) की ऋण राशि जारी की है।

कंपनी और रेल मंत्रालय के बीच उपरोक्त ईएपी से संबंधित नियम और शर्तें इन वित्तीय विवरणों की तारीख तक विचाराधीन हैं। संबंधित नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, कंपनी ने उपरोक्त ईएपी को "वित्तीय देनदारियां – गैर–चालू" शीर्षक के तहत प्रस्तुत किया है।

रेल मंत्रालय ने 02.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को सूचित किया गया कि "एमएएचएसआर परियोजना के लिए जेआईसीए ऋण के प्रस्ताव को एनएचएसआरसीएल को 0.1% ब्याज पर हस्तांतरित करने पर विचार किया जा सकता है, जिसमें हेजिंग लागत सरकार को सौंपी जाएगी।"

तदनुसार, एनएचएसआरसीएल ने उपरोक्त ईएपी/अग्रिम पर 0.1% की दर से ब्याज को कंपनी को रेल मंत्रालय द्वारा संवितरित राशि पर (जेआईसीए से रेल मंत्रालय/वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त ऋण की सीमा तक) 31 मार्च 2025 तक मान्यता दी है।

रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम के लिए लेनदेन मूल्य को उचित मूल्य माना गया है क्योंकि एनएचएसआरसीएल के मामले में समान क्रेडिट रेटिंग वाले समान साधन के लिए ब्याज उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इंड एएस 109 के अनुसार उचित मूल्यांकन के लिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

नोट :– 15

प्रावधान–गैर–चालू

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,442.84	994.72
सामान/निपटान भत्ते के लिए प्रावधान	68.54	50.75
एलटीसी (अवकाश यात्रा रियायत) के लिए प्रावधान	292.73	211.59
कुल	**1,804.11**	**1,257.06**

नोट :– 16

अन्य गैर–चालू देयताएं

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अग्रिम में प्राप्त किराया आय	–	–
कुल	–	–

नोट :– 17

वित्तीय देयताएं– चालू टिप्पणी

नोट 17.1 – पट्टा देयताएं

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
पट्टा देयताएं	885.18	945.46
कुल	**885.18**	**945.46**

नोट 17.2 – व्यापार देयताएं

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
व्यापार देयताएं*		
(ए) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; और	–	–
(बी) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	–	–
कुल	–	–

** कोई व्यापार देयताएं नहीं हैं, इसलिए संबंधित पक्षों को देय राशियों की उम्र और प्रकटीकरण तैयार नहीं किया गया है।*

नोट 17.3–अन्य वित्तीय देयताएं (अमोर्तित लागत पर)

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अन्य देयताएं (नोट 17.3.1 देखें)	2,21,689.13	1,93,226.18
कर्मचारी लाभ देयताएं	6.12	116.60
प्रतिधारण राशि सहित सुरक्षा जमा	2,312.59	2,546.25
ईएपी पर अर्जित ब्याज (नोट 14.2.1 देखें)	6,971.99	3,386.37
कुल	**2,30,979.83**	**1,99,275.40**

नोट 17.3.1–अन्य देयताएं गैर–ब्याज वाली साधन हैं।

नोट :– 18

अन्य चालू देयताएं

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुबंध देयता		
ग्राहक से अग्रिम (नोट 18.1 देखें)	10,207.00	10,207.00
अन्य		
अग्रिम में प्राप्त किराया आय	–	8.73
सांविधिक देयताएं	15,535.56	13,824.73
अन्य	–	0.56
कुल	**25,742.56**	**24,041.02**

नोट 18.1– रेल मंत्रालय (एमओआर) ने 13 अप्रैल 2019 और 15 अप्रैल 2020 के पत्रों के माध्यम से एनएचएसआरसीएल को भारत में कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर आठ राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल ("एचएसआर") कॉरिडोरों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ("डीपीआर, रिपोर्ट") तैयार करने और उसका कार्य करने का जिम्मा सौंपा है, जिसकी अनुमानित लागत 50,723 लाख रुपये और लागू कर है, जिसके विरुद्ध कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 10,207 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इस खाते में 31.3.2025 तक कोई और धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त, एनएचएसआरसीएल और रेल मंत्रालय के बीच एक विस्तृत समझौता ज्ञापन 23 जनवरी 2024 को निष्पादित किया गया है। रेल मंत्रालय के पत्रों/समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यक्षेत्र को निष्पादित किया और डीपीआर (मसौदा/अंतिम) प्रस्तुत की। हालांकि, रेल मंत्रालय से प्रस्तुत रिपोर्टों की स्वीकृति आज तक लंबित है। रेल मंत्रालय द्वारा रिपोर्टों की स्वीकृति की पुष्टि लंबित होने के कारण, एनएचएसआरसीएल प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से मापने की स्थिति में नहीं है और ये रिपोर्टें एनएचएसआरसीएल के लिए वैकल्पिक उपयोग वाली संपत्ति का निर्माण नहीं करती हैं और एनएचएसआरसीएल को आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान का एक प्रवर्तनीय अधिकार है। इसलिए, इन डीपीआर पर हुई लागत की सीमा तक राजस्व को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है और रेल मंत्रालय से प्राप्त मोबिलाइजेशन अग्रिमों को "ग्राहक से अग्रिम" के रूप में प्रकट किया गया है, जब तक कि स्वीकृति की पुष्टि नहीं हो जाती।

नोट :– 19

प्रावधान–चालू

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान	141.78	124.90
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	215.94	153.04
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	74.51	92.62
सामान/निपटान भत्ते के लिए प्रावधान	0.87	0.71
एलटीसी (अवकाश यात्रा रियायत) के लिए प्रावधान	10.80	14.41
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों के लिए प्रावधान	317.12	70.52
कुल	**761.02**	**456.20**

नोट :– 20

चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)/चालू कर देयता (शुद्ध)

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
चालू कर परिसंपत्तियां		
चालू कर के लिए प्रावधान	(1,675.09)	(2,650.36)
अग्रिम कर और स्रोत पर काटा गया कर	2,373.69	2,248.28
कुल	**698.60**	**(402.08)**
चालू कर देयता	–	–
चालू कर के लिए प्रावधान	–	–
अग्रिम कर और स्रोत पर काटा गया कर	–	–
कुल	–	–

नोट 21.1–परिचालन से राजस्व

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
परिचालन से राजस्व		
अन्य एचएसआर कॉरिडोरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से राजस्व (नोट 18.1 देखें)	930.54	12,765.55
कुल	**930.54**	**12,765.55**

नोट 21.2–अन्य आय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज आय	12,436.64	12,999.52
ब्याज आय – फ्लेक्सी खाता	1,215.45	1,544.78
ब्याज आय – अन्य	18.66	91.46
कर्मचारी को एचबीए ऋण पर ब्याज आय	1.12	2.15
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	12.80	20.65
अन्य गैर–परिचालन आय		
अन्य प्राप्तियां	242.02	246.51
पट्टा आय	350.30	23.33
विदेशी मुद्रा लाभ (शुद्ध)	103.99	–
कुल	**14,380.98**	**14,928.40**
घटाएं: पूंजीगत कार्य प्रगति पर हस्तांतरित ब्याज आय जिसे उधार लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाना है (नोट 4.4 देखें)	(3,585.62)	(1,936.24)
	10,795.36	**12,992.16**

नोट :– 22
परिचालन व्यय राशि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अन्य एचएसआर कॉरिडोरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर व्यय (नोट 18.1 देखें)	930.54	12,765.55
कुल	**930.54**	**12,765.55**

नोट :– 23
कर्मचारी लाभ व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वेतन और मजदूरी	12,010.86	11,273.14
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1,717.06	1,088.37
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,858.88	1,706.76
कुल	**15,586.80**	**14,068.27**
घटाएं: पूंजीगत कार्य–प्रगति पर हस्तांतरित	15,101.14	13,809.48
कुल	**485.66**	**258.79**

नोट :– 24
वित्त लागत

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
कर पर ब्याज	75.53	–
पट्टे की देयता पर ब्याज	350.59	144.16
रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी पर ब्याज	3,585.62	1,936.24
	4,011.74	**2,080.40**
घटाएं: पूंजीगत कार्य–प्रगति पर हस्तांतरित	339.41	141.59
घटाएं: पूंजीगत कार्य–प्रगति पर उधार लागत हस्तांतरित (नोट 4.4 देखें)	3,585.62	1,936.24
कुल	**86.71**	**2.57**

नोट :– 25
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (नोट–3 देखें)	915.73	768.14
अन्य अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन (नोट–6.1 देखें)	2,556.67	2,517.81
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों पर मूल्यह्रास (नोट–6.3 देखें)	1,604.88	1,000.51
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास (नोट–5 देखें)	301.82	–
कुल	**5,379.10**	**4,286.46**
घटाएं: पूंजीगत कार्य–प्रगति पर हस्तांतरित	4,953.64	4,234.26
कुल	**425.46**	**52.20**

नोट :– 26
अन्य व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
कार्यालय किराया	1,150.54	1,139.49
शुल्क, दरें और कर	513.56	105.61
मरम्मत, रखरखाव और अन्य	1,537.22	1,362.35
बिजली और ईंधन	336.02	282.27
यात्रा व्यय	2,596.06	1,858.46
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट–26.1 देखें)	7.43	6.81
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	469.14	300.96
मुद्रण और लेखन सामग्री	204.39	180.15
संचार व्यय	104.94	93.71
पुस्तकें और पत्रिकाएं	12.43	10.90
परियोजना संवर्धन	188.55	148.66
अनुसंधान और विकास	–	131.09
विविध व्यय	357.75	257.36
हाउसकीपिंग व्यय	587.29	479.21
मानवशक्ति की आउटसोर्सिंग	2,841.01	2,500.42
विज्ञापन व्यय	25.07	64.59
सीएसआर व्यय	160.19	201.62
विदेशी मुद्रा हानि (शुद्ध)	–	380.28
कुल	**11,091.59**	**9,503.94**
घटाएं: पूंजीगत कार्य–प्रगति पर हस्तांतरित	8,989.20	7,720.45
कुल	**2,102.39**	**1,783.49**

नोट 26.1–लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
लेखा परीक्षकों को भुगतान		
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	4.50	4.50
कर लेखा परीक्षा शुल्क वित्तीय वर्ष 2023–24	1.21	–
पिछले लेखा परीक्षक के व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.59	0.59
लेखा परीक्षा शुल्क पर जीएसटी	1.13	1.72
कुल	**7.43**	**6.81**

नोट :– 27
आयकर व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
चालू आयकर:		
चालू आयकर प्रभार	1,675.09	2,738.47
पिछले वर्ष का आयकर	141.16	–
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के संबंध में	(955.70)	140.81
कुल	**860.55**	**2,879.28**

अन्य व्यापक आय पर आयकर व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आस्थगित करः		
चालू वर्ष के संबंध में	(72.34)	(6.91)
	(72.34)	**(6.91)**
कुल कर व्यय	**788.21**	**2,872.37**

कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच सामंजस्यः

राशि (लाख रुपये में)

विवरण विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
निरंतर परिचालन से कर–पूर्व लेखांकन लाभ	7,407.71	10,867.64
आयकर–पूर्व लेखांकन लाभ	**7,407.71**	**10,867.64**
भारत की सांविधिक आयकर दर 25.168% पर (पिछला वर्ष 25.168%)	1,864.37	2,735.17
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं हैं		
इंड एएस समायोजन (शुद्ध)	(11.99)	(0.51)
करों पर ब्याज	19.01	–
शेयर जारी करने के खर्चों के लिए समायोजन	(37.38)	(63.18)
आस्थगित कर समायोजन	1,028.03	133.89
मूल्यह्रास का समायोजन	1,125.29	(471.05)
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और अन्य स्थायी अंतर	63.95	50.74
पिछले वर्ष का आयकर व्यय	141.16	–
ईएपी कर योग्य पर ब्याज	902.43	487.31
	788.23	**2,872.37**
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय (निरंतर परिचालन से संबंधित)	788.21	2,872.37
प्रभावी कर दर	**10.64%**	**26.43%**

नोट :– 28

अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई.) के घटक

विवरण	एफवीटीओसीआई आरक्षित	
	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(287.43)	(27.47)
कुल	**(287.43)**	**(27.47)**
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर कर	72.34	6.91
कुल	**72.34**	**6.91**

नोट :– 29
प्रति शेयर आय (ईपीएस)

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (रुपये प्रति शेयर)	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (रुपये प्रति शेयर)
मूल ईपीएस		
निरंतर परिचालन से (नोट 29.1 देखें)	4.41	5.37
बंद किए गए परिचालन से (नोट 29.1 देखें)	–	–
तनु ईपीएस		
निरंतर परिचालन से (नोट 29.2 देखें)	4.41	5.37
बंद किए गए परिचालन से (नोट 29.2 देखें)	–	–

नोट 29.1–मूल प्रति शेयर आय

मूल प्रति शेयर आय की गणना में उपयोग की गई आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्याः

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभः		
निरंतर परिचालन से (लाख रुपये में)	6,619.48	7,995.27
बंद किए गए परिचालन से (लाख रुपये में)		
मूल प्रति शेयर आय की गणना में उपयोग की गई आय (लाख रुपये में)	**6,619.48**	**7,995.27**
मूल प्रति शेयर आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख शेयरों में)	1,500.60	1,489.59
निरंतर परिचालन से	4.41	5.37
बंद किए गए परिचालन से	–	–

नोट 29.2 – कमजोर प्रति शेयर आय

कमजोर प्रति शेयर आय की गणना में उपयोग की गई आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्याः– (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभः		
जारी परिचालन से (लाख रुपये में)	6,619.48	7,995.27
बंद किए गए परिचालन से (लाख रुपये में)	–	–
जारी परिचालन से कमजोर प्रति शेयर आय की गणना में उपयोग की गई आय	**6,619.48**	**7,995.27**
जारी परिचालन से	4.41	5.37
बंद किए गए परिचालन से	–	–

कमजोर प्रति शेयर आय के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या, मूल प्रति शेयर आय की गणना में उपयोग की गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इस प्रकार मेल खाती है:

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल प्रति शेयर आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में)	1,500.60	1,489.59
कमजोरी का प्रभाव :	–	–
कमजोर प्रति शेयर आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में)	**1,500.60**	**1,489.59**

नोट :– 30

(i) पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का इस तरह से प्रबंधन करना है ताकि एक चालू व्यवसाय के रूप में अपनी क्षमता को सुनिश्चित और सुरक्षित रखा जा सके, जिससे कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास कोई उधार नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

(ii) 31 मार्च 2025 को वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	अग्रिम/ईएपी पर अर्जित ब्याज	पट्टा देनदारियां	इक्विटी शेयर पूंजी	देय स्टाम्प शुल्क	शेयर आवेदन राशि	रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी	कुल
31 मार्च, 2023 को शेष	**1,450.12**	**1,699.72**	**14,21,143.00**	–	**29,457.00**	**25,20,000.00**	**39,73,749.84**
इंड एएस–116 को अपनाने पर पहचान	–	–	–	–	–	–	–
1 अप्रैल, 2023 को पुनर्कथित शेष	**1,450.12**	**1,699.72**	**14,21,143.00**	–	**29,457.00**	**25,20,000.00**	**39,73,749.84**
नकदी प्रवाहः–							
–भुगतान	–	1,074.24	–	79.46	–	–	1,153.70
–प्राप्तियां	–	–	50,000.00	–	–	18,29,500.00	18,79,500.00
गैर–नकदीः–							
– वर्ष के दौरान वृद्धि	1936.24	1,272.10	–	79.46	–	–	3,287.81
– पट्टा देनदारियों पर ब्याज	–	144.16	–	–	–	–	144.16
– इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में मान्यता प्राप्त शेयर आवेदन राशि	–	–	29,457.00	–	29,457.00	–	–
31 मार्च, 2024 को शेष	**3,386.36**	**2,041.74**	**15,00,600.00**	–	–	**43,49,500.00**	**58,55,528.11**
इंड एएस–116 को अपनाने पर पहचान							
1 अप्रैल, 2024 को पुनर्कथित शेष	**3,386.36**	**2,041.74**	**15,00,600.00**	–	–	**43,49,500.00**	**58,55,528.10**
नकदी प्रवाहः–							
–भुगतान	–	1,654.29	–	–	–	–	1,654.29
–प्राप्तियां	–	–	–	–	–	16,00,000.00	16,00,000.00
गैर–नकदीः–							
– वर्ष के दौरान वृद्धि	3,585.62	3,057.42	–	–	–	–	6,643.04
– पट्टा देनदारियों पर ब्याज	–	350.59	–	–	–	–	350.59
– इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में मान्यता प्राप्त शेयर आवेदन राशि	–	–	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2025 को शेष	**6,971.98**	**3,795.46**	**15,00,600.00**	–	–	**59,49,500.00**	**74,60,867.44**

नोटः–31

उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) सुरक्षा जमा	–	–	2,728.79	–	–	1,442.53
(ii) कर्मचारियों को एचबीए ऋण	–	–	19.51	–	–	28.58
(iii) नकद और नकद समकक्ष	–	–	1,21,661.24	–	–	65,197.14
(iv) (iii) उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	–	–	141.77	–	–	124.90
(v) अन्य	–	–	14,598.17	–	–	12,813.95
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	–	–	**1,39,149.48**	–	–	**79,607.10**
वित्तीय देनदारियां						
(i) सुरक्षा जमा	–	–	15,881.81	–	–	12,069.78
(ii) ईएपी के लिए रेल मंत्रालय से अग्रिम/ईएपी	–	–	59,49,500.00	–	–	43,49,500.00
(iii) पट्टा देनदारियां	–	–	3,795.46	–	–	2,041.74
(iv) अन्य	–	–	2,28,667.24	–	–	1,96,729.15
कुल वित्तीय देनदारियां	–	–	**61,97,844.51**	–	–	**45,60,340.67**

**लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य*

***अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य*

(ii) परिसंपत्तियां और देनदारियां जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किए गए हैं।

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
सुरक्षा जमा	2,728.79	2,557.04	1,442.53	1,382.36
कर्मचारी ऋण	19.51	18.40	28.58	26.00
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,748.30**	**2,575.44**	**1,471.11**	**1,408.36**

क. अल्पकालिक सुरक्षा जमा, नकद और नकद समकक्ष तथा अन्य अल्पकालिक प्राप्य और अन्य देय राशियों के वहन मूल्यों को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

ख. दीर्घकालिक सुरक्षा जमा का उचित मूल्य वर्तमान बाजार दर का उपयोग करके छूट प्राप्त नकदी प्रवाह पर गणना की गई थी। अप्राप्य इनपुट के समावेश के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर–3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन योग्य हैं, या तो सीधे (अर्थात कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न)।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्राप्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं। निम्न तालिका आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य मापन पदानुक्रम को प्रस्तुत करती है।

31 मार्च 2025 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन पदानुक्रम के मात्रात्मक प्रकटीकरण:–

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किए गए हैं:				
सुरक्षा जमा	–	–	2,557.04	2,557.04
कर्मचारी ऋण	–	–	18.40	18.40
	–	–	**2,575.44**	**2,575.44**

31 मार्च 2024 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन पदानुक्रम के मात्रात्मक प्रकटीकरण:–

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किए गए हैं:				
सुरक्षा जमा	–	–	1,382.36	1,382.36
कर्मचारी ऋण	–	–	26.00	26.00
	–	–	**1,408.36**	**1,408.36**

नोट :– 32

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय लिखतों के संबंध में विभिन्न जोखिमों के प्रति उजागर है। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम के प्रति उजागर है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती हैं और वित्तीय जोखिमों को कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार पहचाना, मापा और प्रबंधित किया जाता है, जो नीचे संक्षेपित हैं:–

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार मूल्यों में बदलाव के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार कंपनी के पास कोई ऋण/उधार न होने के कारण कंपनी को कोई ब्याज दर जोखिम नहीं है।

ख) विदेशी मुद्रा जोखिम

विनिमय में उतार–चढ़ाव विदेशी मुद्रा में अंकित अनुबंधों के कारण होता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम को कवर करने के लिए कोई हेजिंग लिखत नहीं है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी का महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	यूएसडी	जेपीवाई	यूएसडी	जेपीवाई
देयता				
ठेकेदारों को देय	32,185.82	23,878.90	70,157.81	13,809.25

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

निम्नलिखित सारणियाँ यूएसडी और जेपीवाई विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती हैं, जिसमें अन्य सभी चर स्थिर रखे गए हैं। कंपनी के कर–पूर्व लाभ पर प्रभाव मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य में बदलाव के कारण है। अन्य सभी मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनों के प्रति कंपनी का जोखिम महत्वपूर्ण नहीं है।

राशि (लाख रुपये में)

	यूएसडी दर में परिवर्तन	कर–पूर्व लाभ पर प्रभाव
31 मार्च 2025 को	5%	1,609.29
	–5%	(1,609.29)
31 मार्च 2024 को	5%	3,507.89
	–5%	(3,507.89)

राशि (लाख रुपये में)

	यूएसडी दर में परिवर्तन	कर–पूर्व लाभ पर प्रभाव
31 मार्च 2025 को	5%	1,193.95
	–5%	(1,193.95)
31 मार्च 2024 को	5%	690.46
	–5%	(690.46)

ग) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों में चूक के जोखिम को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय लिखतों जैसे कर्मचारियों को अग्रिम, सुरक्षा जमा और अन्य प्राप्य के लिए क्रेडिट जोखिम के प्रति उजागर है। क्रेडिट जोखिम के प्रति अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है।

घ) वित्तीय लिखत और नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ शेष राशि से क्रेडिट जोखिम को कंपनी की नीति के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। अधिशेष का निवेश केवल अनुमोदित प्रतिपक्ष के साथ प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार पर किया जाता है।

ङ) तरलता जोखिम

कंपनी की तरलता आवश्यकताओं की मासिक अनुमानों के आधार पर निगरानी की जाती है। कंपनी के तरलता के मुख्य स्रोत शेयर पूंजी के निर्गम से उत्पन्न नकदी और नकदी समकक्ष तथा जेआईसीए वित्त पोषित परियोजना के लिए रेल मंत्रालय से अग्रिम हैं।

कंपनी नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके और पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखकर अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करती है। किसी भी कमी का निर्धारण करने के लिए शुद्ध नकदी आवश्यकता की उपलब्ध नकदी से तुलना की जाती है। अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं में मुख्य रूप से परियोजना संबंधी कार्य के लिए देय व्यय, कर्मचारियों के देय, सुरक्षा जमा और व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार उत्पन्न होने वाली प्रतिधारण राशि शामिल होती है। हम अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी और नकदी समकक्ष में पर्याप्त शेष बनाए रखते हैं।

नोट :– 33
अनुमान और मान्यताएं

भविष्य से संबंधित प्रमुख मान्यताएं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनके कारण अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों के वहन मूल्य में भौतिक समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन विधियों के इनपुट जहां संभव हो अवलोकनीय बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों पर पहुंचने में निर्णय की एक डिग्री की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन वित्तीय लिखतों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

ख) कर

स्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है जहां तक यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध हानियों का उपयोग किया जा सकता है। स्थगित कर परिसंपत्ति की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता है, जो भविष्य के कर योग्य लाभ के संभावित समय और स्तर के साथ–साथ भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों पर आधारित है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक शामिल हैं। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

घ) पट्टे

कंपनी यह निर्धारित करने में अपने अनुमान का उपयोग करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं, पट्टा समझौते का विस्तार विकल्प और पट्टा समझौते का समाप्ति विकल्प प्रयोग किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा कंपनी पट्टों की पट्टा अवधि के दौरान उपयोग की जाने वाली उपयुक्त छूट दर की गणना करने में अनुमान का उपयोग करती है।

ङ) राजस्व

राजस्व और संबंधित प्राप्य की मान्यता प्राप्त राशि परिणाम और पूर्णता के चरण के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाती है जिसे प्रगति, प्रयासों, आज तक किए गए खर्च, लगाए गए समय, प्रदान की गई सेवा या किसी अन्य विधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसे प्रबंधन ने उपयुक्त माना। किए गए कार्य की स्वीकृति की पुष्टि लंबित होने पर, पूरा करने की लागत और लाभप्रदता महत्वपूर्ण अनुमान और अनिश्चितता के अधीन हैं।

नोटः–34

संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

नोट 34.1–संबंधित पक्ष

नोट 34.1.1–इकाई के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद
सतीश कुमार अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा नामित) (05.09.2024 से प्रभावी)
विवेक कुमार गुप्ता	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) (पूरे 2024–25 के दौरान)
विवेक प्रकाश त्रिपाठी	निदेशक (वित्त) (पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी) (पूरे 2024–25 के दौरान)
अंजुम परवेज	निदेशक (परियोजनाएं) (पूर्णकालिक निदेशक) (पूरे 2024–25 के दौरान)
आलोक कटियार	निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली) (पूर्णकालिक निदेशक) (पूरे 2024–25 के दौरान)
संदीप श्रीवास्तव	निदेशक (रोलिंग स्टॉक) (पूर्णकालिक निदेशक) (पूरे 2024–25 के दौरान)
प्रमोद शर्मा	निदेशक (कार्य) (पूर्णकालिक निदेशक) (पूरे 2024–25 के दौरान)
डॉ. प्रणय प्रभाकर प्रधान कार्यकारी निदेशक / इन्फ्रा, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) (पूरे 2024–25 के दौरान)
अन्विता सिन्हा कार्यकारी निदेशक / स्थापना (राजपत्रित संवर्ग), रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) (पूरे 2024–25 के दौरान)
संजय जगदीशचंद्र सेठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन और बंदरगाह), महाराष्ट्र सरकार	अंशकालिक निदेशक (महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित) (पूरे 2024–25 के दौरान)
एच.सी. मोदी मुख्य अभियंता (एनएच) और अतिरिक्त सचिव, सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात सरकार	अंशकालिक निदेशक (गुजरात सरकार द्वारा नामित) (30.06.2024 तक)
जया वर्मा सिन्हा अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा नामित) (31.08.2024 तक)
विकास चौबे	निदेशक (परिवहन, सुरक्षा और विपणन) (24.07.2024 से प्रभावी)
पी. आर. पटेलिया विशेष सचिव, सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात सरकार	अंशकालिक निदेशक (गुजरात सरकार द्वारा नामित) (03.09.2024 से 10.02.2025 तक)
किरीतकुमार मगनलाल पटेल	अंशकालिक निदेशक (गुजरात सरकार द्वारा नामित) (15.02.2025 से प्रभावी)
मुख्य अभियंता (क्यूसी) और अतिरिक्त सचिव, तथा विशेष सचिव (अतिरिक्त प्रभार), सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात सरकार	(15.02.2025 से प्रभावी)
सुमीता शर्मा	कंपनी सचिव (पूरे 2024–25 के दौरान)

नोट 34.1.2–अन्य संबंधित पक्ष

अन्य संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति
एनएचएसआरसीएल एम्प्लोयीज़ ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति के बाद लाभ ट्रस्ट
एनएचएसआरसीएल मेडिकल ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति के बाद लाभ ट्रस्ट
एचएसआर इनोवेशन सेंटर ट्रस्ट	अनुसंधान एवं विकास ट्रस्ट
महाराष्ट्र सरकार	कंपनी का प्रवर्तक
रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उसके नामित	कंपनी का प्रवर्तक
गुजरात सरकार	कंपनी का प्रवर्तक

नोट 34.2–संबंधित पक्षों के लेनदेन और शेष

नोट 34.2.1–प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिकः

वर्ष के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्नानुसार थाः

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अल्पकालिक लाभ	368.96	264.89
सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ	11.54	69.23
अन्य दीर्घकालिक लाभ	57.41	34.40
	437.91	**368.52**

नोट 34.2.2–ट्रस्टों के साथ लेनदेन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
एनएचएसआरसीएल एम्प्लोयीज़ ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट–अंशदान	138.09	185.93
एनएचएसआरसीएल मेडिकल ट्रस्ट–अंशदान	70.51	32.03
एचएसआर इनोवेंशन सेंटर ट्रस्ट	–	131.09
	208.60	**349.05**

नोट 34.3–संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन

ऊपर बताए गए लेनदेन के अलावा, कंपनी के संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैंः–

सरकार का नामः– रेल मंत्रालय, भारत सरकार (इकाई पर महत्वपूर्ण नियंत्रण), गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार

वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2023–24 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण लेनदेनः

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए			31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		
	महाराष्ट्र सरकार	रेल मंत्रालय (एमओआर)	गुजरात सरकार	महाराष्ट्र सरकार	रेल मंत्रालय (एमओआर)	गुजरात सरकार
इक्विटी शेयर पूंजी के लिए प्राप्त राशि	–	–	–	–	–	5,00,000.00
रेल मंत्रालय से अग्रिम	–	16,00,000.00	–	–	18,29,500.00	–
परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम (अनुबंध देनदारियां)	–	–	–	–	–	–
यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य संबद्ध कार्यों के लिए किया गया भुगतान	–	–	–	–	–	–
सरकारी भूमि की खरीद के लिए किया गया भुगतान	(1,815.40)	–	–	(686.68)	–	(17,488.06)

नोटः –35

क. पूंजीगत प्रतिबद्धता

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान नहीं किए गए कार्यों की राशि (अग्रिमों के निवल) 31.03.2025 को 48,91,280.72 लाख रुपये (पिछले वर्ष 61,01,450.41 लाख रुपये) है।

ख. आकस्मिक देयता

(i) कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, 4,77,767.72 लाख रुपये (पिछले वर्ष 528.27 लाख रुपये) हैं, भूमि अधिग्रहण से संबंधित अदालती मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, अदालती मामलों के संबंध में देयता तुलन पत्र की तिथि पर निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ii) कंपनी अपनी परियोजनाओं के लिए सरकार और निजी पक्षों से नियमित रूप से भूमि का अधिग्रहण करती है और मालिकों को मौद्रिक मूल्य में मुआवजा देती है। निजी पक्षों के मामले में, कंपनी भूमि और आर एंड आर भुगतान के लिए कंपनी की नीति के अनुसार नई संपत्ति की बाद की खरीद पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। नई संपत्ति की बाद की खरीद पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(iii) कंपनी और एमओआर के बीच उपरोक्त ईएपी से संबंधित नियम और शर्तें इन वित्तीय विवरणों की तिथि तक विचाराधीन हैं। संबंधित नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक लंबित, कंपनी ने उपरोक्त ईएपी को "वित्तीय देनदारियां – गैर–चालू" शीर्षक के तहत प्रस्तुत किया है।

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.11.2023 के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को सूचित किया है कि "एमएएचएसआर परियोजना के लिए जेआईसीए ऋण के प्रस्ताव को एनएचएसआरसीएल को 0.1% ब्याज पर हस्तांतरित करने पर विचार किया जा सकता है, जिसमें हेजिंग लागत सरकार को सौंपी जाएगी"। तदनुसार, एनएचएसआरसीएल ने 31 मार्च 2025 तक कंपनी को एमओआर द्वारा संवितरित राशि (जेआईसीए से एमओआर/एमओएफ द्वारा प्राप्त ऋण की सीमा तक) पर उपरोक्त ईएपी/अग्रिम पर 0.1% की दर से ब्याज को मान्यता दी है।

चूंकि उपरोक्त मामला रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच विचाराधीन/चर्चा में है, लेखांकन की विवेकपूर्ण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त ब्याज लागत को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है, अन्य आकस्मिक लागत, यदि कोई हो, को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है और किसी भी पारस्परिक रूप से सहमत दस्तावेज़ के अभाव में यह वर्तमान में निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(iv) एमएएचएसआर परियोजना के निर्माण के लिए पत्र संख्या 2018/प्दतिं/12/32 दिनांक 16.01.2019 के संदर्भ में एमओआर से एनएचएसआरसीएल को सौंपी गई भूमि से संबंधित नियम और शर्तें इन वित्तीय विवरणों की तिथि तक अभी भी विचाराधीन हैं। वर्तमान में अंतिम रूप दिए जा रहे मूल्यांकन की विधियों पर निर्णय लंबित होने के कारण, एमएएचएसआर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए देय अंतिम राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

नोटः–36

कंपनी ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इंड एएस 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय का लेखा–जोखा किया है। इंड एएस 19 के अनुसार लाभ और हानि विवरण तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित अंशदान योजनाओं, परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक लाभ योजनाओं की सारांशित स्थिति निम्नानुसार है–

क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
कंपनी ने वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में निम्नलिखित राशियों को मान्यता दी		
भविष्य निधि आदि में नियोक्ता का अंशदान	1,717.06	1088.37
	1,717.06	**1088.37**

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ और अन्य दीर्घकालिक लाभ योजनाएँ

नोट 36.1–ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण

नोट 36.1.1–योजना देयता

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	927.73	1,517.35	682.36	1,087.34

नोट 36.1.2–सेवा लागत

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
वर्तमान सेवा लागत	187.08	325.93	148.24	241.72
पिछले सेवा लागत में कटौती लाभ/ हानि सहित	–	–	–	–
गैर–नियमित निपटान पर लाभ या हानि	–	–	–	–
कुल सेवा लागत	**187.08**	**325.93**	**148.24**	**241.72**

नोट 36.1.3–शुद्ध ब्याज लागत

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	49.20	78.40	38.24	47.18
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	(38.16)	–	(24.59)	–
शुद्ध ब्याज लागत (आय)	**11.04**	**78.40**	**13.65**	**47.18**

नोट 36.1.4–लाभ दायित्व राशि में परिवर्तन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	682.36	1,087.34	521.00	642.81
ब्याज लागत	49.20	78.40	38.24	47.18
सेवा लागत	187.08	325.93	148.24	241.72
पिछले सेवा लागत में कटौती लाभ/हानि सहित	–	–	–	–
भुगतान किए गए लाभ	(59.82)	(197.38)	(20.24)	(128.70)
दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	68.91	223.07	(4.88)	284.33
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**927.73**	**1,517.36**	**682.36**	**1,087.34**

नोट 36.1.5–दायित्व राशि पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	–	–	–	–
वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	32.19	52.97	10.80	15.84
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	36.72	170.10	15.68	268.49

नोट 36.1.6–योजना परिसंपत्ति राशि पर बीमांकिक लाभ/हानि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
अपेक्षित ब्याज आय	(38.16)	–	(24.59)	–
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	44.38	–	28.56	–
परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	**6.22**	–	**3.97**	–

नोट 36.1.7–दायित्व के शुद्ध मूल्य में परिवर्तनः

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
प्रारंभिक शेष	153.04	1,087.34	185.93	642.81
ब्याज लागत	11.03	78.40	13.65	47.18
वर्तमान सेवा लागत	187.09	325.93	148.24	241.72
पिछले सेवा लागत में कटौती लाभ/हानि सहित	–	–	–	–
इकाई द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(59.82)	(197.38)	–	(128.70)
फंड में दिया गया योगदान	(138.09)	–	(185.93)	–
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	62.69	223.07	(8.85)	284.33
अंतिम शेष	**215.94**	**1,517.36**	**153.04**	**1,087.34**

नोट 36.1.8–योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	529.32	–	335.08	–
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	44.38	–	28.56	–
मृत्यु दर शुल्क	–	–	–	–
नियोक्ता का योगदान	138.09	–	185.93	–
भुगतान किया गया लाभ	–	–	(20.24)	–
दायित्वों पर बीमांकिक (हानि)/लाभ	–	–	–	–
अंतिम शेष	**711.79**	–	**529.33**	–

नोट 36.1.9–तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	927.73	1,517.35	682.36	1,087.34
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(711.79)	–	(529.32)	–
तुलन पत्र में प्रावधान	**215.94**	**1,517.35**	**153.04**	**1,087.34**
चालू	215.94	74.51	153.04	92.62
गैर–चालू	–	1,442.84	–	994.72

नोट 36.1.10–लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
वर्तमान सेवा लागत	187.08	325.93	148.24	241.72
कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	–	–	–	–
ब्याज लागत	11.03	78.40	13.65	47.18
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध एक्चुअरी (लाभ) / हानि	–	223.07	–	284.33
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	**198.11**	**627.40**	**161.89**	**573.23**

नोट 36.1.11–अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
शुद्ध संचयी अमान्यता प्राप्त एक्चुअरी लाभ/(हानि) प्रारंभिक	–	–	–	–
पीबीओ पर वर्ष के लिए एक्चुअरी लाभ/(हानि)	(68.91)	–	4.88	–
परिसंपत्तियों पर वर्ष के लिए एक्चुअरी लाभ/(हानि)	6.22	–	3.97	–
वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त एक्चुअरी लाभ/(हानि)	**(62.69)**	–	**8.85**	–

नोट 36.1.12–वर्ष के अंत में पीबीओ का वर्तमान और गैर–वर्तमान में वर्गीकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	21.53	74.51	22.37	92.62
गैर–वर्तमान देयता (एक वर्ष से अधिक देय राशि)	906.20	1,442.84	660.00	994.72
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**927.73**	**1,517.35**	**682.37**	**1,087.34**

नोट 36.1.13–शुद्ध (देयता)/परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25	2023–24
	ग्रेच्युटी	ग्रेच्युटी
वर्तमान देयता	215.94	153.04
गैर–वर्तमान देयता	–	–
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**215.94**	**153.04**

नोट 36.1.14–अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित अंशदान

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25		2023–24	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
सेवा लागत	214.86	380.42	165.20	260.18
शुद्ध ब्याज लागत	14.96	105.15	11.03	78.40
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए कुल अपेक्षित अंशदान	**229.82**	**485.57**	**176.23**	**338.58**

नोट 36.1.15–परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

राशि (लाख रुपये में)

वर्ष	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
0 से 1 वर्ष	21.53	74.51
1 से 2 वर्ष	62.44	93.11
2 से 3 वर्ष	31.56	56.62
3 से 4 वर्ष	32.91	53.28
4 से 5 वर्ष	51.37	86.06
5 से 6 वर्ष	30.90	56.12
6 वर्ष और उससे अधिक	697.03	1,097.65

नोट 36.2–अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी), सामान भत्ता, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ

नोट 36.2.1–योजना देयता

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	303.53	69.41	548.33	226.00	51.46	188.02

नोट 36.2.2–सेवा लागत

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
वर्तमान सेवा लागत	65.33	14.59	86.95	49.27	11.19	32.98
कटौती लाभ/हानि सहित पिछली सेवा लागत	–	–	–	–	–	–
गैर–नियमित निपटान पर लाभ या हानि	–	–	–	–	–	–
कुल सेवा लागत	**65.33**	**14.59**	**86.95**	**49.27**	**11.19**	**32.98**

नोट 36.2.3–शुद्ध ब्याज लागत

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	16.29	3.71	13.56	12.47	2.78	8.00
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	–	–	(8.47)	–	–	(5.65)
शुद्ध ब्याज लागत (आय)	**16.29**	**3.71**	**5.09**	**12.47**	**2.78**	**2.35**

नोट 36.2.4–वर्तमान लाभ दायित्व में परिवर्तन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
अवधि के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	226.00	51.46	188.02	169.89	37.86	108.97
ब्याज लागत	16.29	3.71	13.56	12.47	2.78	8.00
सेवा लागत	65.33	14.59	86.95	49.27	11.19	32.98
पिछली सेवा लागत	–	–	–	–	–	–
भुगतान किए गए लाभ	(50.31)	–	(3.52)	(26.97)	(1.50)	(2.97)
दायित्व पर कुल एक्चुअरी (लाभ)/हानि	**46.20**	**(0.35)**	**263.33**	**21.34**	**1.13**	**41.04**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**303.51**	**69.41**	**548.34**	**226.00**	**51.46**	**188.02**

नोट 36.2.5–दायित्व पर एक्चुअरी (लाभ)/हानि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न एक्चुअरी (लाभ)/हानि	–	–	–	–	–	–
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न एक्चुअरी (लाभ) / हानि	10.48	2.65	41.80	3.82	0.91	3.56
अनुभव समायोजन से उत्पन्न एक्चुअरी (लाभ) / हानि	35.72	(3.00)	221.53	17.52	1.13	37.47

नोट 36.2.6–योजना परिसंपत्ति पर एक्चुअरी (लाभ)/हानि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
अनुमानित ब्याज आय	–	–	8.47	–	–	5.65
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	–	–	46.71	–	–	11.50
परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए एक्चुअरी लाभ /(हानि)	–	–	**38.24**	–	–	**5.85**

नोट 36.2.7–तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	303.53	69.41	548.33	226.00	51.46	188.02
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	(231.20)	–	–	(117.50)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/(शुद्ध परिसंपत्तियाँ)	303.53	69.41	317.13	226.00	51.46	70.52
चालू	**10.80**	**0.87**	**317.13**	**14.41**	**0.71**	**70.52**
गैर–चालू	**292.73**	**68.54**	–	**211.59**	**50.75**	–

नोट 36.2.8–लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
चालू सेवा लागत	65.33	14.59	86.95	49.27	11.19	32.98
पिछली सेवा ,लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	–	–	–	–	–	–
ब्याज लागत	16.29	3.71	5.08	12.47	2.78	2.35
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध एक्चुअरी (लाभ) / हानि	46.20	–	–	21.34	–	–
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	**127.82**	**18.30**	**92.03**	**83.08**	**13.97**	**35.33**

नोट 36.2.9–अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
शुद्ध संचयी अमान्यता प्राप्त एक्चुअरी लाभ/ (हानि) प्रारंभिक	–	–	–	–	–	–
वर्ष के लिए ihchvks पर एक्चुअरी लाभ / (हानि)	–	0.35	(263.33)	–	(1.13)	(41.04)
परिसंपत्तियों पर वर्ष के लिए एक्चुअरी लाभ / (हानि)	–	–	38.24	–	–	5.85
वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त एक्चुअरी लाभ / (हानि)	–	**0.35**	(**225.09**)	–	(**1.13**)	(**35.19**)

नोट 36.2.10–योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	117.50	–	–	76.94
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	–	–	46.71	–	–	11.50
नियोक्ता का योगदान	–	–	70.51	–	–	32.03
भुगतान किया गया लाभ	–	–	(3.52)	–	–	(2.97)
दायित्वों पर एक्चुअरी (हानि) / लाभ	–	–	–	–	–	–
अंतिम शेष	–	–	**231.20**	–	–	**117.50**

नोट 36.2.11–दायित्व के शुद्ध मूल्य में परिवर्तनः

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
प्रारंभिक शेष	225.99	51.46	70.51	169.88	37.86	32.03
ब्याज लागत	16.29	3.71	5.08	12.47	2.78	2.35
वर्तमान सेवा लागत	65.34	14.59	86.95	49.27	11.19	32.98
कटौती लाभ/हानि सहित पिछले सेवा लागत	–	–	–	–	–	–
भुगतान किया गया लाभ	(50.30)	–	–	(26.97)	(1.50)	–
ट्रस्ट में योगदान	–	–	(70.51)	–	–	(32.03)
दायित्व पर एक्चुअरी (लाभ) / हानि	46.20	(0.35)	225.09	21.34	1.13	35.18
अंतिम शेष	**303.52**	**69.41**	**317.12**	**225.99**	**51.46**	**70.51**

नोट 36.2.12–वर्ष के अंत में पीबीओ का वर्तमान और गैर–वर्तमान में वर्गीकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	10.80	0.87	8.21	14.41	0.71	2.30
गैर–वर्तमान देयता (एक वर्ष से अधिक देय राशि)	292.73	68.53	540.12	211.59	50.75	185.72
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**303.53**	**69.40**	**548.33**	**226.00**	**51.46**	**188.02**

नोट 36.2.13–शुद्ध (देयता)/परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25	2023–24
	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
वर्तमान देयता	(317.13)	(70.51)
गैर–वर्तमान देयता	–	–
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**(317.13)**	**(70.51)**

नोट 36.2.14–अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024–25			2023–24		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
सेवा लागत	–	18.82	102.85	–	23.53	38.28
शुद्ध ब्याज लागत	–	4.81	21.98	–	3.71	5.08
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	–	23.63	124.83	–	27.24	43.36

नोट 36.2.15–परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

राशि (लाख रुपये में)

वर्ष	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
0 से 1 वर्ष	–	0.87	8.21
1 से 2 वर्ष	–	4.97	59.40
2 से 3 वर्ष	–	2.03	13.76
3 से 4 वर्ष	–	2.50	17.12
4 से 5 वर्ष	–	3.59	31.11
5 से 6 वर्ष	–	1.94	9.44
6 वर्ष और उससे अधिक	–	53.50	5,342.29

नोट 36.3–तुलन पत्र तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ

बीमांकिक धारणाएँ:	2024–25	2023–24
मूल्यांकन विधि :	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि
छूट दर :	6.93%	7.21%
वेतन वृद्धि दरः	6.50%	6.50%
सेवानिवृत्ति आयुः	60 वर्ष	60 वर्ष
निकासी दरः	60 वर्ष 30 वर्ष तक – 3%	30 वर्ष तक – 3%
	31 से 44 वर्ष तक – 2%	31 से 44 वर्ष तक – 2%
	44 वर्ष से ऊपर – 1%	44 वर्ष से ऊपर – 1%
मृत्यु दरः	इंडिया एश्योर्ड लाइव्स मृत्यु दर का 100% (2012–14)	इंडिया एश्योर्ड लाइव्स मृत्यु दर का 100% (2012–14)

नोट 36.4–संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	धारणाओं में परिवर्तन	सामान भत्ते पर प्रभाव	ग्रेच्युटी दायित्व पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों पर प्रभाव
छूट दर	0.50%	(3.99)	(57.44)	(92.72)	(19.13)	(37.54)
	(0.50%)	4.41	63.03	101.70	21.05	41.57
वेतन वृद्धि	0.50%	–	49.56	101.63	–	–
	(0.50%)	–	(50.77)	(93.49)	–	–

नोटः –37

विदेशी मुद्रा व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आस्थगित करः		
परियोजना से संबंधित व्यय (सीडब्ल्यूआईपी)	3,14,811.76	3,36,593.17
विदेशी टीए/डीए	284.62	25.16
विदेशी यात्रा व्यय	221.25	79.07
सदस्यता शुल्क	25.44	31.42
	3,15,343.07	**3,36,728.82**

नोटः –38

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

नोट 38.1– वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशिः

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	168.11	120.33

नोट 38.2 – वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैः

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	वर्ष के दौरान खर्च की गई		अभी भुगतान किया जाना है / (अतिरिक्त खर्च)	
	पिछले वर्ष के लिए	चालू वर्ष के लिए	पिछले वर्ष के लिए	चालू वर्ष के लिए
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान				
(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण*	101.25	–	15.73	–
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	–	–	–	–
क) में उल्लिखित चार निधियों में योगदान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII	–	–	–	–
ख) पीएम केयर्स फंड में योगदान	–	–	–	–
ग) स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	–	34.13	–	126.05
घ) स्वास्थ्य सेवा	–	–	–	–
ङ) स्वच्छ भारत कोष में योगदान	–	–	–	–
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान				
(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	84.47	–	–	4.85
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	–	–	–	–
क) में उल्लिखित चार निधियों में योगदान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII	–	–	–	–
ख) पीएम केयर्स फंड में योगदान	–	–	–	–
ग) स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	–	0.28	–	–
घ) स्वास्थ्य सेवा	–	–	–	–
ङ) स्वच्छ भारत कोष में योगदान	–	–	–	–

**पिछले वर्ष में 7.92 लाख रुपये की राशि अधिक खर्च की गई थी, जिसे चालू वर्ष के सीएसआर दायित्व के विरुद्ध समायोजित किया गया है।*

नोट 38.3–चल रही परियोजना और चल रही परियोजना के अलावा अन्य का विवरण

धारा 135(6) (चल रही परियोजना) के मामले में

राशि (लाख रुपये में)

1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		31 मार्च 2025 को अंतिम शेष	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
–	124.90	168.11	9.25	141.98	–	141.78

धारा 135(5) (चल रही परियोजना के अलावा) के मामले में

राशि (लाख रुपये में)

1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर या वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	31 मार्च 2025 को अंतिम शेष
–	–	–	–	–

नोट 38.3–चल रही परियोजना और चल रही परियोजना के अलावा अन्य का विवरण

धारा 135(6) (चल रही परियोजना) के मामले में

राशि (लाख रुपये में)

1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		31 मार्च 2024 को अंतिम शेष	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
–	89.32	120.05	–	84.47	–	124.90

धारा 135(5) (चल रही परियोजना के अलावा) के मामले में

राशि (लाख रुपये में)

1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर या वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	31 मार्च 2024 को अंतिम शेष
–	0.28	0.28	0.28	–

सीएसआर समिति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, सीएसआर राशि का उपयोग 2 से 3 वर्षों में किया जाएगा क्योंकि यह एक बहु–वर्षीय परियोजना है।

सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा नियंत्रित किसी ट्रस्ट को कोई योगदान नहीं दिया गया है।

नोटः– 39

नोट 39.1–इंड एएस–116 के तहत प्रकटीकरण

(क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

(i) प्रारंभिक आवेदन पर चुने गए व्यावहारिक उपायों का सारांश।

(क) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर 12 महीने से कम पट्टे की अवधि वाले पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता न देने की छूट लागू की।

(ख) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को बाहर रखा।

(ग) इंड एएस–116 केवल उन अनुबंधों पर लागू होता है जिन्हें पहले इंड एएस–17 के तहत पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

(घ) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू की।

(ङ) यदि अनुबंध में पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं, तो पट्टे की अवधि निर्धारित करने में पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करें।

(ii) वर्ष के दौरान पट्टे की देनदारियों पर लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 8.70% और 8.60% (MCLR) है।

(iii) कंपनी द्वारा पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का सारांश निम्नानुसार है:

परिसंपत्तियों का विवरण	पट्टादाता का नाम	पट्टे की अवधि	
पी नंबर 10/11, आर एस नंबर 15/1ए, 9/2, कार्यालय नंबर 1007, टावर – ए, स्वस्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007	सुकेन दिनेशचंद्र शाह	01–08–2021	31–07–2025
ए–203, स्वस्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007	विभूति ऑर्गनाइजर/ बोडावाला	01–05–2021	30–04–2025
आर.एस.नंबर 60/2पी, कार्यालय नंबर 1001 से 1006, स्वस्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007	विमल कपाड़िया	01–01–2023	31–12–2026
पहली मंजिल, ग्रैंड प्लाजा मॉल, कौल हेरिटेज सिटी, बबुला (चुलने), वसई पश्चिम, जिला–पालघर–401202	कौल एंटरप्राइजेज	01–12–2023	31–10–2028
ए–203, स्वस्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007	विभूति ऑर्गनाइजर/ बोडावाला	01–04–2023	30–04–2026
कार्यालय नंबर 303, गोदरेज टू, पिरोजशा नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, विक्रोली (पूर्व), मुंबई – 400079	गोदरेज ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड	15–05–2024	14–05–2029
1 वाहन	मर्करी कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड	12–09–2021	11–09–2025
12 वाहन	मर्करी कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड	09–01–2023	08–01–2027
16 वाहन	मर्करी कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड	14–01–2022	13–01–2026
8 वाहन	टीआर साहनी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	12–04–2024	11–04–2029
4 वाहन	लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	09–04–2022	08–04–2026
गुजरात सरकार से पट्टे पर ली गई भूमि		99 वर्ष	
महाराष्ट्र सरकार से पट्टे पर ली गई भूमि		95 वर्ष	

(iv) पट्टे की देनदारी और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में संचलन

(क) मान्यता प्राप्त उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की वहन राशि और वर्ष के दौरान संचलन नोट: 6.3 में प्रकट किए गए हैं।

(ख) पट्टा देयता में संचलन नीचे दिया गया है: *राशि (लाख रुपये में)*

विवरण	भवन	वाहन	भवन	वाहन
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	1,865.42	176.32	1,475.04	224.68
इंडएएस में संक्रमण पर मान्यता	–	–	–	–
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,985.52	71.90	1,233.55	38.55
वर्ष के दौरान संशोधन –	–	–	–	
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज	334.62	15.97	125.96	18.20
वर्ष के दौरान किया गया भुगतान/पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह	(1,548.45)	(105.84)	(969.14)	(105.10)
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	**3,637.11**	**158.35**	**1,865.42**	**176.32**

(v) कंपनी ने कम मूल्य की परिसंपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों के लिए पट्टा देयता को मान्यता न देने का विकल्प चुना है। इन पट्टों से संबंधित व्यय को पट्टा देयता के मापन में शामिल नहीं किया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:–

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	भवन	वाहन	भवन	वाहन
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को
अल्पकालिक पट्टे	1,150.54	–	1,139.49	–
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे	–	–	–	
	1,150.54	–	**1,139.49**	–

(vi) तुलन पत्र में प्रस्तुत पट्टा देयताएं निम्नानुसार हैं:–

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	भवन	वाहन	कुल	भवन	वाहन	कुल
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	
चालू अंश	766.26	118.92	885.18	839.62	105.84	945.46
गैर–चालू अंश	2,870.84	39.44	2,910.28	1,025.79	70.49	1,096.28
	3,637.11	**158.35**	**3,795.46**	**1,865.41**	**176.33**	**2,041.74**

(vii) 31 मार्च 2025 को पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

विवरण	31 मार्च 2025			31 मार्च 2024		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
कार्यालय पट्टा	1,058.24	1,054.69	1,044.62	967.55	368.36	330.31
वाहन पट्टा	99.20	49.85	20.17	87.99	77.47	28.12
	1,157.44	**1,104.54**	**1,064.78**	**1,055.55**	**445.83**	**358.44**

(viii) परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों से संबंधित व्यय शून्य हैं।

(ix) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उप–पट्टे से आय कंपनी पर लागू नहीं है।

(x) बिक्री और लीजबैक लेनदेन से लाभ/हानि कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

प्रचालन पट्टा: कंपनी ने प्रचालन पट्टे पर भवन दिया है। वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त पट्टा आय 324.61 लाख रुपये है।

प्राप्त होने वाले वार्षिक बिना छूट वाले पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	1 वर्ष तक	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3–4 वर्ष	4–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल वर्ष
31–03–2025 को	–	–	719.38	1,474.73	1,548.47	1,11,450.17	**1,15,192.75**

नोट 39.2 – परिसंपत्तियों का अवमूल्यन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया है कि क्या कोई संकेत (इंडएएस 36 के पैरा 12 के अनुसार) है कि किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन हो सकता है। प्रबंधन का विचार है कि तुलन पत्र की तिथि पर परिसंपत्तियों के अवमूल्यन का कोई संकेत मौजूद नहीं है। प्रबंधन ने इंड एएस–36 'परिसंपत्तियों का अवमूल्यन' के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति सहित कंपनी की सभी परिसंपत्तियों के अवमूल्यन की समीक्षा की

है। समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन का मत है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त और निवेश संपत्ति और अन्य परिसंपत्तियों का आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षित से खराब नहीं है और इसलिए, तुलन पत्र की तिथि पर किसी भी परिसंपत्ति का कोई अवमूल्यन नहीं किया गया है।

नोट :– 40

इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" का प्रकटीकरण

क) अनुबंध शेष

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क) व्यापार प्राप्य	–	–
ख) अनुबंध परिसंपत्तियां	13,696.09	12,765.55
ग) अनुबंध देयताएं	10,207.00	10,207.00

(इ) व्यापार प्राप्य

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष के प्रारंभ में व्यापार प्राप्य	–	–
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध राजस्व	930.54	12,765.55
समायोजन	–	–
वर्ष के दौरान प्राप्त भुगतान	–	–
व्यापार प्राप्य का अंतिम शेष	–	–

(ग) संविदागत परिसंपत्तियाँ

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष के प्रारंभ में संविदागत परिसंपत्ति	12,765.55	–
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	930.54	12,765.55
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्ति	13,696.09	12,765.55

(घ) संविदागत देयताएँ

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष के प्रारंभ में संविदागत देयताएँ	10,207.00	10,207.00
संविदागत देयताओं से राजस्व में हस्तांतरण और प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वृद्धि	–	–
वर्ष के अंत में संविदागत देयताएँ	10,207.00	10,207.00

ड) निष्पादन दायित्व

कंपनी के कार्यों से संबंधित निष्पादन दायित्व को ग्राहक को परियोजना रिपोर्ट सौंपने और ग्राहक की अंतिम स्वीकृति पर या जब राजस्व एकत्र करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तब पूरा माना जाता है।

नोट :– 41

एमएसएमई प्रकटीकरण

कंपनी ने उन उद्यमों की पहचान की है जिन्होंने कंपनी को वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान की हैं और जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को ऐसे उद्यमों को देय राशियों के संबंध में प्रकटीकरण, प्रबंधन द्वारा पहचान की गई सीमा तक, कंपनी के पास उपलब्ध और प्राप्त जानकारी के आधार पर वित्तीय विवरणों में किया गया है। अतिदेय राशि और देय ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है।

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क) वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि ख) उपरोक्त राशि पर देय ब्याज	1029.48	1503.51
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान किए गए ब्याज की राशि और वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि, लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में उपार्जित और बकाया ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
आगामी वर्षों में भी देय और भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त ब्याज की देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दी जाती।	शून्य	शून्य

नोट :– 42

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरणः

क. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में संशोधन किया है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। कंपनी ने उक्त संशोधन के अनुसार वित्तीय विवरणों में परिवर्तनों को शामिल किया है और नीचे दिए गए प्रकटीकरण उक्त संशोधन के अनुपालन में किए गए हैं:

(i) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी का वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(iii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसके संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(iv) पिछली अवधि की कोई त्रुटियाँ नहीं हैं जिन्हें अलग से रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

(v) कंपनी के पास कोई प्रभार या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।

(vi) कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएँ (मध्यस्थ) शामिल हैं, को इस समझ के साथ धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थः

(क) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या

(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की चीज़ प्रदान करेगा।

(vii) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएँ (वित्तपोषक पक्ष) शामिल हैं, से इस समझ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है कि कंपनीः

(क) वित्तपोषक पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगी या निवेश करेगी या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की चीज़ प्रदान करेगी।

(viii) कंपनी के पास प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और अन्य संबंधित पक्षों को ऋणों की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है।

(x) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिसमें उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, का वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III द्वारा आवश्यक बाद के प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xi) अमूर्त परिसंपत्तियों का वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III द्वारा आवश्यक बाद के प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xii) कंपनी के पास बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार नहीं है, इसलिए अनुसूची III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiii) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों को त्रैमासिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अनुसूची III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiv) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xv) कंपनी का किसी अन्य कंपनी में कोई और निवेश नहीं है, इसलिए कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा आवश्यक अतिरिक्त खुलासे।

(xvi) निम्नलिखित लेखांकन अनुपात प्रकट किए गए हैं:

विवरण	अंश	हर	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	%परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियां	चालू देयताएं	0.54	0.35	54.29%	अनुपात तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माण चरण में है।
इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात	कर के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	–	0.01	–	लागू नहीं
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और कर से पहले की आय	नियोजित पूंजी	–	–	–	लागू नहीं
ऋण सेवा कवरेज/अनुपात	ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध आय	कुल ब्याज और मूलधन चुकौती	4.44	7.51	–40.88%	अनुपात तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माण चरण में है और कोई परिचालन लाभ नहीं है।
शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद शुद्ध लाभ	परिचालन से कारोबार	7.34	0.63	1065.08%	अनुपात तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माण चरण में है और कोई परिचालन लाभ नहीं है।
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत शेयरधारक इक्विटी	–	–	–	निर्धारित नहीं किया जा सकता

निम्नलिखित अनुपात लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी अभी तक परिचालन में नहीं है, इसलिए वर्ष के लिए प्रकट नहीं किए गए हैं।

क्र.सं.	विवरण
1	ऋण इक्विटी अनुपात
2	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात
3	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात
4	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात
5	निवेश पर प्रतिफल

(xvii) कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख

राशि (लाख रुपये में)

बैलेंस शीट में प्रासंगिक मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	शीर्षक विलेख किसके नाम पर हैं	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि–फ्रीहोल्ड	3,14,006.49	– परियोजना प्रभावित व्यक्ति	नहीं	*	स्वामित्व का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
	भूमि–फ्रीहोल्ड	38,359.32	– गुजरात सरकार	हाँ	*	स्वामित्व का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
	भवन	44,583.58	– एनबीसीसी	नहीं	20–02–2025	कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए एनबीसीसी से एक संपत्ति खरीदी है, शीर्षक विलेख का निष्पादन प्रक्रियाधीन है
निवेश संपत्ति	शून्य	शून्य	–	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसंपत्ति	शून्य	शून्य	–	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य	शून्य	शून्य	–	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

फ्रीहोल्ड भूमि में विभिन्न परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और सरकारी विभागों से अधिग्रहित भूमि शामिल है जिसे विभिन्न तिथियों पर अधिग्रहित किया गया है, इसलिए ऐसे अधिग्रहण के लिए तिथि–वार खुलासा इंगित नहीं किया गया है।

नोटः संपत्ति की उन मदों को छोड़कर, जहाँ शीर्षक हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और न ही पट्टा समझौता हस्ताक्षरित किया जाएगा। केवल उपयोग के अधिकार की अनुमति प्राप्त की गई है।

ख. वित्तीय विवरण अनुसूची III (24 मार्च, 2021 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) के अनुसार तैयार किया गया है, जो कंपनी पर लागू होने की सीमा तक है। निम्नलिखित मदों को वित्तीय विवरण में रिपोर्ट नहीं किया गया है क्योंकि ये कंपनी पर लागू नहीं हैं या इनका मूल्य शून्य है।

चालू और गैर–चालू परिसंपत्तियां

क) सद्भावना
ख) वाहक पौधों के अलावा जैविक परिसंपत्तियां
ग) निवेश
घ) इन्वेंट्री

चालू और गैर–चालू देयताएं

क) वापसी देयताएं
ख) सरकारी अनुदान

लागू न होने की सीमा तक अन्य सभी खुलासे रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।

ग. अन्य प्रकटीकरण

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ("संहिता") जो रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद के कर्मचारी लाभों से संबंधित है, को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालांकि, संहिता के प्रभावी होने की तिथि अधिसूचित नहीं की गई है। कंपनी संहिता के प्रभावी होने पर उसके प्रभाव का आंकलन करेगी और संहिता के प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को दर्ज करेगी।

नोट :– 43

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के आंकड़ों की प्रस्तुति के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत/पुनर्समूहित किया गया है।

1. अन्य एचएसआर कॉरिडोरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर व्यय को अन्य व्यय से परिचालन व्यय में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(i) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	नोट	पहले रिपोर्ट किया गया	समायोजन	पुनर्कथित
व्यय				
परिचालन व्यय	43.1	–	12,765.55	12,765.55
अन्य व्यय	26	14,549.04	(12,765.55)	1,783.49
कुल		**14,549.04**	–	**14,549.04**

नोट 43.1–वित्तीय विवरणों की बेहतर प्रस्तुति के लिए अन्य एचएसआर कॉरिडोरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर व्यय को अन्य व्यय से परिचालन व्यय में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

नोट :– 44 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अपनी 21.07.2025 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था।

दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000472N

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

पार्टनरः संदीप दहिया
सदस्यता संख्याः 505371

अंजुम परवेज
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06682287

विवेक प्रकाश त्रिपाठी
निदेशक वित्त और सीएफओ
डीआईएनः 10216466

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव
एम. संख्याः FCS 5250

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21.07.2025

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार है। यह उनके द्वारा 21 जुलाई 2025 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखा परीक्षा किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से, सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं:

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

अन्य व्यय (नोट 26) – रु. 2,102.39 लाख

पूंजीगत कार्य प्रगति पर (नोट 4) – रु. 55,54,423.40 लाख

उपरोक्त में रु. 1,096 लाख शामिल हैं जो कंपनी द्वारा पिछले वर्षों में प्रारंभिक व्यय के रूप में रु. 80.99 लाख, समारोह व्यय के रूप में रु. 944.60 लाख और परियोजना संवर्धन व्यय के रूप में रु. 70.41 लाख की राशि खर्च की गई थी। यह राशि पूर्व–परिचालन और संवर्धन लागतों का प्रतिनिधित्व करती है, और इस प्रकार इसे संबंधित वर्ष के दौरान व्यय के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था। हालांकि, कंपनी ने उपरोक्त व्यय को पूंजीगत कार्य प्रगति पर के तहत पूंजीकृत किया है।

कंपनी ने आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) से राय मांगी थी जिसने पुष्टि की थी कि परियोजना संवर्धन व्यय को पूंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए बल्कि लाभ और हानि / प्रतिधारित आय में प्रभारित किया जाना चाहिए। इसके बावजूद, व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के तहत दिखाया जाना जारी रहा, जो इंड एएस और ईएसी दोनों की राय का गैर–अनुपालन दर्शाता है। चूंकि ये व्यय पिछले वर्ष (2017–18) से संबंधित हैं, इसलिए निरंतर पूंजीकरण एक पिछली अवधि की त्रुटि का प्रतिनिधित्व करता है। इंड एएस 8 लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां का पैरा 42 तुलनात्मक आंकड़ों को पुनर्कथित करके या प्रारंभिक शेषों को समायोजित करके पूर्वव्यापी सुधार की आवश्यकता है, न कि सीडब्ल्यूआईपी के तहत ऐसी राशियों को जारी रखकर।

इसके परिणामस्वरूप 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' का अधिक मूल्यांकन और 'अन्य व्यय' का रु. 1,096 लाख से कम मूल्यांकन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 'वर्ष के लिए लाभ' का उसी राशि से अधिक मूल्यांकन हुआ है।

ख. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

प्रति शेयर आय (नोट 29) – रु. 4.41

कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों के नोट 29 के तहत प्रति शेयर आय (ईपीएस) को मूल और तनु ईपीएस को रु. 4.41 के रूप में "अन्य व्यापक आय के बाद लाभ" के आधार पर घोषित किया है इंड एएस 33 प्रति शेयर आय के पैरा 10 और 12 का उल्लंघन है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) की गणना "कर पश्चात लाभ" के आधार पर की जानी चाहिए, जो 4.55 रुपये प्रति शेयर आता है।

इसके परिणामस्वरूप प्रति शेयर आय में 0.14 रुपये की कमी हुई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से और उनके लिए

तेग सिंह
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.09.2025

वित्तीय विवरण 2024–25 पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
क)	<u>लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ</u> **अन्य व्यय (नोट 26) – रु. 2,102.39 लाख** **पूंजीगत कार्य प्रगति पर (नोट 4) रु. 5554423.40 लाख** उपरोक्त में रु. 1,096 लाख शामिल हैं जो कंपनी द्वारा पिछले वर्षों में रु. 80.99 लाख के प्रारंभिक व्यय, रु. 944.60 लाख के समारोह व्यय और रु. 70.41 लाख के परियोजना संवर्धन व्यय के रूप में किए गए थे। यह राशि पूर्व–परिचालन और संवर्धन लागतों को दर्शाती है, और इस प्रकार इसे संबंधित वर्ष के दौरान व्यय के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था। हालांकि, कंपनी ने उपरोक्त व्यय को पूंजीगत कार्य प्रगति पर के तहत पूंजीकृत किया है। कंपनी ने आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) से राय मांगी थी, जिसने पुष्टि की थी कि परियोजना संवर्धन व्यय को पूंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए बल्कि लाभ और हानि/प्रतिधारित आय में प्रभारित किया जाना चाहिए। इसके बावजूद, व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के तहत दिखाना जारी रखा गया, जो इंड एएस और ईएसी दोनों की राय का गैर–अनुपालन दर्शाता है। चूंकि ये व्यय पिछले वर्ष (2017–18) से संबंधित हैं, इसलिए निरंतर पूंजीकरण पिछली अवधि की त्रुटि को दर्शाता है। इंड एएस 8 लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां का पैरा 42 तुलनात्मक आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करके या प्रारंभिक शेषों को समायोजित करके पूर्वव्यापी सुधार की आवश्यकता है, न कि सीडब्ल्यूआईपी के तहत ऐसी राशियों को जारी रखने से। इसके परिणामस्वरूप 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' का अधिक आंकलन, और 'अन्य व्यय' का रु. 1,096 लाख से कम आंकलन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 'वर्ष के लाभ' का भी उतनी ही राशि से अधिक आंकलन हुआ है।	रु. 1,096 लाख की राशि एनएचएसआरसीएल परियोजना यानी एमएएचएसआर के प्रारंभिक चरण के दौरान और वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान किए गए व्यय को दर्शाती है। चूंकि ऐसे व्यय सीधे परियोजना से संबंधित हैं, इसलिए लेखांकन नीति 2.7 के अनुरूप इसे पूंजीगत कार्य प्रगति पर में प्रभारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इंड–एएस 16 के अनुसार "किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल हैं: (क) उसकी खरीद मूल्य, जिसमें आयात शुल्क और गैर–वापसी योग्य खरीद कर शामिल हैं, व्यापार छूट और रिबेट घटाने के बाद। **(ख) संपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत, जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित होने के लिए आवश्यक है।"** तदनुसार, यह कहा जा सकता है कि सीधे संबंधित व्यय को परियोजना/संपत्ति की लागत के साथ पूंजीकृत किया जाना आवश्यक है। अतीत में सीएजी की टिप्पणी के कारण, निम्नलिखित व्यय के संबंध में आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) से राय ली गई थी, जिसमें शामिल हैं: 1. सोशल मीडिया प्रबंधन लागतें 2. प्रदर्शनी के लिए सिम्युलेटर 3. विभिन्न आयोजनों के लिए प्रायोजन आईसीएआई की ईएसी से राय प्राप्त करने के बाद सभी पिछली अवधियों के लिए इन सभी व्ययों को प्रतिधारित आय/लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया गया था। तत्पश्चात, प्रत्येक वर्ष इन व्ययों को लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है। सीएजी की टिप्पणियों में बताए गए व्यय वही नहीं हैं जिनके लिए आईसीएआई की ईएसी से राय ली गई थी। एनएचएसआरसीएल की एमएएचएसआर परियोजना एक बड़े पैमाने की परियोजना है और 31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों में रु. 5554423.40 लाख की राशि को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में मान्यता दी गई है। सीएजी की टिप्पणियों में संदर्भित व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 से संबंधित है और 31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों में पूंजीकृत कुल सीडब्ल्यूआईपी के संबंध में महत्वपूर्ण नहीं है, जो कुल सीडब्ल्यूआईपी का केवल 0.02% दर्शाता है। अतः, वित्तीय विवरणों के समग्र आकार को देखते हुए, यह टिप्पणी वित्तीय विवरणों के समग्र दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करती है।

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर
ख)	**प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ** **प्रति शेयर आय (नोट 29) – रु. 4.41** कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों के नोट 29 के तहत प्रति शेयर आय (ईपीएस) को मूल और तनु ईपीएस को रु. 4.41 के रूप में "अन्य व्यापक आय के बाद लाभ" के आधार पर घोषित किया है इंड एएस 33 प्रति शेयर आय के पैरा 10 और 12 का उल्लंघन है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) की गणना "कर पश्चात लाभ" के आधार पर की जानी चाहिए, जो 4.55 रुपये प्रति शेयर आता है। इसके परिणामस्वरूप प्रति शेयर आय में 0.14 रुपये की कमी हुई है।	सी एण्ड एजी टिप्पणियों को भविष्य में ईपीएस (मूल और तनु) की गणना के लिए नोट कर लिया है सी एण्ड एजी टिप्पणियों के अनुपालन के लिए हालांकि, उक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के समग्र दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करती हैं।

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

(अंजुम परवेज)	(विवेक प्रकाश त्रिपाठी)
प्रबंध निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं)	निदेशक वित्त
(डीआईएनः 06682287)	(डीआईएनः 10216466)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16.09.2025

Disclaimer:

The Annual Report has been prepared in English and Translated into other languages like Hindi, Gujarati and Marathi.

Therefore, English Language shall be controlling in all respects, and all versions in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding upon the Company. In the event of any inconsistency of difference between English and other language(s). the English version is the official and correct version.

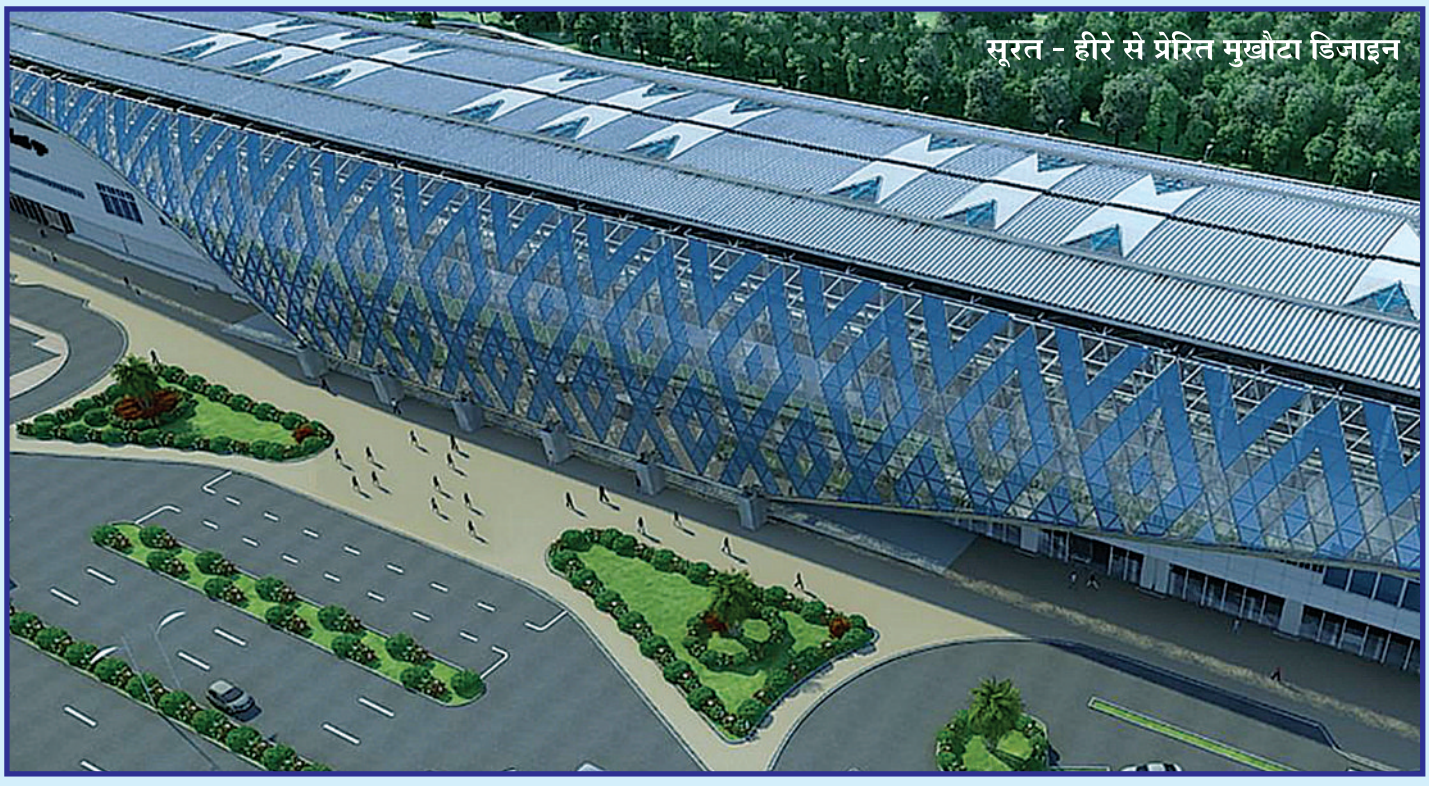

पंजीकृत कार्यालयः 5वीं से 7वीं मंजिल, टॉवर डी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029
ई–मेलः psmd@nhsrcl.in, बेबसाइटः www.nhsrcl.in
सीआईएनः U60200DL2016GOI291002